



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11122025-268409
CG-DL-E-11122025-268409

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 802]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 9, 2025/अग्रहायण 18, 1947

No. 802]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 9, 2025/AGRAHAYANA 18, 1947

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 दिसम्बर, 2025

सा.का.नि. 888(अ).—केंद्रीय सरकार, तेलक्षेत्र (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 1948 (1948 का 53) की धारा 5, धारा 6, धारा 9 और धारा 9क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पेट्रोलियम रियायत नियम, 1949 तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 को, उन बातों के सिवाय, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, अधिक्रांत करते हुए, खनिज तेलों के संबंध में पेट्रोलियम अनुज्ञाति प्रदान करने को विनियमित करने, और उनके संरक्षण और विकास के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषा एवं—(1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “अधिनियम” से तेलक्षेत्र (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 1948 (1948 का 53) अभिप्रेत है;

(ख) “बोर-छिद्र” से सूचना पता लगाने के प्रयोजन से चट्टान के सैंपल के क्रोड लेकर या उसके बिना, उप-भूतल के नीचे ड्रिल करके, बनाया गया कोई कूप है;

(ग) “कोल बेड मीथेन” से कोई प्राकृतिक गैस अभिप्रेत है, जिसमें मुख्य रूप से जलाशय की स्थिति के अधीन कोल बेड में अंतर्विष्ट मीथेन होती है और जो वहां से निकाली जाती है;

(घ) “व्यापक ऊर्जा परियोजना” से कोई एकीकृत पहल या कारोबार अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत ऊर्जा संसाधनों की खोज, निष्कर्षण, विकास, उत्पादन, पारेषण, वितरण, भांडारण और उपयोग सम्मिलित है, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, हाइड्रोजन की खोज और उत्पादन सम्मिलित है, किंतु यह इन तक सीमित नहीं है;

(ङ) “संघनन” से कम भाप दबाव वाले हाइड्रोकार्बन अभिप्रेत हैं, जो प्राकृतिक गैस से सामान्य सतह तापमान पर और दबाव परिस्थितियों में तरल के रूप में संघनन या निष्कर्षण के द्वारा अभिप्राप्त किए जाते हैं;

(च) “महाद्वीपीय मरनतट भूमि” पद का वही अर्थ होगा, जो राज्यक्षेत्रीय सागर-खंड, महाद्वीपीय मरनतट भूमि, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य सामुद्रिक क्षेत्र अधिनियम, 1976 (1976 का 80) में उसका है;

(छ) “संविदा” से किसी पट्टे वाले क्षेत्र में किसी खनिज तेल संक्रिया के संचालन के लिए केंद्रीय सरकार और किसी पट्टेदार के बीच किया गया कोई करार अभिप्रेत है, किंतु इसमें पेट्रोलियम पट्टा सम्मिलित नहीं है;

(ज) “संविदाकार” से खनिज तेल संक्रिया करने के लिए सरकार के साथ किसी संविदा के अधीन संविदाकार के रूप में नियुक्त कोई विधिक अस्तित्व अभिप्रेत है;

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि संविदाकार में एक से अधिक पक्ष सम्मिलित हैं, तो उन्हें व्यक्तिगत रूप से सदस्य के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा;

(झ) “कद्दा तेल” से तरल, चिपचिपा या ठोस प्ररूप में उसकी प्राकृतिक अवस्था में, उसे परिष्कृत या अन्यथा उपचारित किए जाने से पूर्व पेट्रोलियम अभिप्रेत है, जिसमें से जल और बाह्य पदार्थ निष्कर्षित किए जाते हैं;

(ज) “आंकड़ा” से खनिज तेल संचालन से संबंधित या उससे उत्पन्न होने वाली या उससे सहबद्ध कोई सूचना अभिप्रेत है और इसमें भूवैज्ञानिक, भूभौतिकीय, भू-रासायनिक, पेट्रोफिजिकल, इंजीनियरी आंकड़ा, कुएं के लॉग, नक्शे, जलाशय, ड्रिलिंग, उत्पादन और परिचालन सूचना सम्मिलित है, किंतु यह इन्हीं तक सीमित नहीं है, चाहे वह कद्दी, संशोधित, परिवर्तित, अनुकूलित, एकत्रित, संगठित, संरचित, सरेखित, अनुक्रमित हो या अन्यथा व्याख्या की गई हो, और इसमें सभी व्याख्यात्मक और व्युत्पन्न आंकड़े भी सम्मिलित हैं, जिसमें विश्लेषण, मूल्यांकन और पट्टेदार द्वारा या उसकी ओर से तैयार की गई रिपोर्ट भी सम्मिलित हैं;

(ट) “दिन” से सप्ताह के सातों दिनों में से कोई दिन अभिप्रेत है;

(ठ) “विकार्बनीकरण” से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी, कार्बन उत्सर्जन को रोकना तथा नवीकरणीय और कम कार्बन ऊर्जा स्रोतों पर परिवर्तन अभिप्रेत है;

(ड) “विकास क्षेत्र” से पट्टे पर लिए गए क्षेत्र का वह भाग, जिसमें एक या अधिक खोजें सम्मिलित हैं, और कोई भी अतिरिक्त क्षेत्र, जो ऐसी खोज के सही विकास के लिए आवश्यक हो सके, अभिप्रेत है;

(ढ) “खोज” से ऐसे खनिज तेल के, जिसके बारे में पहले पता नहीं था, किसी डिपॉज़िट या अनेक डिपॉज़िट के खनिज तेल संक्रिया के दौरान कोई खोज अभिप्रेत है, जिसे खनिज तेल उद्योग में प्रयुक्त होने वाली मानक परीक्षण रीतियों से मापने लायक बहाव में सतह पर पाया जा सकता है;

(ण) “ड्रिलिंग” या “बोरिंग” से मैकेनिकल तरीकों से धरती की सतह की परत में छेदन (चाहे छेदन से बना छेद सीधा, झुका हुआ या क्षैतिक हो) अभिप्रेत है और इसमें ऐसे छेद के किनारों को गिरने से रोकने या ऐसे छेद को पानी जैसी बाहरी चीज़ों से भरने से रोकने के सभी संक्रिया सम्मिलित हैं;

(त) “अतिरिक्त पट्टा किराया” से पट्टेदार द्वारा दिए गए पट्टा किराए का वह भाग अभिप्रेत है, जो पट्टेदार को पेट्रोलियम पट्टा के वास्तविक क्षेत्र और वास्तविक समय के लिए दिए जाने वाले पट्टा किराया से अधिक है;

(थ) “अनन्य आर्थिक क्षेत्र” का वही अर्थ होगा, जो राज्यक्षेत्रीय सागर-खंड, महाद्वीपीय मण्डल भूमि, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य सामुद्रिक क्षेत्र अधिनियम, 1976 (1976 का 80) में उसका है;

(द) “अंवेषण संक्रियाओं” से पट्टे वाले क्षेत्र में खनिज तेल संचय, जिसके बारे में पहले पता नहीं था, की खोज में या ऐसे खनिज तेल संचय के मूल्यांकन में की जाने वाली संक्रियाएं अभिप्रेत हैं और इसमें हवाई, भूवैज्ञानिक, भूभौतिकीय, भू-रासायनिक, जीवाश्म विज्ञान, पैलिनोलॉजिकल, स्थलाकृतिक और भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण, विश्लेषण, अध्ययन और उनका निर्वचन, उप-सतही भूविज्ञान, जिसमें खोज कूपों और मूल्यांकन कूपों की ड्रिलिंग, परीक्षण और अन्य संबंधित गतिविधियां जैसे सर्वे, ड्रिल साइट की तैयारी और खनिज तेलों की खोज के लिए सभी अन्य आवश्यक कार्य सम्मिलित हैं, से संबंधित जांच सम्मिलित हैं, किंतु ये उन तक सीमित नहीं हैं;

(ध) “क्षेत्र” से वह सामान्य क्षेत्र अभिप्रेत है, जिसके नीचे कम से कम एक जलाशय है, या ऐसा प्रतीत होता है कि वह जलाशय है और इसमें खनिज तेल वाला अंडरग्राउंड जलाशय या जलाशय सम्मिलित होंगे;

(न) “क्षेत्र विकास प्लान” से वह प्लान अभिप्रेत है, जो पटेदार या संविदाकार किसी खोज के विकास के लिए केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत करता है;

(प) “वित्तीय वर्ष” से किसी कैलेंडर वर्ष के 1 अप्रैल से आरंभ होकर अगले कैलेंडर वर्ष के 31 मार्च तक की अवधि अभिप्रेत है;

(फ) “गैस कूप” से ऐसा कोई कूप अभिप्रेत है, जिसमें से प्रधानतः प्राकृतिक गैस या संघनन, या दोनों निकलते हैं;

(ब) “भूभौतिकीय सर्वे” से ज़मीन के नीचे सही भूभौतिकीय अवसंरचना की विद्यमानगी के लिए उपकरणों से खोज करना अभिप्रेत है, और इसमें इस प्रयोजन के लिए आवश्यक विस्फोटक से विस्फोट करने के लिए बोर-छिद्र खोदना सम्मिलित है, किंतु गहरे कोर-होल की ड्रिलिंग या ट्रायल शाफ्ट, ट्रेंच, या दूसरी तरह की बड़ी और गहरी खुदाई करना सम्मिलित नहीं है;

(भ) “ग्रीनहाउस गैस” से ऐसी गैस अभिप्रेत है, जो पर्यावरण में गर्मी को पकड़ती है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन और परफ्लोरोकार्बन सम्मिलित हैं, किंतु इन्हीं तक सीमित नहीं हैं;

(म) “ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन” से किसी भी खनिज तेल संक्रिया से ग्रीनहाउस गैसों का निकलना अभिप्रेत है, जिसमें फ्लेयरिंग, निकास और दहन प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं, किंतु इन्हीं तक सीमित नहीं हैं;

(य) “हाइड्रोकार्बन” से हाइड्रोजन और कार्बन का कोई भी जैविक मिश्रण अभिप्रेत है;

(यक) “पट्टा क्षेत्र” से पेट्रोलियम पट्टा में विनिर्दिष्ट उप-भूतल क्षेत्र अभिप्रेत है, जिसके भीतर खनिज तेल संक्रिया की जा सकती है और जिसे, समय-समय पर, इन नियमों के अनुसार, भागतः या पूर्ण रूप से, विस्तारित किया जा सकेगा या छोड़ा जा सकेगा;

(यख) “पटेदार” से कोई भी ऐसा अस्तित्व अभिप्रेत है, जिसे, यथास्थिति, पेट्रोलियम पट्टा या खनन पट्टा प्रदत्त किया गया है;

(यग) “खनिज तेल संक्रिया” से अंवेषण संक्रिया, विकास संक्रिया या उत्पादन संक्रिया या ऐसी दो या अधिक संक्रियाओं का कोई मिश्रण अभिप्रेत है, जिसमें सभी आवश्यक सुविधाओं का सन्तुष्टिकारी, संक्रिया और रख-रखाव, कूपों को बंद करना और छोड़ना, सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण, परिवहन, भांडारण, खनिज तेल का विक्रय या व्ययन, स्थल पुनर्स्थापना और कोई या अन्य सभी आनुषंगिक संक्रिया या क्रियाकलाप सम्मिलित हैं, जो आवश्यक हो सके;

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजन के लिए, “विकास संक्रियाओं” से क्षेत्र विकास प्लान के अनुसार से की जाने वाली संक्रियाएं अभिप्रेत हैं और इसमें खनिज तेल संचयन में प्रयुक्त होने वाले उपस्कर और सामग्रियों का क्रय, नौवहन या भंडारण, कूपों की ड्रिलिंग, गैदरिंग लाइनें विद्याना, खनिज तेल का उत्पादन करने, प्रसंस्कृत करने और खनिज तेल भंडारण या प्रसंस्करण प्रसुविधा में परिवहन करने के लिए आवश्यक सुविधा और उपस्कर लगाना सम्मिलित है, किंतु इन तक सीमित नहीं हैं;

(यद) “राष्ट्रीय तेल कंपनियाँ” से खनिज तेल संक्रियाओं में लगी कोई कंपनी अभिप्रेत है, जिसमें संदर्भ अंश पूंजी का इक्यावन प्रतिशत से अन्यून केंद्रीय सरकार द्वारा, या किसी राज्य सरकार या किन्हीं राज्य सरकारों द्वारा, या भागतः केंद्रीय सरकार द्वारा और भागतः एक या अधिक राज्य सरकारों के पास हो, और इसमें ऐसी कंपनी भी सम्मिलित है, जो ऐसी राष्ट्रीय तेल कंपनी की सहायक कंपनी है;

(यड) “प्राकृतिक गैस” से कूपों से मिलने वाली गैस अभिप्रेत है और इसमें मुख्य रूप से हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जिसमें संबद्ध प्राकृतिक गैस, गैर-संबद्ध प्राकृतिक गैस और इसके सभी घटक तत्व सम्मिलित हैं, किंतु इसमें ऐसे हाइड्रोकार्बन्स के साथ मिलने वाला हीलियम सम्मिलित नहीं है;

स्पष्टीकरण 1—इस खंड के प्रयोजन के लिए, “संबद्ध प्राकृतिक गैस” पद से कच्चे तेल के साथ मिलकर बनाई गई प्राकृतिक गैस अभिप्रेत है, चाहे वह मुक्त गैस के रूप में हो या विलयन के रूप में, यदि ऐसा कच्चा तेल स्वयं वाणिज्यिक रूप से उत्पादित किया जाता है;

स्पष्टीकरण 2—इस खंड के प्रयोजन के लिए, “गैर-संबद्ध प्राकृतिक गैस” से वह प्राकृतिक गैस अभिप्रेत है, जो या तो कच्चे तेल के बिना या कच्चे तेल की ऐसी मात्रा के साथ उत्पादित की जाती है जिसे स्वयं वाणिज्यिक रूप से उत्पादित नहीं किया जा सकता है;

(यच) “तेल कूप” से कोई ऐसा कूप अभिप्रेत है, जो कच्चा तेल उत्पादित करने में सक्षम है और जो गैस कूप नहीं है;

(यछ) “पेट्रोलियम” से प्राकृतिक रूप से होने वाले हाइड्रोकार्बन अभिप्रेत हैं, चाहे वे तरल, चिपचिपा या ठोस प्ररूप में हों या उनका मिश्रण हों, किंतु इसमें पेट्रोलियम या कोल या शेल के साथ पाए जाने वाले कोल, लिग्नाइट और हीलियम सम्मिलित नहीं हैं;

(यज) “उत्पादन संक्रियाओं” से विकास क्षेत्र से उत्पादन प्रारम्भ होने के पश्चात् विकास क्षेत्र से खनिज तेल उत्पादन के प्रयोजन के लिए संचालित सभी संक्रियाएं अभिप्रेत हैं, जिसमें उसकी सभी आवश्यक सुविधाओं का संचालन और रख-रखाव सम्मिलित है;

(यझ) “जलाशय” से खनिज तेल का प्राकृतिक रूप में संचयन अभिप्रेत है, जिसमें संरचनात्मक या स्तरीकृत सीमाएं या किसी भी प्रकार के कोयले या लिग्नाइट से बंधी चट्टान की विशेषताओं से सीमित भूवैज्ञानिक इकाई सम्मिलित है, जिसमें खनिज तेल (चाहे जल या किसी दूसरे खनिज के साथ हो या उनसे अलग) या इनका मिश्रण अंतर्विष्ट हो ;

(यज) “नमूना” में खनिज तेल संक्रियाओं के दौरान एकत्रित किया गया कोर, कटिंग, द्रव, चट्टान, मिट्टी और कोई अन्य भौतिक सामग्री सम्मिलित है;

(यट) “अनुसूची” से इन नियमों के साथ सलंग्र अनुसूची अभिप्रेत है;

(यठ) “अनुपक्रमण” से भूमिगत भूवैज्ञानिक संरचनाओं, विशेष रूप से समाप्त हो चुके तेल और गैस भंडारों, गहरे खारे जलभृतों, बेसाल्टिक संरचनाओं और कोयला तल मीथेन भंडारों में ग्रीनहाउस गैसों को पकड़ने और स्थायी रूप से संग्रहीत करने की प्रक्रिया अभिप्रेत है ;

(यड) “स्थल पुनर्स्थापना” से वे सभी क्रियाकलाप अभिप्रेत हैं, जो अनुबंध या पट्टा अनुदान के प्रारंभ की तारीख के समय किसी स्थल को उसकी स्थिति में वापस लाने के लिए या केन्द्रीय सरकार द्वारा

अनुमोदित योजना के अनुसार खनिज तेल संचालन की समाप्ति के पश्चात्, जहां तक संभव हो, किसी स्थल को उसके इच्छित पश्चात् उपयोग के अनुकूल बनाने के लिए आवश्यक होंगे और इसमें जहां उपयुक्त हो, कूपों या अन्य सुविधाओं को छोड़ना, उपस्करों, संरचनाओं और मलबे को हटाना, अनुकूल आकृति और जल निकासी की स्थापना, ऊपरी मिट्टी को प्रतिस्थापित करना, खुदाई को भरना और अन्य आवश्यक उपाय सम्मिलित होंगे ;

(यदि) “राज्यक्षेत्रीय सागर-खंड” का वही अर्थ है जो राज्यक्षेत्रीय सागर-खंड, महाद्वीपीय मण्डल भूमि, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य सामुद्रिक क्षेत्र अधिनियम, 1976 (1976 का 80) में उसका है ।

(2) उन सभी शब्दों और पदों के, जो यहाँ प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, उनके वही अर्थ होंगे, जो उनके अधिनियम में हैं ।

अध्याय 2

साधारण

3. खनिज तेलों का पूर्वेक्षण और उत्पादन—केंद्रीय सरकार, या तो स्वयं या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति या अस्तित्व द्वारा, भारत के राज्यक्षेत्र, राज्यक्षेत्रीय सागर-खंड, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और भारत की महाद्वीपीय मण्डल भूमि के भीतर खनिज तेलों का पूर्वेक्षण या उत्पादन कर सकेगी, जिनकी सीमाएं राज्यक्षेत्रीय सागर-खंड, महाद्वीपीय मण्डल भूमि, अनन्य आर्थिक जोन और अन्य सामुद्रिक क्षेत्र अधिनियम, 1976 (1976 का 80) के अधीन उपबंधित की गई हैं ।

स्पष्टीकरण 1—इस नियम के प्रयोजन के लिए, “पूर्वेक्षण” शब्द से, उसके व्याकरणिक रूपभेदों के साथ, किसी खनिज तेल संचय की खोज अभियेत है ।

4. खनिज तेल संक्रियाओं में कोई बाधा नहीं—(1) पेट्रोलियम पट्टा का कोई विद्यमान या भावी पट्टेदार, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त किसी अन्य अनुज्ञासि या पट्टे के विद्यमान और भावी धारक को, पट्टे वाले क्षेत्र या पट्टे वाले क्षेत्र से संलग्न किसी भी क्षेत्र या पट्टे वाले क्षेत्र तक जाने वाले किसी भी क्षेत्र में युक्तियुक्त पहुंच की अनुज्ञा देगा ।

(2) यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त किसी अन्य अनुज्ञासि या पट्टे का धारक, जिसे पेट्रोलियम पट्टेदार द्वारा पट्टे वाले क्षेत्र में जाने की अनुज्ञा दी गई है,—

(क) यह सुनिश्चित करेगा कि खनिज तेल संक्रियाओं में कोई बड़ी बाधा या व्यवधान न हो ; और

(ख) पेट्रोलियम पट्टेदार को हुए किसी हानि या क्षति के लिए सही मुआवजा देगा ।

अध्याय 3

पेट्रोलियम पट्टा

5. पेट्रोलियम पट्टा प्रदाय के लिए आवेदन—(1) पेट्रोलियम पट्टा प्रदाय के लिए कोई आवेदन अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट प्ररूप में प्रस्तुत किया जाएगा,—

(i) जहां क्षेत्र केंद्रीय सरकार के राज्यक्षेत्र में आता है, वहां केंद्रीय सरकार को ; और

(ii) जहां क्षेत्र राज्य सरकार के राज्यक्षेत्र में आता है, वहां राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार को।

(2) आवेदक, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार को निम्नलिखित का संदाय करेगा, अर्थात्:—

(क) पेट्रोलियम पट्टे के निबंधन, अनुबंध और शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, पट्टा अवधि की समाप्ति पर प्रतिदेय, पञ्चास लाख रुपये की प्रतिभूति जमा ; और

(ख) प्रारंभिक व्ययों को पूरा करने के लिए दो लाख पचास हजार रुपये का अप्रतिदेय संदाय ।

(3) यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार, आवेदक से पूरी सूचना के साथ आवेदन की प्राप्ति पर, एक सौ अस्सी दिनों के भीतर, उपनियम (1) के अधीन जमा किए गए आवेदन पर विनिश्चय करेगी ।

(4) आवेदन को अस्वीकार करने के विनिश्चय की दशा में, इसे आवेदक को, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से संसूचित किया जाएगा और प्रतिभूति जमा प्रतिदेय की जाएगी ।

(5) यदि राज्य सरकार आवेदन प्राप्ति के नब्बे दिनों के भीतर आवेदन पर अपने विनिश्चय से संसूचित नहीं करती है, तो केंद्रीय सरकार, आवेदक के अनुरोध पर या स्वतः, राज्य सरकार को आवेदन पर शीघ्र विनिश्चय के लिए सलाह देगी ।

(6) एक सौ अस्सी दिन की अवधि की समाप्ति पर, यदि, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा आवेदन पर विनिश्चय नहीं किया गया है, तो—

(i) केंद्रीय सरकार के राज्यक्षेत्र में आने वाले क्षेत्र के संबंध में प्रस्तुत किया गया आवेदन, केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया समझा जाएगा और केंद्रीय सरकार, आवेदन के साथ तत्काल पेट्रोलियम पट्टा विलेख को निष्पादित करेगी ; और

(ii) राज्य सरकार के राज्यक्षेत्र में आने वाले क्षेत्र के संबंध में, राज्य सरकार द्वारा अस्वीकृत किया हुआ समझा जाएगा ।

6. पेट्रोलियम पट्टा प्रदान करना—(1) (क) राज्यक्षेत्रीय सागर-खंड या महाद्वीपीय मण्डल भूमि या भारत के अनन्य आर्थिक जोन के भीतर समुद्री तल के नीचे विद्यमान किसी खनिज तेल, जो संघ में निहित है, के संबंध में पेट्रोलियम पट्टा केंद्रीय सरकार द्वारा दिया जाएगा ; और

(ख) किसी राज्य सरकार के राज्यक्षेत्र के भीतर भूमि के नीचे विद्यमान किसी खनिज तेल के संबंध में पेट्रोलियम पट्टा, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा ।

(2) पेट्रोलियम पट्टा अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट बताए गए प्ररूप में अनुदत्त किया जाएगा ।

(3) पेट्रोलियम पट्टा, नियम 5 के अधीन प्रस्तुत किए गए आवेदन के अनुमोदन की तारीख से नब्बे दिनों के भीतर, आवेदक और, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के मध्य किया जाएगा ।

(4) पेट्रोलियम पट्टा पर संदत्त होने वाली किसी भी स्टाम्प शुल्क की संगणना के लिए, पट्टे का मूल्य, नियम 9 के अनुसार पेट्रोलियम पट्टा की अवधि के लिए संदत्त होने वाला कुल पट्टा किराया होगा ।

(5) पेट्रोलियम पट्टा के निष्पादन पर, उसमें अंतर्विष्ट निबंधन अंतिम होंगे और सभी पक्षकारों पर लागू होंगे, और उसके पश्चात् पक्षकारों की आपसी सहमति के अतिरिक्त उनमें कोई परिवर्तन, संशोधन या उपांतरण नहीं किया जाएगा ।

7. पेट्रोलियम पट्टा का क्षेत्र और अवधि—(1) पेट्रोलियम पट्टा का क्षेत्र उसमें विनिर्दिष्ट किया जाएगा और पट्टा क्षेत्र को, इन नियमों के अधीन भागतः या पूर्णतः विस्तारित किया जा सकेगा या मुक्त किया जा सकेगा ।

(2) इन नियमों के प्रारंभ के पश्चात् अनुदत्त पेट्रोलियम पट्टा, प्रथम बार में न्यूनतम चार वर्ष और अधिकतम तीस वर्ष के लिए तब तक विनिमान्य होगा, जब तक इन नियमों के अधीन रद्द न कर दिया जाए ।

8. पट्टेदार के अधिकार—जब तक अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों या संविदा में अन्यथा उपबंधित न हो, पट्टेदार के निम्नलिखित अधिकार होंगे, अर्थात् :—

- (i) पट्टा क्षेत्र में खनिज तेल की खोज करने का अनन्य अधिकार, जिसमें भूवैज्ञानिक और भूभौतिकीय सर्वे करना, कूपों की ड्रिलिंग और खनिज तेल के लिए परीक्षण संक्रिया सम्मिलित हैं, किंतु इन्हीं तक सीमित नहीं हैं;
- (ii) पट्टे वाले क्षेत्र में खनिज तेल को विकसित करने और उत्पादन करने का अनन्य अधिकार, साथ ही ऐसे पट्टे वाले क्षेत्र में और उस पर ऐसे कार्य, भवन, प्लांट, प्लेटफॉर्म, वॉटरवे, सड़कें, पाइपलाइन, बांध, जलाशय, टैंक, पंपिंग स्टेशन, ट्रामवे, रेलवे, संचार केबल, विद्युत पावर लाइन और अन्य संरचना और उपस्कर, और अन्य सुविधाएं बनाने और उनका रखरखाव करने का अधिकार, जो पेट्रोलियम पट्टे के प्रयोजन के लिए, या पेट्रोलियम पट्टे के अधीन अपने उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए आवश्यक हो सकती हैं;
- (iii) तेल के कूपों, स्थापन और उससे संलग्न सुविधाओं को स्थल पुनर्स्थापना, उन्हें छोड़ने और बंद करने के अधिकार और उत्तरदायित्व ;
- (iv) तेलक्षेत्र में बड़ी ऊर्जा परियोजनाओं का अन्वेषण करने, योजना बनाने, विकसित करने और स्थापित करने और उनसे ऊर्जा उत्पादित करने के अधिकार ; और
- (v) तेलक्षेत्र को डीकार्बोनाइजेशन क्रियाकलापों के लिए प्रयुक्त करने के अधिकार ।

9. पट्टा किराया—(1) पट्टेदार, पट्टे वाले क्षेत्र के लिए, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार को, नीचे दी गई दरों पर पट्टा किराया देगा, अर्थात् :—

पट्टा क्षेत्र का प्रति वर्ग किलोमीटर रकम (रुपए में)	वर्ष
दो हजार	पहले वर्ष के प्रारंभ से पांचवें वर्ष के पूर्ण होने तक ।
चार हजार	छठे वर्ष के प्रारंभ से दसवें वर्ष के पूर्ण होने तक ।
छह हजार	ग्यारहवें वर्ष के प्रारंभ से पंद्रहवें वर्ष के पूर्ण होने तक ।
आठ हजार	सोलहवें वर्ष के प्रारंभ से बीसवें वर्ष के पूर्ण होने तक।
दस हजार	इक्कीसवें वर्ष के प्रारंभ से और उसके पश्चात् ।

(2) उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट दरें, केंद्रीय सरकार द्वारा, इन नियमों के प्रारंभ से प्रत्येक पांच वर्ष में अधिक से अधिक दस प्रतिशत तक बढ़ाई जा सकेगी और दरों में कोई परिवर्तन इन दरों में परिवर्तन से पूर्व अनुदत्त किसी पेट्रोलियम पट्टा पर लागू नहीं होगा ।

(3) पट्टेदार, पेट्रोलियम पट्टा मिलने के तीस दिन के भीतर, प्रथम वर्ष के पट्टा किराए का, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार को अग्रिम संदाय करेगा और वह पट्टा, संदाय प्राप्ति की तारीख से लागू होगा ।

(4) पट्टेदार प्रत्येक पश्चात्वर्ती वर्ष के लिए पेट्रोलियम पट्टे की प्रत्येक वर्षगांठ पर या उससे पूर्व, विनिर्दिष्ट दर पर वार्षिक पट्टे किराया का अग्रिम संदाय करता रहेगा ।

(5) पट्टेदार द्वारा संदर्भ कोई अधिक पट्टा किराया, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, पेट्रोलियम पट्टा के पश्चात्वर्ती वर्षों के लिए देय पट्टा किराया या स्वामिस्व में समायोजित किया जा सकेगा ।

(6) यदि पेट्रोलियम पट्टा रद्द हो जाता है, तो पट्टेदार द्वारा ऐसे रद्दकरण से पूर्व संदर्भ पट्टा किराया प्रतिदेय या समायोजित नहीं किया जाएगा ।

10. पेट्रोलियम पट्टा की अवधि का विस्तार—(1) यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से राज्य सरकार, किसी पेट्रोलियम पट्टे को इन नियमों के अनुसार, क्षेत्र के आर्थिक जीवनकाल के अंत तक, एक या अधिक किश्तों में, विस्तारित कर सकेगी :

परंतु पेट्रोलियम पट्टे के विस्तार की किसी एक किश्त की अवधि तीन मास से अन्यून और तीस वर्ष से अनधिक होगी ।

स्पष्टीकरण—इस नियम के प्रयोजन के लिए, “क्षेत्र के आर्थिक जीवनकाल के अंत” से समय का वह बिंदु अभिप्रेत है, जिसके पश्चात् उत्पादन जारी रखना वाणिज्यिक रूप से लाभप्रद साबित नहीं होता है ।

(2) क्षेत्र के आर्थिक जीवनकाल का मूल्यांकन, अच्छे अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम उद्योग व्यवहार और सुसंगत तथ्यों को ध्यान में रखकर किया जाएगा, जिसमें विद्यमान बाजार की प्रास्थिति, संसाधन पुनःप्राप्ति तकनीक, और शुद्ध विद्यमान कीमत, नकदी प्रवाह, और आरक्षित मूल्यांकन जैसे स्वीकार्य वित्तीय उपाय सम्मिलित हैं, किंतु इन्हीं तक सीमित नहीं हैं, और यह केंद्रीय सरकार द्वारा अवधारित किए गए अनुसार होगा ।

(3) पेट्रोलियम पट्टे की अवधि के विस्तार के लिए आवेदन, अनुसूची 3 में विनिर्दिष्ट प्ररूप में निम्नलिखित को प्रस्तुत किया जाएगा,—

(i) केंद्रीय सरकार को, जहां पेट्रोलियम पट्टा केंद्रीय सरकार ने प्रदान किया है ; या

(ii) केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार को, जहां पेट्रोलियम पट्टा राज्य सरकार ने प्रदान किया है।

(4) उपनियम (3) के अधीन आवेदन, अवधि या विस्तारित अवधि की आधी अवधि की समाप्ति के पश्चात्, किंतु अवधि या विस्तारित अवधि की समाप्ति के छह मास पूर्व के पश्चात् नहीं, किसी भी समय प्रस्तुत किया जाएगा ।

(5) उपनियम (3) के अधीन प्रस्तुत आवेदन के साथ पांच हजार रूपये की अप्रतिदेय प्रक्रिया फीस संलग्न होगी ।

(6) आवेदन की स्वीकृति या अस्वीकृति के विनिश्चय से, आवेदन प्राप्ति के एक सौ अस्सी दिन के भीतर लिखित में पट्टेदार को संसूचित किया जाएगा ।

(7) यदि राज्य सरकार आवेदन प्राप्ति के नब्बे दिनों के भीतर आवेदन पर अपने विनिश्चय से संसूचित नहीं करती है, तो केंद्रीय सरकार, आवेदक के अनुरोध पर या स्वतः, राज्य सरकार को आवेदन पर शीघ्र विनिश्चय के लिए सलाह देगी ।

(8) एक सौ अस्सी दिन की अवधि की समाप्ति पर, यदि, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा आवेदन पर विनिश्चय नहीं किया गया है, तो—

(i) केंद्रीय सरकार के राज्यक्षेत्र में आने वाले क्षेत्र के संबंध में प्रस्तुत किया गया आवेदन, केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया समझा जाएगा और केंद्रीय सरकार, अनुसूची 4 में विनिर्दिष्ट प्ररूप में पेट्रोलियम पट्टे के विस्तार को प्रदान करेगी ; और

(ii) राज्य सरकार के राज्यक्षेत्र में आने वाले क्षेत्र के संबंध में, राज्य सरकार द्वारा अस्वीकृत किया हुआ समझा जाएगा ।

(9) यदि उपनियम (3) के अधीन आवेदन की स्वीकृति की दशा में, अनुसूची 4 में विनिर्दिष्ट प्ररूप में पेट्रोलियम पट्टे का विस्तार अनुदत्त किया जाएगा ।

(10) नियम 9 के अधीन पेट्रोलियम पट्टा की विस्तारित अवधि के दौरान लागू किराए की दर अवधारित करने के लिए, पेट्रोलियम पट्टा की मूल और विस्तारित, दोनों अवधियों को निरंतर अवधि समझा जाएगा ।

उदाहरण

किसी पट्टेदार को दस वर्ष के लिए पेट्रोलियम पट्टा प्रदत्त किया गया है और तत्पश्चात् पट्टे को दस वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए विस्तारित किया जाता है, तो, पट्टेदार, नियम 9 के अधीन विस्तारित अवधि के प्रथम वर्ष में ग्यारहवें वर्ष के लिए लागू दर पर किराया संदर्भ करेगा ।

11. पट्टा क्षेत्र का त्याग—(1) जब तक संविदा या पेट्रोलियम पट्टे में अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो, पट्टेदार निम्नलिखित का त्याग कर सकेगा,--

(i) उस क्षेत्र के अतिरिक्त, जहां उत्पादन कार्य किए जा रहे हैं, पट्टे क्षेत्र का किसी भाग का, ऐसा करने के अपने आशय की कम से कम नब्बे दिन की लिखित सूचना देकर ; या

(ii) पट्टे क्षेत्र के किसी भाग का, जहां उत्पादन कार्य किए जा रहे हैं, ऐसा करने के अपने आशय की कम से कम एक सौ अस्सी दिन की लिखित सूचना देकर ।

(2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट लिखित सूचना निम्नलिखित को दी जाएगी,--

(i) केंद्र सरकार को, जहां पेट्रोलियम पट्टा केंद्रीय सरकार द्वारा प्रदान किया गया है ; और

(ii) केंद्रीय सरकार के साथ-साथ राज्य सरकार को, जहां पेट्रोलियम पट्टा राज्य सरकार द्वारा अनुदत्त किया गया है ।

(3) पट्टे वाले क्षेत्र या उसके किसी भाग के त्याग की प्रभावी तारीख वह तारीख होगी, जो सूचना में विनिर्दिष्ट हो या जो उपनियम (1) के अधीन उपबंधित समयसीमा की समाप्ति तारीख है, दोनों में से जो भी पश्चात्वर्ती हो ।

(4) पेट्रोलियम पट्टा, इस तरह त्यागे गए किसी क्षेत्र की सीमा तक, रद्द हो जाएगा ।

(5) इस नियम के अधीन कोई त्याग, पट्टा, संविदा और प्रवृत्त विधि के अधीन पट्टेदार की अन्य उत्तरदायित्वों के अनुपालन के अधीन होगा ।

12. पट्टे वाले क्षेत्र का विस्तार, जहां जलाशय किसी ऐसे क्षेत्र तक विस्तारित है, जो किसी व्यक्ति को नहीं दिया गया है—(1) यदि किसी पट्टेदार को यह विश्वास करने का कारण है कि पट्टे वाले क्षेत्र में पाया गया कोई जलाशय किसी ऐसे क्षेत्र में तक विस्तारित हो सकेगा, जो किसी व्यक्ति को पट्टे पर या अन्यथा अनुदत्त नहीं किया गया है, तो पट्टेदार, तत्काल केंद्रीय सरकार को ऐसे विस्तार के बारे में सूचित करेगा और जलाशय के ऐसे

विस्तार की सीमा का पता लगाने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा और यदि आवश्यक हो, तो उक्त प्रयोजन के लिए नियम 62 के अधीन एक विशेष पेट्रोलियम पट्टी की अपेक्षा कर सकेगा।

(2) जलाशय की सीमाओं को अवधारित करने पर, पट्टेदार, पट्टे वाले क्षेत्र का विस्तार जलाशय की सीमाओं तक करने के लिए इस नियम के अनुसार निम्नलिखित को एक आवेदन प्रस्तुत करेगा :

(i) केंद्रीय सरकार को, जहां पेट्रोलियम पट्टा केंद्रीय सरकार द्वारा अनुदत्त किया गया है; और

(ii) केंद्रीय सरकार के साथ-साथ राज्य सरकार को, जहां पेट्रोलियम पट्टा राज्य सरकार द्वारा अनुदत्त किया गया है।

(3) पट्टे वाले क्षेत्र के विस्तार के लिए आवेदन अनुसूची 5 में विनिर्दिष्ट प्ररूप में प्रस्तुत किया जाएगा।

(4) यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार, जिसको उपनियम (2) के अधीन आवेदन प्रस्तुत किया गया है, आवेदन मिलने के एक सौ अस्सी दिन के भीतर आवेदन पर विनिश्चय करेगी।

(5) राज्य सरकार द्वारा आवेदन प्राप्ति के नब्बे दिन के भीतर आवेदन पर अपने विनिश्चय से संसूचित नहीं करने की दशा में, केंद्रीय सरकार, आवेदक के अनुरोध पर या स्वतः, राज्य सरकार को आवेदन पर शीघ्र विनिश्चय के लिए सलाह देगी।

(6) एक सौ अस्सी दिन की अवधि की समाप्ति पर, यदि, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा आवेदन पर विनिश्चय नहीं किया गया है, तो—

(i) केंद्रीय सरकार के राज्यक्षेत्र में आने वाले क्षेत्र के संबंध में प्रस्तुत किया गया आवेदन, केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया समझा जाएगा और केंद्रीय सरकार, अनुसूची 6 में विनिर्दिष्ट प्ररूप में क्षेत्र का विस्तार अनुदत्त करेगी; और

(ii) राज्य सरकार के राज्यक्षेत्र में आने वाले क्षेत्र के संबंध में, राज्य सरकार द्वारा अस्वीकृत किया हुआ समझा जाएगा।

(7) यदि उपनियम (2) के अधीन आवेदन स्वीकृत होता है, तो क्षेत्र का विस्तार अनुसूची 6 में विनिर्दिष्ट प्ररूप में अनुदत्त किया जाएगा।

(8) संबद्ध पट्टेदार, इस नियम के अधीन कोई कार्रवाई किए जाने या किसी कार्रवाई के लंबित रहने के कारण पट्टा क्षेत्र में किसी खनिज तेल के परिचालन को निलंबित या स्थगित नहीं रखेगा।

13. इकाईकरण—(1) यदि किसी पट्टेदार को यह विश्वास करने का कारण है कि पट्टा क्षेत्र में पाए जाने वाला कोई जलाशय किसी व्यक्ति को पट्टे पर या अन्यथा प्रदत्त क्षेत्र में विस्तारित हो सकता है, तो पट्टेदार जलाशय के विस्तार से संबंधित आवश्यक दस्तावेज और सूचना तुरंत निम्नलिखित को प्रस्तुत करेगा,--

(i) केंद्रीय सरकार;

(ii) राज्य सरकारें, जिनका उस क्षेत्र पर अधिकार क्षेत्र है, जहां जलाशय का भाग या पूर्ण जलाशय स्थित है; और

(iii) उन क्षेत्रों के सभी पट्टेदार, जिनमें जलाशय का विस्तार है।

(2) सभी संबंधित पट्टेदार,--

(i) जलाशय की सीमाओं का पता लगाने और जलाशय से खनिज तेलों की संयुक्त खोज, विकास और उत्पादन की संभावना का पता लगाने के लिए एक दूसरे के साथ परस्पर सहयोग करेंगे ; और

(ii) खनिज तेल की खोज की संक्रिया कार्यकुशलता को अधिकतम करने के लिए मिलकर खनिज तेल की खोज, विकास और उत्पादन कर सकेंगे ।

(3) जहां संबद्ध पट्टेदार संयुक्त रूप से खनिज तेलों की खोज, विकास या उत्पादन करने का आशय रखते हैं, वे केंद्रीय सरकार को एक संयुक्त विकास कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे और एक इकाई के रूप में जलाशय से खनिज तेलों की संयुक्त खोज, विकास या उत्पादन के लिए केंद्रीय सरकार के साथ एक करार करेंगे ।

(4) संबद्ध पट्टेदार इस नियम के अधीन किसी कार्रवाई को करने या किसी कार्रवाई के लंबित रहने के कारण किसी भी खनिज तेल संचालन को निलंबित या स्थगित नहीं रखेंगे ।

14. खनिज तेलों पर स्वामिस्व और विवरणी तथा ब्यौरे प्रस्तुत करना—(1) पट्टेदार, पट्टे वाले क्षेत्र से उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किसी भी खनिज तेल के लिए, अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर पर,—

(i) जहां पेट्रोलियम पट्टा केंद्रीय सरकार द्वारा प्रदत्त किया गया है, केंद्रीय सरकार को स्वामिस्व का संदाय करेगा ; और

(ii) जहां पेट्रोलियम पट्टा राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त किया गया है, वहां राज्य सरकार को स्वामिस्व का संदाय करेगा,

और स्वामिस्व मासिक आधार पर संदेय होगा और उस अवधि के, जिसके संबंध में यह देय है, के पश्चात् वाले मास के अंतिम दिन तक संदाय किया जाएगा :

परंतु, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से राज्य सरकार यह निर्देश दे सकेगी कि ऐसा स्वामिस्व खनिज तेल में दिया जाए :

परंतु यह और कि किसी ऐसे खनिज तेल के लिए, जो अपरिहार्य रूप से खो जाता है या जलाशय में वापस आ जाता है या ड्रिलिंग या खनिज तेल के उत्पादन से संबद्ध अन्य कार्यों के लिए प्रयुक्त होता है, कोई स्वामिस्व देय नहीं होगा ।

(2) पट्टेदार प्रत्येक मास के पहले सात दिन के भीतर, पेट्रोलियम पट्टे के अनुसरण में संचालित खनिज तेल संक्रियाओं से पिछले मास के दौरान उत्पादित सभी खनिज तेल की मात्रा दिखाते हुए, अनुसूची 7 में विनिर्दिष्ट प्ररूप में, निम्नलिखित को एक विवरणी प्रस्तुत करेगा या कराएगा :

(i) केंद्रीय सरकार को, जहां पेट्रोलियम पट्टा केंद्रीय सरकार द्वारा प्रदत्त किया गया है ; और

(ii) केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार को, जहां पेट्रोलियम पट्टा राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त किया गया है ।

(3) जहां कोई जलाशय दो या अधिक राज्य सरकारों या केंद्रीय सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है, वहां प्रत्येक सरकार अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले जलाशय की सीमा के अनुपात में स्वामिस्व की हकदार होगी ।

(4) यदि, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार उपनियम (2) के अनुसार प्रस्तुत किसी विवरणी से संतुष्ट नहीं है तो वह,—

(i) पटेदार से उत्पादित खनिज तेलों के संबंध में अतिरिक्त सूचना प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगी ; या

(ii) उत्पादित खनिज तेल के संबंध में आवश्यक जांच करने के लिए भारत सरकार के निदेशक के पद से अन्यून किसी अधिकारी को नियुक्त कर सकेगी ।

(5) उपनियम (4) के अधीन नियुक्त अधिकारी,--

(i) आवश्यकतानुसार जांच संचालित कर सकेंगे, या

(ii) पटेदार या प्रबंधक या ऐसे पटेदार के प्रबंधक या सचिव के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति को उसके कब्जे या नियंत्रण में किसी भी पुस्तकों, खातों, दस्तावेजों को निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है, जिन्हें अधिकारी उत्पादित खनिज तेल की मात्रा का पता लगाने के लिए आवश्यक समझता है और उनकी प्रतियां बना सकेगा ।

(6) उप-नियम (5) के अधीन जाँच पूरी होने पर अधिकारी, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(7) अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की प्राप्ति पर, यथास्थिति केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, यदि उनकी यह राय है कि वापसी में घोषित किसी भी खनिज तेल की मात्रा गलत है, तो ऐसे खनिज तेलों की मात्रा निर्धारित कर सकती है और ऐसे निर्धारण पर, पटेदार को घोषित मात्रा से अधिक मूल्यांकित मात्रा पर तुरंत रॉयल्टी का भुगतान करने और इन नियमों के अधीन अधिरोपित की जा सकने वाली शास्ति के साथ उस पर व्याज का भुगतान करने की आवश्यकता होगी।

15. स्थिरीकरण—(1) विधि में परिवर्तन होने की स्थिति में, प्रभावित पटेदार को यथासंभव उस आर्थिक संतुलन की पुनः स्थापना का अधिकार होगा, जो विधि में परिवर्तन की तारीख से तुरन्त पहले विद्यमान था।

(2) प्रभावित पटेदार विधि में ऐसे परिवर्तन के होने की तारीख से नब्बे दिन के भीतर केन्द्रीय सरकार और संबंधित राज्य सरकार को विधि में ऐसे परिवर्तन के कारण आर्थिक लाभ में अनुमानित कमी की सूचना देगा तथा उसे प्रमाणित करने वाले सहायक दस्तावेज प्रस्तुत करेगा एवं केन्द्रीय सरकार या संबंधित राज्य सरकार इस संबंध में कोई अतिरिक्त जानकारी या दस्तावेज मांग सकती है और प्रभावित पटेदार साठ दिन की अवधि के भीतर उसे उपलब्ध कराएगा।

(3) प्रभावित पटेदार और केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, जैसा भी मामला हो, विधि में परिवर्तन होने की तारीख से एक वर्ष के भीतर सौहार्दपूर्ण ढंग से पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान पर पहुंचने के लिए अपना सर्वोत्तम प्रयास करेंगे।

(4) यदि प्रभावित पटेदार और केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, जैसा भी मामला हो, मामले को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने में असमर्थ हैं, तो पटेदार उप-नियम (3) में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर ऐसी राशियों का अनंतिम समायोजन आरंभ कर सकता है, जैसा कि वह उचित रूप से मानता है कि उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट उसी वित्तीय स्थिति में, यथास्थिति केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को देय शोध्यों के विरुद्ध, उप-नियम (5) में उपबंधित की गई रीति से उसे बहाल करने के लिए आवश्यक है।

(5) उप-नियम (4) के अधीन कटौती, प्रथमतः, पटेदार द्वारा अनुबंध, पट्टा, अधिनियम या इन नियमों के अधीन देय किसी बकाया राशि में से की जा सकेगी, ताकि-

(i) केन्द्रीय सरकार, जहां विधि में परिवर्तन संसद द्वारा किया जाता है; और

(ii) राज्य सरकार, जहाँ विधि में परिवर्तन उस राज्य के विधानमंडल द्वारा किया जाता है:

परन्तु पट्टेदार, केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनों को कम से कम तीस दिन का पूर्व नोटिस देने के पश्चात, ऐसी कटौती के बाद शेष बची किसी भी राशि को देय बकाया राशि के विरुद्ध समायोजित कर सकेगा—

(i) राज्य सरकार, जहाँ विधि में बदलाव संसद द्वारा किया जाता है; और

(ii) केन्द्रीय सरकार, जहाँ विधि में बदलाव राज्य की विधानसभा द्वारा किया जाता है।

(6) पट्टेदार, उसके द्वारा की गई प्रत्येक कटौती के बारे में केन्द्रीय सरकार और संबंधित राज्य सरकारों को सूचित करेगा, जिसमें कटौती की गई राशि का उल्लेख होगा तथा की गई कटौतियों से संबंधित अन्य सभी सुसंगत एवं आवश्यक सूचना उपलब्ध कराई जाएगी।

(7) यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, इस नियम के अधीन की गई किसी कटौती पर, संविदा या पट्टे में विवाद समाधान प्रक्रिया के अनुसार, जैसी भी स्थिति हो, विवाद करने की हकदार होगी।

स्पष्टीकरण।—इस नियम के प्रयोजनों के लिए, “विधि में परिवर्तन” से निम्नलिखित में परिवर्तन अभिप्रेत होगा: —

(i) पेट्रोलियम पट्टे की तारीख के बाद पट्टेदार द्वारा देय भारत में लागू विधि के अधीन कर, शुल्क, उदग्रहण, उपकर, फीस, रॉयलटी, प्रभार, अधिरोपण जिसके परिणामस्वरूप पट्टेदार को आर्थिक लाभ में कमी आती है, या

(ii) भारत में श्रमिक और नियोजन, पर्यावरण की सुरक्षा, स्वास्थ्य या सुरक्षा, या स्थान प्रत्यावर्तन और बंद किए बिना, जुड़े कोई भी विधि जो अभी लागू हैं, जिससे पेट्रोलियम पट्टे की तारीख के पश्चात् किसी भी वित्तीय वर्ष में पट्टा लेने वाले को यूएसडी 5,000,000 (यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर्स पांच मिलियन) से ज्यादा का आर्थिक लाभ कम हो जाता है,

चाहे ऐसा बदलाव दर में बदलाव, भारत में लागू विधि में बदलाव, या किसी न्यायालय के फैसले की व्याख्या में बदलाव की वजह से हुआ हो, जो पेट्रोलियम पट्टे की तारीख से पहले की ऐसी व्याख्या या आवेदन की तुलना में आंतिम, निश्चायक और बाध्यकारी हो गया है।

16. पट्टा क्षेत्र के बाहर से खनिज तेलों के उत्पादन के लिए प्रचलित बाजार मूल्य का भुगतान।—यदि कोई व्यक्ति पट्टा क्षेत्र के बाहर किसी क्षेत्र में स्थित कुएं या बोरहोल से खनिज तेलों का उत्पादन करता है, तो केन्द्रीय सरकार अधिनियम की धारा 9 में निर्दिष्ट शास्ति के अतिरिक्त ऐसे व्यक्ति को पट्टा क्षेत्र के बाहर उत्पादित खनिज तेलों के प्रचलित उचित बाजार मूल्य का भुगतान करने की अपेक्षा कर सकती है, जिसे लागू विधि के अधीन भूमि राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जाएगा:

परन्तु इस नियम के अधीन कोई भी कार्रवाई, लागू विधि के अधीन केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को उपलब्ध किसी अन्य विधिक उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगी।

17. पट्टे के विलय के लिए आवेदन।—(1) एक से अधिक पेट्रोलियम पट्टा रखने वाला पट्टेदार खनिज तेल संसाधनों के कुशल विकास, संचालन या प्रबंधन के लिए दो या अधिक पट्टा क्षेत्रों को एकल पट्टे में विलय या संयोजित करने के लिए केन्द्रीय सरकार और संबंधित राज्य सरकार को आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

(2) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, किसी विलयित या संयुक्त क्षेत्र के लिए ऐसा पेट्रोलियम पट्टा, पट्टेदार और यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, के बीच पारस्परिक रूप से सहमति नियमों और शर्तों पर प्रदान कर सकेगी।

18. पट्टे का रद्द करना।- (1) यदि पट्टेदार पेट्रोलियम पट्टे की अवधि के दौरान किसी भी समय-

- (i) इसमें दिए गए किसी भी नियम, प्रसंविदा और शर्त को पूरा करने में असफल रहता है या उसका उल्लंघन करता है; या
- (ii) पट्टे पर दिए गए क्षेत्र का प्रयोग उन सही कामों के लिए नहीं करता जिनके लिए उसे दिया गया था; या
- (iii) पट्टे पर दिए गए क्षेत्र का प्रयोग उस प्रयोजन के अतिरिक्त किसी और काम के लिए किया जाता है जिसके लिए उसे दिया गया है; या
- (iv) पेट्रोलियम पट्टे के संबंध में देय किसी भी पट्टा किराया, रॉयल्टी या अन्य का भुगतान तीन महीने से अधिक की अवधि के लिए करने में विफल रहता है,

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, जैसा भी मामला हो, पट्टेदार को नोटिस जारी कर सकती है जिसमें उसे 90 दिनों के भीतर यह बताने का निर्देश दिया जाएगा कि पेट्रोलियम पट्टा क्यों न रद्द कर दिया जाए।

(2) जहां केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, जैसा भी मामला हो, पट्टेदार द्वारा किए गए अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात, -

- (i) यदि वह इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि गलती, नियम तोड़ना या इस्तेमाल ठीक करने लायक नहीं है, या ठीक करने लायक है, लेकिन नव्वे दिन के नोटिस अवधि के अंदर ठीक नहीं किया गया है, तो वह नियम 5 के अधीन जमा की गई सुरक्षा जमा की पूरी रकम या उसका कोई भाग जब्त कर सकता है और पेट्रोलियम पट्टे को रद्द कर सकता है; या
- (ii) यदि वह इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि विफलता, उल्लंघन या उपयोग सुधार योग्य प्रकृति का है और नव्वे दिन की नोटिस अवधि के अन्दर उसका सुधार कर दिया गया है, तो नियम 5 के अधीन की गई सुरक्षा जमा को पूरी तरह या उसके किसी भाग को जब्त कर सकता है, किन्तु पेट्रोलियम पट्टे को रद्द नहीं करेगा:

परन्तु कि राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किए बिना पेट्रोलियम पट्टा रद्द नहीं करेगी।

(3) जहां केन्द्रीय सरकार ने पट्टेदार के साथ कोई संविदा की है, वहां संविदा की समाप्ति पर पेट्रोलियम पट्टा पर्यावरण हो जाएगा।

(4) इस नियम के अधीन की गई कोई भी कार्रवाई इन नियमों के अधीन न्यायाधिकरण की शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगी।

अध्याय 4

पेट्रोलियम पट्टा से संबंधित अन्य उपबंध

19. क्षेत्रों की पहचान।- पट्टेदार पट्टा क्षेत्र के भीतर जहां भी कार्य किए जा रहे हैं, उन सभी प्रमुख स्थानों पर नोटिस प्रदर्शित करेगा।

20. अंतरण या समनुदेशन।- (1) पट्टेदार, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के साथ उनकी लिखित सहमति के बिना पेट्रोलियम पट्टे में अपने अधिकारों, हक और हित को समनुदित या अंतरित नहीं करेगा:

परन्तु यदि पेट्रोलियम पट्टे में अधिकारों, हक और हितों का हस्तांतरण या समनुदेशन संविदा के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा पहले से अनुमोदित भाग लेने वाले हितों के हस्तांतरण या समनुदेशन के परिणामस्वरूप या उसके अनुसार होता है, तो यथास्थिति केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, उप-नियम (1) के अधीन अपनी सहमति नहीं रोकेगी।

(2) उप-नियम (1) के अधीन सहमति प्रदान किए जाने पर पेट्रोलियम पट्टे में उस तारीख से संशोधन किया जाएगा, जिस तारीख को अंतरण या समनुदेशन प्रभावी किया गया हो।

21. पूर्वक्रय.- (1) खनिज तेलों के संबंध में राष्ट्रीय आपात की स्थिति में, केन्द्रीय सरकार को पट्टाकृत क्षेत्र से उत्पादित खनिज तेलों अथवा खनिज तेलों से बने खनिज तेल उत्पादों पर पूर्वक्रय का अधिकार होगा:

परन्तु पूर्व क्रय के समय प्रचलित उचित बाजार मूल्य का भुगतान केन्द्रीय सरकार द्वारा पट्टेदार को पूर्व क्रय में लिए गए खनिज तेलों अथवा खनिज तेल उत्पादों के लिए किया जाएगा।

(2) किन परिस्थितियों में खनिज तेलों के संबंध में राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है, इस बारे में केन्द्रीय सरकार का निर्णय अंतिम होगा।

22. सामान्य उपबंध.-- (1) पट्टेदार,-

(i) पट्टे पर दिए गए क्षेत्र में खनिज तेल बनाने वाले सभी उपकरण, साधन और कुओं को अच्छी हालत में और रिपेयर करके रखें; और

(ii) सभी खनिज तेल संक्रिया सुरक्षित, सही और काम करने योग्य रीति से और अच्छे अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम उद्योग प्रथा के अनुसार करें।

(2) जहां केन्द्रीय सरकार की राय में, खनिज तेल का संचालन अच्छे अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम उद्योग प्रथाओं के अनुसार नहीं किया जा रहा है, वहां केन्द्रीय सरकार लिखित में एक आदेश पारित करेगी जिसमें पट्टेदार द्वारा अपने संचालन को अच्छे अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम उद्योग प्रथाओं के अनुरूप करने के लिए उठाए जाने वाले आवश्यक कदमों को निर्धारित किया जाएगा:

परन्तु-

(i) पट्टेदार को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा;

(ii) आदेश में इसके कारण लिखित में रिकार्ड किए जाएंगे; और

(iii) यह आदेश खनिज तेल की वापसी को अच्छा बनाने, जलाशय का अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने, सुरक्षा सुनिश्चित करने या संधारणीय रीति को अपनाकर पर्यावरण को बचाने के प्रयोजन से दिया जाएगा।

23. प्राकृतिक गैस से हीलियम की पुनर्प्राप्ति.- यदि पट्टे पर दिए गए क्षेत्र से प्राकृतिक गैस के साथ कोई हीलियम उत्पादित होता है, तो पट्टेदार लिखित रूप में तत्काल केन्द्रीय सरकार को इसकी सूचना देगा और उसके बाद लागू विधि के अनुसार हीलियम को निकाल सकता है, उपयोग कर सकता है, बेच सकता है या अन्यथा उसका निपटान कर सकता है।

24. पेट्रोलियम पट्टे के रद्द होने पर खनिज तेल परिचालन की निरंतरता.- पेट्रोलियम पट्टे या उसके किसी भाग के रद्द होने पर, पट्टेदार, यदि केन्द्रीय सरकार द्वारा अपेक्षित हो तो, केन्द्रीय सरकार के खर्चे पर, ऐसे रद्द होने से एक वर्ष से अनधिक की विनिर्दिष्ट अवधि के लिए,-

- (i) जब तक केन्द्रीय सरकार अथवा उसकी नामनिर्दिष्ट इकाई पूर्ण परिचालन नियंत्रण नहीं ले लेती, तब तक खनिज तेल परिचालन की निरंतरता बिना किसी व्यवधान के सुनिश्चित करने में पूर्ण सहयोग करना;
- (ii) अधिकार में लेने के लिए आवश्यक सभी तकनीकी और प्रचालन के लिए सहायता देना, जिसमें आवश्यक कर्मचारी, प्रलेखन और प्रणाली में पहुंच देना शामिल है; और
- (iii) अधिकार में लेने के बाद प्रचालन निरंतरता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी सहायता, प्रलेखन, या व्यक्तिगत सहायता देना।

25. पेट्रोलियम पट्टे के निर्धारण पर परिसर का परिदान।— जब तक कि नियम 24 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अन्यथा निर्देशित न किया जाए, पेट्रोलियम पट्टे या उसके किसी भाग के रद्द होने, समाप्ति या त्यागने पर, पट्टेदार स्थान की बहाली के पूरा होने के बाद ऐसे रद्दीकरण, समाप्ति या त्याग से मुक्त किए गए क्षेत्र को सौंप देगा, और संविदा की शर्तों के अनुसार खनिज तेल संचालन के लिए उपयोग की जाने वाली परिसंपत्तियों को सौंप देगा और जहां ऐसा कोई संविदा उपलब्ध नहीं है, वहां केन्द्रीय सरकार और पट्टेदार के बीच परस्पर सहमत शर्तों के अनुसार होगा।

26. ब्याज।— इन नियमों के अधीन सभी पट्टा किराया, रॉयल्टी और अन्य भुगतान, यदि केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को, जैसी भी स्थिति हो, ऐसे भुगतान के लिए विनिर्दिष्ट समय के भीतर नहीं किए जाते हैं, तो उन पर भारतीय स्टेट बैंक की प्रधान उधार दर के बराबर साधारण ब्याज और दो प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से देय होगा, जिसकी गणना देय तारीख से वास्तविक भुगतान की तारीख तक की जाएगी।

27. सतही अधिकार।— (1) पट्टेदार, खनिज तेल संक्रियाएं संचालित करने के प्रयोजन के लिए वास्तव में उपयोग की जाने वाली भूमि को, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकरण या अन्य व्यक्तियों से क्रय करके या पट्टे पर अलग से प्राप्त करेगा।

(2) जहां सतही क्षेत्र को केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किसी पट्टेदार को पट्टे पर दिया गया है, वहां सरकार या स्थानीय प्राधिकरण को देय सतही किराया भूमि पर निर्धारित या निर्धारित किए जाने वाले भू-राजस्व और उपकर से अधिक नहीं होगा।

अध्याय 5

परिचालनों का विनियमन

28. खनिज तेलों के रिसाव या पानी के प्रवेश को रोकने के लिए कार्यों का नियंत्रण।— केन्द्रीय सरकार पट्टेदार को नोटिस जारी करने के पश्चात्,—

- (i) तेल के कुएं या गैस के कुएं या किसी अन्य खनिज तेल के कुएं के संचालन का नियंत्रण अपने हाथ में लेना और कुएं से खनिज तेल या पानी के रिसाव को रोकने के लिए आवश्यक या समीचीन उपाय अपनाना, यदि पट्टेदार ऐसा करने में विफल रहता है या ऐसा करने में असमर्थ प्रतीत होता है;
- (ii) किसी तेल कुएं या गैस कुएं या किसी अन्य खनिज तेल कुएं के संचालन का नियंत्रण अपने हाथ में लेना और ऐसे कुएं या किसी खनिज तेल युक्त स्तर तक पानी की पहुंच को रोकने के लिए आवश्यक या समीचीन उपाय अपनाना;

(iii) ऊपर बताए गए प्रयोजनों के लिए, किसी अभिकर्ता की नियुक्ति करें और उन्हें जगह में घुसने और ज़रूरी और सही काम करने के लिए प्राधिकृत करें। और इस प्रयोजन के लिए, किसी भी आवश्यक ड्रिलिंग रिंग, डेरिक, टूल्स, मशीनरी और दूसरे साधित्र या पदार्थ को, चाहे वे उस जगह पर उपलब्ध हों या पटेदार के कब्जे या नियंत्रण में हों, कब्जा करने और प्रयोग करने के लिए, उक्त काम को करने के लिए, और

(iv) केंद्रीय सरकार द्वारा किए गए कार्यों के प्रदर्शन में हुए सभी लागतों और खर्चों को पटेदार से वसूलना।

29. प्रचालनों का निलम्बन- कोई भी पटेदार केन्द्रीय सरकार को चौदह दिन का पूर्व नोटिस दिए बिना निम्नलिखित में से कोई भी कार्रवाई नहीं करेगा।-

(i) सामान्य ड्रिलिंग निलंबित करना;

(ii) सामान्य उत्पादन कार्यों को निलंबित करना;

(iii) किसी तेल कुएँ या गैस कुएँ या किसी अन्य खनिज तेल कुएँ को परित्यक्त करना;

(iv) किसी तेल के कुएँ या गैस के कुएँ या किसी दूसरे खनिज तेल के कुएँ को फिर से ठीक करना; या

(v) किसी तेल के कुएँ या गैस के कुएँ या किसी दूसरे खनिज तेल के कुएँ के पहले पूरा होने, रोक दिए जाने या छोड़ दिए जाने के बाद ड्रिलिंग का काम फिर से आरंभ करना:

परन्तु, यदि सामान्य ड्रिलिंग या सामान्य उत्पादन कार्यों को किसी अप्रत्याशित कारण से तत्काल निलंबित करना पड़े, तो इसकी सूचना ऐसे निलंबन के चौबीस घंटे के भीतर केन्द्रीय सरकार को दी जाएगी।

30. तेल क्षेत्रों में व्यापक ऊर्जा परियोजनाओं का विकास और निगरानी- 1) कोई भी पटेदार जो व्यापक ऊर्जा परियोजना विकसित करने का इच्छुक है, उसे परियोजना का विकास प्रक्रिया आरंभ करने से कम से कम छह महीने पहले केन्द्रीय सरकार को एक व्यापक ऊर्जा विकास योजना प्रस्तुत करनी होगी।

(2) व्यापक ऊर्जा विकास योजना में निम्नलिखित शामिल होंगे, अर्थात्- :

(i) खनिज तेल संचालन और ऊर्जा परियोजनाओं के एकीकरण की योजना जिसमें सौर, पवन, हाइड्रोजन, या भूतापीय ऊर्जा परियोजनाएं शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं होगी;

(ii) ऊर्जा स्रोतों को एकीकृत करने के लिए व्यवहार्यता अध्ययन;

(iii) परियोजना की अनुमानित लागत;

(iv) परियोजना की अवधि;

(v) ऊर्जा का अनुमानित सृजन और उत्पादन;

(vi) उत्पादित ऊर्जा की विक्री के लिए रणनीति;

(vii) यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए कि खनिज तेल संचालन और व्यापक ऊर्जा संचालन स्थान पर सुरक्षित रीति से किए जाएं;

(viii) जोखिम प्रबंधन और अनिश्चित घटना के लिए योजना; और

(ix) केन्द्रीय सरकार द्वारा मांगी गई कोई अन्य जानकारी।

(3) केन्द्रीय सरकार व्यापक ऊर्जा विकास योजना में संशोधन कर सकेगी और पटेदार ऐसे संशोधनों के अनुसार परियोजना का कार्य करेगा।

(4) पटेदार व्यापक ऊर्जा विकास योजना में संशोधनों का प्रस्ताव कर सकेगा और योजना केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से संशोधित हो जाएगी।

(5) पटेदार व्यापक ऊर्जा परियोजनाओं को पूरा करने और पेट्रोलियम पटे की समाप्ति के बाद परियोजनाओं को जारी रखने के लिए लागू विधियों के अधीन आवश्यक अनुमोदन, अनुज्ञापत्र और अनुज्ञापत्र प्राप्त करेगा।

अध्याय 6

खनिज तेलों से संबंधित डेटा और नमूनों का संग्रह, एकत्रीकरण, प्रसारण, उपयोग और साझाकरण

31. अन्तर्भाग और नमूने- (1) प्रत्येक पटेदार,-

(i) जहां तक हो सके, पटे के अधीन आने वाले क्षेत्र के सभी बोरहोल में मिले सभी अन्तर्भाग और स्तर के नमूने और किसी भी बोरहोल में मिले किसी भी खनिज तेल या पानी के सैंपल को इकट्ठा करें, लेबल करें और कम से कम बारह महीने के लिए संदर्भ के लिए संभाल कर रखें; और

(ii) अन्तर्भाग और नमूनों की सभी जांच की रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को देना।

(2) परिरक्षित अन्तर्भाग और नमूने जांच के लिए हर समय केन्द्रीय सरकार को उपलब्ध कराए जाएंगे तथा जांच या विश्लेषण के प्रयोजन के लिए लिए जा सकते हैं, परंतु जांच या विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्राप्त कोई भी सूचना पटेदार की सहमति के बिना प्रकाशित नहीं की जाएगी, जब तक कि केन्द्रीय सरकार अन्यथा निर्देश देना उचित न समझे।

32. आंकड़ों में हक और आंकड़े प्रस्तुत करने का पटेदार का कर्तव्य.— (1) खनिज तेल संक्रियाओं के परिणामस्वरूप प्राप्त समस्त आंकड़े केन्द्रीय सरकार की संपत्ति होंगे।

(2) सभी पटेदार खनिज तेल परिचालन के संबंध में या उसके दौरान एकत्रित, उत्पन्न या अन्यथा संसाधित सभी आंकड़ों को शीघ्रता से केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करेंगे।

(3) पटेदार द्वारा प्रस्तुत आंकड़े केन्द्रीय सरकार के मानकों, प्रारूपों तथा प्रोटोकॉल के अनुरूप होंगे।

33. आंकड़ों के उपयोग करने का पटेदार का अधिकार - पटेदार को खनिज तेल परिचालन के परिणामस्वरूप प्राप्त आंकड़ों को निःशुल्क उपयोग करने और अपने स्वयं के अनुसंधान तथा विकास उद्देश्यों के लिए एवं खनिज तेल परिचालन करने के लिए आंकड़ों की प्रतियां रखने का अधिकार होगा।

34. आंकड़ों और नमूनों का उपयोग और प्रसार- (1) केन्द्रीय सरकार को आंकड़ों और नमूनों को किसी भी वैध प्रयोजन के लिए, जिसके अधीन निम्नलिखित प्रयोजन शामिल हैं, परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं हैं, निःशुल्क उपयोग करने का अधिकार होगा, अर्थात्:-

(i) राष्ट्रीय आर्थिक योजना और संसाधन प्रबंधन;

(ii) नीति निर्माण, शैक्षणिक और वैज्ञानिक अनुसंधान;

(iii) भारत में खनिज तेल परिचालन और खनिज तेलों की खोज में निवेश आकर्षित करना और सुविधा प्रदान करना;

(iv) पर्यावरण, भूवैज्ञानिक और सुरक्षा आकलन करना;

(v) धारणीय विकास, पर्यावरण लोच, कार्बन न्यूट्रैलिटी, जैवविविधता परिरक्षण, सामाजिक समता, समाज सशक्तिकरण, धारणीय विकास लक्ष्य को आसान बनाना; और

(vi) भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करना।

(2) केन्द्रीय सरकार आंकड़ों और नमूनों को शैक्षणिक संस्थाओं, अनुसंधान संगठनों, सार्वजनिक निकायों और निवेशकों, चाहे वे घरेलू हों या विदेशी, के साथ उन नियमों और शर्तों पर साझा कर सकेगी, जैसा वह ठीक समझे।

35. सांपत्तिक आंकड़ों का संरक्षण.- (1) पट्टेदार द्वारा केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत किया गया कोई भी आंकड़ा, जिसे प्रस्तुत करते समय स्पष्ट रूप से 'सांपत्तिक' के रूप में पहचाना और चिह्नित किया गया हो, और पट्टेदार द्वारा केन्द्रीय सरकार की समाधान के लिए इस प्रकार के सांपत्तिक स्वरूप का प्रदर्शन किया गया हो, पट्टेदार के सांपत्तिक आंकड़ों के रूप में माना जाएगा।

(2) कोई आंकड़ा सांपत्तिक की योग्यता रखता है या नहीं, इस बारे में केंद्र सरकार का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

(3) केन्द्रीय सरकार के पास सांपत्तिक आंकड़ा तक किसी भी रीति से पहुँचने और उसका उपयोग करने का विश्वव्यापी, स्थायी, रॉयल्टी रहित, अपरिवर्तनीय, उप-अनुज्ञासि देने योग्य और हस्तांतरणीय अधिकार होगा, जो निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए होगा-

(i) राष्ट्रीय आर्थिक योजना और संसाधन प्रबंधन;

(ii) नीति निर्माण, शैक्षणिक और वैज्ञानिक अनुसंधान;

(iii) धारणीय विकास, पर्यावरण लोच, कार्बन तटस्थला, जैवविविधता परिरक्षण, सामाजिक समता, समाज सशक्तिकरण, धारणीय विकास लक्ष्य को आसान बनाना; और

(iv) तलछटी बेसिनों में एकड़ भूमि को बढ़ावा देने के लिए आंकड़ों की आदेशिका और निर्वचन।

(4) केन्द्रीय सरकार पट्टेदार की पूर्व लिखित सहमति के बिना स्वायत्त हक वाले आंकड़ों को किसी निजी तीसरे पक्ष को नहीं बताएगी, न ही इसे सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराएगी और जिस तारीख को ऐसा आंकड़ा अस्तित्व में आया है, उससे सात वर्ष की अवधि तक या केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित ऐसी विस्तारित अवधि तक इसकी गोपनीयता बनाए रखेगी:

परन्तु असाधारण परिस्थितियों में, केन्द्रीय सरकार लागू विधि के अधीन, यदि आवश्यक हो, ऐसा प्रकटन करेगी।

(5) जहां केन्द्रीय सरकार किसी निजी तीसरे पक्ष को सांपत्तिक आंकड़ों का प्रकटन करती है, वह ऐसा इस शर्त पर करेगी कि ऐसा निजी तीसरा पक्ष उस तारीख से सात वर्ष की अवधि के लिए गोपनीयता बनाए रखेगा जिस दिन ऐसा आंकड़ा अस्तित्व में आया था या ऐसी विस्तारित अवधि के लिए जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है।

36. संक्रमणकालीन और परिचालन पहुँच दायित्व.- (1) पेट्रोलियम पट्टे के हस्तांतरण या रद्दीकरण की स्थिति में, पट्टेदार नियम 31 और नियम 32 के अधीन प्रस्तुत किए जाने वाले सभी आंकड़ों और नमूनों को नब्बे दिनों के भीतर केन्द्रीय सरकार को सौंप देगा :

परन्तु पटेदार केन्द्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति से अपने स्वयं के उपयोग, अनुसंधान और विकास या लागू विधियों के अनुपालन के लिए आंकड़े की एक प्रति रख सकता है, लेकिन आंकड़े का कोई अन्य उपयोग करने का हकदार नहीं होगा।

(2) केन्द्रीय सरकार खनिज तेल प्रचालनों की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए उत्तरवर्ती पटेदार अथवा तीसरे पक्ष को डेटा तक पहुँच की अनुमति दे सकती है।

अध्याय 7

पर्यावरण संरक्षण, अकार्बिकरण, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन और फ्लेयर्ड गैस की निगरानी

37. पर्यावरण संरक्षण।— (1) पटेदार लागू पर्यावरण विधियों का पालन करेगा, खनिज तेल परिचालन के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करेगा और खनिज तेल परिचालन करते समय मानव जीवन, संपत्ति, पर्यावरण, समुद्री संसाधनों या नौवहन को होने वाले खतरों को रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा।

(2) उप-नियम) 1) का अनुपालन न करने अथवा उससे विचलन होने की स्थिति में, केन्द्रीय सरकार पटेदार को समयबद्ध ढंग से आवश्यक उपचारात्मक उपाय करने का निर्देश देगी।

(3) जहाँ खनिज तेल परिचालन के संबंध में किसी व्यक्ति, संपत्ति या पर्यावरण को कोई हानि या क्षति पहुँचती है:

- (i) केन्द्रीय सरकार पटेदार के एकमात्र खर्च पर सुधारात्मक उपाय कर सकती है;
- (ii) लागू विधि के अनुसार किसी भी नुकसान या क्षति के लिए किराएदार ज़िम्मेदार होगा; और
- (iii) पटेदार क्षति या नुकसान से उत्पन्न होने वाली किसी भी अन्य हानि और केन्द्रीय सरकार की देनदारियों के लिए उत्तरदायी होगा।

38. ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी।— 1) प्रत्येक पटेदार इन नियमों के प्रारंभ से एक सौ अस्सी दिन के भीतर या क्षेत्र विकास योजना प्रस्तुत करने के साथ, जो भी बाद में हो, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन की निगरानी और कमी के लिए एक योजना प्रस्तुत करेगा, जिसमें आवश्यक विवरण शामिल होंगे, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं होंगे:—

- (i) खनिज तेल परिचालन से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के स्रोतों की पहचान;
- (ii) माप की पद्धति और आवृत्ति;
- (iii) मापन के लिए प्रस्तावित उपकरणों और तकनीकों का संक्षिप्त विवरण;
- (iv) समयबद्ध लक्ष्य में कमी;
- (v) फ्लेयरिंग या वेंटिंग के स्रोत; और
- (vi) शून्य गैस फ्लेयरिंग हासिल करने के लिए मील का पत्थर।

(2) प्रत्येक पटेदार उस महीने क्षेत्र से उत्पादन के 0.5 प्रतिशत से अधिक गैस की मात्रा को न जलाया जाए।

(3) यदि किसी भी समय, भड़की हुई गैस की मात्रा क्षेत्र से दैनिक उत्पादन के 0.5 प्रतिशत से अधिक हो जाती है, तो पटेदार, कारणों को निर्दिष्ट करते हुए, चौबीस घंटे के भीतर, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को सूचित करेगा और गैस के भड़कने को कम करने के लिए तुरंत उपचारात्मक कदम उठाएगा।

(4) प्रत्येक पट्टेदार खनिज तेल परिचालन के दौरान होने वाले ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए सभी आवश्यक उपाय अपनाएंगा।

(5) प्रत्येक पट्टेदार को पिछले महीने उत्पादित और जलाई गई गैस के बारे में मासिक रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करनी होगी।

(6) प्रत्येक पट्टेदार उपनियम 1) में निर्दिष्ट योजना के अनुसार की गई कार्यवाही को प्रकट करते हुए एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जिसमें योजनाओं से किसी भी विचलन और की गई सुधारात्मक कार्रवाई को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(7) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, जैसी भी स्थिति हो, सत्यापन या अनुपालन लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए पट्टेदार को मापने, अनुमान या रिपोर्टिंग का तीसरे पक्ष से स्वतंत्र सत्यापन प्राप्त करने की अपेक्षा कर सकती है।

(8) पट्टेदार उपनियम (1) के अधीन प्रस्तुत योजना की पांच वर्ष में एक बार समीक्षा करेगा और उसे अद्यतन करेगा।

39. ग्रीनहाउस गैस पृथक्करण, अंतःक्षेपण और भण्डारण अनुज्ञापत्र के लिए प्राधिकरण।—(1) कोई भी पट्टेदार जो पट्टे पर दिए गए क्षेत्र के भीतर ग्रीनहाउस गैसों के भूवैज्ञानिक भण्डारण की व्यवहार्यता का आकलन करने का आशय रखता है, किसी भी गतिविधि को आरंभ करने से पहले, केन्द्रीय सरकार से ऐसे मूल्यांकन के लिए प्राधिकार प्राप्त करेगा।

(2) मूल्यांकन पूरा होने पर, पट्टेदार इंजेक्शन अनुज्ञापत्र जारी करने के लिए केन्द्रीय सरकार को आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

(3) प्रथम चरण में इंजेक्शन अनुज्ञापत्र की अवधि दो वर्ष होगी, जिसे उसके बाद संतोषजनक प्रदर्शन और इन नियमों के अनुपालन के आधार पर नवीनीकृत किया जा सकेगा।

(4) अंतःक्षेपण अनुज्ञापत्र केवल स्थायी निक्षेपण के लिए जलाशय की भूगर्भीय उपयुक्तता स्थापित करने हेतु प्रायोगिक परीक्षण और अध्ययन करने के लिए होगा और पट्टेदार को दीर्घकालिक भंडारण अधिकार प्रदान नहीं करेगा।

(5) पट्टेदार ग्रीनहाउस गैसों का इंजेक्शन एक योजना के अनुसार संचालित करेगा जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाएगा और केन्द्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किए बिना योजना से कोई विचलन नहीं किया जाएगा।

(6) इंजेक्शन परीक्षणों के पूरा होने और नामनिर्दिष्ट भूवैज्ञानिक संरचनाओं में पृथक्करण के लिए जलाशय की भूवैज्ञानिक उपयुक्तता की स्थापना के बाद, ग्रीनहाउस गैसों को संग्रहीत करने का आशय रखने वाला पट्टेदार केन्द्रीय सरकार से पृथक्करण प्रयोजनों के लिए ग्रीनहाउस गैसों के स्थायी भंडारण के लिए भंडारण परमिट के लिए आवेदन कर सकता है और प्राप्त कर सकता है।

(7) पट्टेदार, पर्यावरण प्रबंधन योजना और आपदा प्रबंधन योजना केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा, जिसमें भूजल संदूषण, सतही जल प्रभाव तथा वायुमण्लीय उत्सर्जनों सहित पर्यावरण को होने वाले जोखिमों को कम करने के उपायों का उल्लेख होगा तथा उसे योजनाओं का अनुपालन करना होगा।

40. अंतःक्षेपण की गई ग्रीनहाउस गैसों की निगरानी, रिपोर्टिंग और सत्यापन।—(1) पट्टेदार भूवैज्ञानिक संरचना की निरंतर निगरानी करेगा, जिसमें दबाव के स्तर, गैस प्रवास और सील और जलाशय की अखंडता शामिल है, उस अवधि के दौरान जिसके दौरान ग्रीनहाउस गैसों को अंतःक्षेपण किया जाता है।

(2) पटेदार केन्द्रीय सरकार को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जिसमें अंतःक्षेपण की गई ग्रीनहाउस गैसों की मात्रा, जलाशय व्यवहार और अनुमोदित अंतःक्षेपण योजना से किसी भी विचलन का विवरण होगा।

(3) पटेदार ग्रीनहाउस गैस रिसाव या ग्रीनहाउस गैसों से संबंधित किसी भी पर्यावरणीय खतरे की घटना की रिपोर्ट पटेदार द्वारा किए गए उपचारात्मक उपायों के विवरण के साथ तुरंत केन्द्रीय सरकार और संबंधित अधिकारियों को करेगा।

(4) केन्द्रीय सरकार पटेदार के ग्रीनहाउस गैस भण्डारण तथा पृथक्करण गतिविधियों, निगरानी, रिपोर्टिंग तथा सत्यापन डेटा या साइट पर परिचालन का लेखा परीक्षण या सत्यापन करेगी।

स्पष्टीकरण।— इस नियम के प्रयोजनों के लिए, "निगरानी, रिपोर्टिंग और सत्यापन" से निरंतर निरीक्षण, डेटा संग्रहण और रिपोर्टों की आवधिक प्रस्तुति से अभिप्रेत है।

(5) पटेदार सक्रिय पृथक्करण की अवधि के दौरान और अंतःक्षेपण के बाद की अवधि के लिए ग्रीनहाउस गैसों के भंडारण कार्यों के कारण पर्यावरण या सार्वजनिक स्वास्थ्य को होने वाले किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी होगा और उसे प्रभावित पक्षों को मुआवजा देना होगा और पर्यावरण या सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंताओं को दूर करने के लिए उपचारात्मक उपाय करने होंगे।

41. अंतःक्षेपण की गई ग्रीन हाउस गैसों का बंद होना और अंतःक्षेपण करने के पश्चात निगरानी।— (1) ग्रीन हाउस गैस अंतःक्षेपण करने की समाप्ति और निगरानी अवधि के पूरा होने पर, पटेदार केन्द्रीय सरकार को मंजूरी के लिए एक स्थान बंद करने की योजना प्रस्तुत करेगा, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:-

(क) कुओं को बंद करने और छोड़ने की प्रक्रिया;

(ख) पृष्ठ क्षेत्र को उसकी मूल या तय की गई स्थिति में वापस लाना; और

(ग) बंद होने के बाद निगरानी प्रावधान,

और मंजूर साइट क्लोजर योजना, लागू विधियों और अच्छी इंटरनेशनल पेट्रोलियम उद्योग प्रथा के अनुसार साइट क्लोजर के लिए सभी कदम उठाएं।

(2) पटाधारक स्थान बंद होने के बाद कम से कम पांच वर्ष की अवधि तक स्थान की निगरानी करना जारी रखेगा और भूवैज्ञानिक भंडारण की अखंडता सुनिश्चित करेगा तथा किसी भी विसंगति की रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार एवं संबंधित अधिकारियों को करेगा।

42. जली हुई गैस का मापन और रिपोर्टिंग।— (1) पटेदार जली हुई गैस के आयतन को सही-सही मापेगा।

(2) पटेदार जलाई गई गैस का आयतन और उससे संबंधित उत्सर्जन की रिपोर्ट तिमाही आधार पर केन्द्रीय सरकार को देगा।

43. स्थल का जीर्णोद्धार।— (1) पटेदार, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित दिशा-निर्देशों, योजनाओं तथा नीतियों तथा अच्छे अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम उद्योग प्रथाओं के अनुसार स्थल का जीर्णोद्धार करेगा।

(2) पटेदार, केन्द्रीय सरकार के दिशा-निर्देशों, योजनाओं तथा नीतियों के अनुसार स्थल जीर्णोद्धार निधि बनाए रखेगा।

(3) यदि पटेदार उपनियम (1) का अनुपालन करने में विफल होता है तो केन्द्रीय सरकार पटेदार को उपचारात्मक उपाय करने तथा इसकी समयसीमा निर्धारित करने के लिए निदेश जारी कर सकेगी।

(4) उप-नियम (1) अथवा उप-नियम (3) के अधीन जारी निदेशों का अनुपालन करने में विफलता की स्थिति में, केन्द्रीय सरकार पटेदार के एकमात्र खर्च पर उपचारात्मक उपाय करेगी।

(5) पटेदार निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होगा:

(क) लागू विधियों के अनुसार किसी भी व्यक्ति, संपत्ति या पर्यावरण को होने वाली कोई भी हानि या क्षति, और

(ख) ऐसी हानि या क्षति से उत्पन्न होने वाली केंद्रीय सरकार की कोई अन्य हानि और देनदारियां।

अध्याय 8

अवसंरचना और सुविधाओं का बटवारा

44. अवसंरचना क्षमता की घोषणा.—पटेदार, उसके स्वामित्वाधीन खनिज तेल संक्रियाओं से संबंधित अवसंरचना सुविधाओं की संस्थापित, उपयोजित और आधिक्य क्षमता का केंद्रीय सरकार को वार्षिक घोषणा करेगा।

45. पारस्परिक करार द्वारा अवसंरचना का विकास और हिस्सा बटाना.—दो या उससे ज्यादा पटेदार, पारस्परिक रूप से तय पाए गए निबंधनों और शर्तों पर खनिज तेल संक्रियाओं के लिए मिलकर अवसंरचना सुविधाओं संयुक्त रूप से विकसित कर सकेंगे या हिस्सा बटा सकेंगे।

46. अवसंरचना सुविधाओं में अतिरिक्त क्षमता की घोषणा और उपयोग.— (1) जहां पटेदार अवसंरचना सुविधा को साझा करने की शर्तों और दशाओं पर परस्पर सहमत होने में असमर्थ हों, ऐसी सुविधा की अतिरिक्त क्षमता का उपयोग करने की इच्छा रखने वाला कोई भी पटेदार केंद्रीय सरकार को निम्नलिखित का अनुरोध करते हुए प्रतिनिधित्व कर सकता है,—

(i) उपलब्ध अतिरिक्त क्षमता का निर्धारण; और

(ii) ऐसी अतिरिक्त क्षमता के अन्य पक्षकारों द्वारा उपयोग की अनुमति।

(2) ऐसे प्रतिनिधित्व की प्राप्ति पर या लोक हित में स्वप्रेरणा से, केंद्रीय सरकार उस व्यक्ति को, जो अवसंरचना सुविधा का स्वामी है, जिसने उसे विकसित किया है, या जिसने पटे, भाड़े या किसी अन्य विधिसम्मत व्यवस्था के माध्यम से प्राप्त किया है, उसकी अतिरिक्त क्षमता के निर्धारण और उपयोग की अनुमति देने की अपनी आशय दर्शाते हुए एक सूचना जारी करेगी तथा व्यक्ति को सूचना की प्राप्ति से साठ दिनों के भीतर अवसंरचना सुविधा से संबंधित सभी प्रासंगिक सूचनाएं, जिसमें लागतें शामिल हैं, प्रस्तुत करने का निर्देश देगी।

(3) जिस व्यक्ति को सूचना जारी की गई है, वह प्रासंगिक सूचना प्रदान करेगा तथा उप-नियम (2) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर निम्नलिखित भी प्रस्तुत कर सकता है,—

(i) अतिरिक्त क्षमता के प्रस्तावित उपयोग पर आपत्तियां; या

(ii) ऐसी अतिरिक्त क्षमता को साझा करने के लिए उसके द्वारा स्वीकार्य प्रस्तावित निबंधन और शर्तें।

(4) केंद्रीय सरकार, दोनों पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात्, उप-नियम (2) के अधीन सूचना जारी करने की तारीख से एक सौ अस्सी दिनों की अवधि के भीतर कोई आदेश पारित करेगी,—

(i) अतिरिक्त क्षमता के अस्तित्व और विस्तार का निर्धारण, यदि कोई हो; और

(ii) ऐसी अतिरिक्त क्षमता के अन्य पक्षकारों द्वारा उपयोग के लिए शर्तों, दशाओं, युक्तियुक्त शुल्क और अवधि का निर्धारण।

(5) उप-नियम (4) के अधीन आदेश पारित करते हुए केंद्रीय सरकार सभी प्रासंगिक कारकों पर विचार करेगी, जिसमें उस व्यक्ति की परिचालन आवश्यकताएं शामिल हैं जो अवसंरचना सुविधा का स्वामी है, जिसने उसे विकसित किया है, या जिसने पट्टे, भाड़े या किसी अन्य विधिसम्मत व्यवस्था के माध्यम से प्राप्त किया है।

(6) दोनों पक्षकार केंद्रीय सरकार द्वारा पारित आदेश की प्राप्ति से साठ दिनों के भीतर आदेश के अनुसरण में की गई कार्रवाई पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

अध्याय 9

न्यायनिर्णायिक प्राधिकारी

47. कार्यवाही की निरंतरता।— यदि न्यायनिर्णायिक प्राधिकारी के रूप में नामित अधिकारी किसी भी कारणवश पद धारण करना बंद कर देता है, तो कार्यवाही नए नियुक्त न्यायनिर्णायिक प्राधिकारी के समक्ष उसी चरण से जारी रहेगी।

48. न्यायनिर्णयन।— (1) पटेदार या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध शिकायत केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा न्यायनिर्णायिक प्राधिकारी को लिखित रूप में प्रस्तुत की जा सकती है, जिसमें शिकायत में अनिवार्य रूप से निम्नलिखित का खुलासा किया जाना चाहिए, अर्थात्:—

क. अधिनियम और नियमों के अधीन उल्लंघनों और भंगों का विवरण;

ख. उल्लंघन में शामिल व्यक्ति; और

ग. भंगों या उल्लंघनों के कमीशन को प्रमाणित करने वाले दस्तावेज।

(2) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के अतिरिक्त किसी व्यक्ति से प्राप्त शिकायत की प्राप्ति पर, न्यायनिर्णायिक प्राधिकारी प्रारंभिक जांच करेगा तथा शिकायत की प्राप्ति की तारीख से पैंतालीस दिनों की अवधि के भीतर केंद्रीय सरकार को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा।

(3) यदि न्यायनिर्णायिक प्राधिकारी के प्रतिवेदन में मामले को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त आधार का खुलासा होता है, या यदि शिकायत केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा की गई है, तो न्यायनिर्णायिक प्राधिकारी पटेदार या किसी अन्य व्यक्ति, यथास्थिति, को यह स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए कि उसके विरुद्ध जांच क्यों प्रारंभ न की जाए, हेतुक दर्शित करने के लिए सूचना जारी करेगा।

(4) यदि न्यायनिर्णायिक प्राधिकारी के प्रतिवेदन में मामले को आगे बढ़ाने के लिए अपर्याप्त आधार का खुलासा होता है तथा न्यायनिर्णायिक प्राधिकारी संतुष्ट है, तो वह जांच प्रारंभ करने के अनुरोध को अस्वीकार करते हुए एक तर्कयुक्त आदेश पारित करेगा।

(5) न्यायनिर्णायिक प्राधिकारी द्वारा जारी हेतुक दर्शित करने के लिए सूचना में निम्नलिखित शामिल होंगे, अर्थात्:—

(i) अधिनियम और नियमों के अधीन उल्लंघनों और भंगों का विवरण; और

(ii) समर्थनकारी दस्तावेज जिसमें शिकायत की प्रति शामिल है।

(6) हेतुक दर्शित करने के लिए सूचना के स्पष्टीकरण की प्राप्ति से तीस दिनों के भीतर पटेदार को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाएगा।

(7) हेतुक दर्शित करने के लिए सूचना की प्राप्ति पर, पटेदार या कोई अन्य व्यक्ति उक्त सूचना की प्राप्ति की तारीख से साठ दिनों के भीतर लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करेगा तथा अनिवार्य रूप से निम्नलिखित प्रदान करेगा, अर्थात्:—

- (i) मामले की संक्षिप्त पृष्ठभूमि;
- (ii) तथ्यों का विस्तृत कथन;
- (iii) हेतुक दर्शित करने के लिए सूचना में आरोपित प्रत्येक उल्लंघन या भंग के लिए स्पष्टीकरण, औचित्य और विशिष्ट उत्तर;
- (iv) किसी भी आरोपित तथ्य की विशिष्ट अस्वीकृति जो सत्य के रूप में स्वीकार नहीं की गई है;
- (v) स्पष्टीकरण की सामग्री की पुष्टि और सत्यापन करने वाला एक समर्थनकारी शपथ-पत्र; और
- (vi) मामले के समर्थन में भरोसा किए गए सभी दस्तावेज़: परंतु यदि दस्तावेज़ पटेदार या ऐसे व्यक्ति के कब्जे या नियंत्रण में नहीं है, तो स्पष्टीकरण में उस व्यक्ति या इकाई की पहचान का खुलासा किया जाएगा जिसके कब्जे या नियंत्रण में दस्तावेज़ है।

(8) यदि हेतुक दर्शित करने के लिए सूचना जारी किए गए पटेदार या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उप-नियम (7) में विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया जाता है तथा न्यायनिर्णायिक प्राधिकारी संतुष्ट है कि पटेदार के पास स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने के लिए पर्याप्त कारण था, तो वह स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए तीस दिनों की अवधि के विलंब को क्षमा करेगा।

(9) सुनवाई के दौरान, पटेदार या कोई अन्य व्यक्ति स्वयं या अपने विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से मौखिक प्रस्तुतियां कर सकता है तथा न्यायनिर्णायिक प्राधिकारी को लिखित प्रस्तुतियां समर्थनकारी दस्तावेजों और साक्ष्य के साथ प्रदान कर सकता है।

(10) यदि पटेदार या कोई अन्य व्यक्ति नियुक्त तारीख पर सुनवाई के लिए उपस्थित होने में विफल रहता है, तो अनुस्मारक की प्राप्ति से पंद्रह दिनों के भीतर उपस्थित होने के लिए अनुस्मारक जारी करके अवसर दिया जा सकता है, जिसकी विफलता पर अनुपस्थिति में न्यायनिर्णायिक प्राधिकारी मामले को गुणदोष के आधार पर एकपक्षीय निर्णय करेगा।

(11) न्यायनिर्णायिक प्राधिकारी, सुनवाई की समाप्ति की तारीख से तीस दिनों के भीतर या अनुपस्थित में आगे बढ़ने के आदेश की तारीख से, यथास्थिति, यदि आवश्यक हो, शिकायतकर्ता को निम्नलिखित पर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का अवसर दे सकता है:

- (क) पटेदार या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की गई प्रस्तुतियां; या
- (ख) पटेदार या ऐसे व्यक्ति द्वारा उठाए गए किसी नए मुद्दे पर।

(12) न्यायनिर्णायिक प्राधिकारी, यदि आवश्यक हो, जांच संचालित करने के लिए तकनीकी, वित्तीय और विधिक विशेषज्ञों की सहायता ले सकता है।

(13) न्यायनिर्णायिक प्राधिकारी, उसके द्वारा जारी किसी सम्मन, निर्देश या अनुदेश का अनुपालन करने से इंकार करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध प्रतिकूल अनुमान निकाल सकता है।

(14) न्यायनिर्णयिक प्राधिकारी के समक्ष आयोजित कार्यवाही का अभिलेख विधिवत् बनाए रखा जाएगा।

(15) न्यायनिर्णयिक प्राधिकारी, शिकायत की प्राप्ति से एक वर्ष की अवधि के भीतर, पक्षकारों द्वारा की गई प्रस्तुतियों और उपलब्ध अभिलेख पर विचार करने के पश्चात् मामले का न्यायनिर्णयन करते हुए एक तर्कयुक्त आदेश पारित करेगा तथा लगाए गए किसी दंड की मात्रा विनिर्दिष्ट करेगा।

(16) यदि न्यायनिर्णयिक प्राधिकारी की राय है कि उसके समक्ष संदर्भित कोई मुद्दा पक्षकारों के बीच विवाद का खुलासा करता है जो मध्यकता, सुलह या मध्यकता के माध्यम से निपटारे के योग्य है या आवश्यकता रखता है, तो न्यायनिर्णयिक प्राधिकारी पक्षकारों को मामले को नियम 51 के अधीन विवाद समाधान के लिए संदर्भित करने का निर्देश दे सकता है।

(17) न्यायनिर्णयिक प्राधिकारी उसके समक्ष संदर्भित अन्य मुद्दों से विवाद समाधान तंत्र के माध्यम से निपटारे के योग्य या आवश्यक मुद्दों को अलग कर सकता है तथा पक्षकारों को केवल अलग किए गए मुद्दों को निपटारे के लिए संदर्भित करने का निर्देश दे सकता है।

(18) न्यायनिर्णयिक प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील अधिनियम की धारा 9ख के अनुसार अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष होगी।

49. दंड और ब्याज का भुगतान।— (1) न्यायनिर्णयिक प्राधिकारी द्वारा लगाया गया दंड, अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित आदेशों, यदि कोई हों, के अधीन आदेश की प्राप्ति से पैंतालीस दिनों के भीतर भुगतान किया जाएगा।

(2) जहां दंड उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर भुगतान नहीं किया जाता है, तो दंड पर भारतीय स्टेट बैंक की उत्तम उधारदाता दर के अतिरिक्त दो प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज आकर्षित होगा, जो उप-नियम (1) में निर्धारित अवधि की समाप्ति से वास्तविक भुगतान की तारीख तक की गणना की जाएगी।

50. दंडों की वसूली का तरीका।— जहां अधिनियम और इन नियमों के अधीन दंड के लिए उत्तरदायी कोई व्यक्ति ऐसे दंड और लागू ब्याज का इन नियमों में विनिर्दिष्ट समय के भीतर भुगतान करने में विफल रहता है, तो केंद्रीय सरकार ऐसे दंडों की वसूली निम्नलिखित द्वारा कर सकती है:

- (i) आवश्यक राशि को केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार, यथास्थिति, के पास प्रतिभूति निक्षेप के रूप में जमा किसी राशि से समायोजित कर;
- (ii) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार, यथास्थिति, को प्रस्तुत किसी गारंटी को लागू करके या किसी बंधपत्र को नकदीकृत कर;
- (iii) आवश्यक राशि को सरकार द्वारा ऐसे व्यक्ति को देय किसी बकाया के विरुद्ध समायोजित कर;
- (iv) देय राशि विनिर्दिष्ट करते हुए एक वसूली प्रमाण-पत्र जारी कर तथा इसे लागू विधि के अधीन भूमि राजस्व के बकाया के रूप में वसूली के लिए सक्षम राजस्व प्राधिकारी को भेजकर; और
- (v) लागू विधि के अनुसार कोई अन्य विधिक सहारा लेकर।

अध्याय 10

विवाद समाधान

51. विवादों का समाधान.— (1) पट्टे या संविदा से उत्पन्न या उससे संबंधित किसी विवाद, भिन्नता या दावे की स्थिति में, जो पट्टेदार, ठेकेदार और केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार, यथास्थिति, के बीच इन नियमों के प्रारंभ के पश्चात् निष्पादित किया गया हो, पक्ष पट्टे या संविदा में निर्धारित विवाद समाधान प्रक्रिया के अनुसार ऐसे विवादों, भिन्नताओं या दावों का समाधान करने का प्रयास करेंगे।

(2) जहां पट्टे या संविदा में मध्यकता का प्रावधान है, तो पट्टे या संविदा के निष्पादन के समय मध्यकता का स्थान होगा:

(क) नई दिल्ली, भारत या ठेकेदार द्वारा चुना गया एक तटस्थ क्षेत्राधिकार, जहां कोई पट्टेदार या संविदा का सदस्य कंपनी अधिनियम, 2013 में परिभाषित विदेशी कंपनी हो; और

(ख) नई दिल्ली, भारत, जहां सभी पट्टेदार या संविदा के सदस्य भारत में निगमित कंपनियां हों:

परंतु जहां पट्टेदार या संविदा का सदस्य भारत में निगमित सहायक कंपनी हो तथा उसकी धारक कंपनी विदेशी कंपनी हो जो उसकी शेयरधारिता का इक्यावन प्रतिशत से अधिक धारण करती हो, तो मध्यकता का स्थान नई दिल्ली, भारत या ठेकेदार द्वारा चुना गया एक तटस्थ क्षेत्राधिकार होगा।

(3) लागू पेट्रोलियम पट्टे या संविदा के पक्षकारों में किसी परिवर्तन की स्थिति में, पक्ष केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार, यथास्थिति, से संविदा या पेट्रोलियम पट्टे में मध्यकता के स्थान के संशोधन के लिए आवेदन कर सकते हैं, जो उप-नियम (2) में विनिर्दिष्ट आवश्यकताओं के अधीन होगा।

(4) अधिनियम और नियमों के प्रयोजनों के लिए, निम्नलिखित मामले गैर- माध्यस्थम्भीय होंगे, अर्थात्:—

(i) इन नियमों के अधीन दंडों के अधिरोपण से संबंधित विवाद;

(ii) मध्यकता के माध्यम से समाधानित विवाद; और

(iii) तृतीय पक्ष के अधिकारों से संबंधित विवाद, जिसमें जीवन की हानि, शारीरिक चोट या पर्यावरणीय क्षति के लिए प्रतिकर शामिल है।

अध्याय 11

राष्ट्रीय तेल कंपनियों को नामांकन आधार पर प्रदत्त क्षेत्रों में खनिज तेल संचालनों के विनियमन के लिए विशेष प्रावधान

52. आवेदन.— इस अध्याय के प्रावधान केवल केंद्रीय सरकार द्वारा नामांकन के माध्यम से, बिना बोली प्रक्रिया के राष्ट्रीय तेल कंपनियों को प्रदत्त लाइसेंसों और पेट्रोलियम पट्टों पर लागू होंगे तथा इन नियमों के अन्य प्रावधानों के अतिरिक्त लागू होंगे।

53. प्रकटीकरण.— (1) नामांकन आधार पर प्रदत्त क्षेत्रों में संचालित राष्ट्रीय तेल कंपनियां इन नियमों के प्रारंभ से तीस दिनों के भीतर सभी विद्यमान खोजों को केंद्रीय सरकार को अधिसूचित करेंगी।

(2) राष्ट्रीय तेल कंपनियां प्रत्येक विद्यमान खोज के संबंध में एक क्षेत्र विकास योजना प्रस्तुत करेंगी, जिसमें विकास क्षेत्र के रूप में माने जाने वाले क्षेत्र का स्पष्ट रूप से सीमांकन किया जाएगा, जो इन नियमों के प्रारंभ से एक वर्ष की अवधि के भीतर होगा।

(3) यदि इन नियमों के प्रारंभ की तारीख से दो वर्ष के भीतर कोई खोज की जाती है, तो राष्ट्रीय तेल कंपनी खोज की स्थापना से सात दिनों के भीतर केंद्रीय सरकार को अधिसूचित करेगी तथा खोज की स्थापना की तारीख से छह महीनों की अवधि के भीतर खोज के संबंध में क्षेत्र विकास योजना प्रस्तुत करेगी, जिसमें विकास क्षेत्र के रूप में माने जाने वाले क्षेत्र का स्पष्ट रूप से सीमांकन किया जाएगा।

54. क्षेत्र विकास योजना. — (1) केंद्रीय सरकार क्षेत्र विकास योजना की प्राप्ति से नब्बे दिनों के भीतर विकास क्षेत्र के रूप में बनाए रखे जा सकने वाले क्षेत्र को अनुमोदित या अस्वीकृत करने के निर्णय से अवगत कराएगी।

(2) केंद्रीय सरकार द्वारा एक बार अनुमोदित विकास क्षेत्र को केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी भी प्रकार से संशोधित नहीं किया जाएगा।

(3) राष्ट्रीय तेल कंपनियां क्षेत्र विकास योजना को संशोधित कर सकती हैं: परंतु विकास क्षेत्र में कोई परिवर्तन केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से किया जाएगा।

(4) यदि केंद्रीय सरकार क्षेत्र विकास योजना में अभ्यंकित विकास क्षेत्र को अनुमोदित नहीं करती है, तो राष्ट्रीय तेल कंपनी केंद्रीय सरकार के साथ परामर्श में संशोधित क्षेत्र विकास योजना प्रस्तुत कर सकती है, जो राष्ट्रीय तेल कंपनी द्वारा अभ्यंकित विकास क्षेत्र को अस्वीकृत करने वाली सूचना की प्राप्ति की तारीख से छह महीनों की अवधि के भीतर होगी।

(5) क्षेत्र विकास योजना की प्राप्ति से नब्बे दिनों की अवधि की समाप्ति पर, यदि केंद्रीय सरकार का कोई निर्णय राष्ट्रीय तेल कंपनी को अवगत नहीं कराया जाता है, तो विकास क्षेत्र को अनुमोदित माना जाएगा।

55. विकास और उत्पादन संचालनों की अनुश्रवण. — (1) राष्ट्रीय तेल कंपनियां क्षेत्र विकास योजना के अनुसार किए गए विकास और उत्पादन संचालनों का वार्षिक विवरण वित्तीय वर्ष की समाप्ति से नब्बे दिनों के भीतर प्रस्तुत करेंगी।

(2) राष्ट्रीय तेल कंपनियां उसके द्वारा संचालित खनिज तेल संचालनों से संबंधित केंद्रीय सरकार द्वारा मांगे गए अपेक्षित आंकड़े प्रस्तुत करेंगी।

56. पट्टकृत क्षेत्र का त्यजन. — इन नियमों के प्रारंभ से दो वर्ष की समाप्ति पर, नामांकन आधार पर राष्ट्रीय तेल कंपनियों द्वारा धारित संपूर्ण क्षेत्र का त्याग माना जाएगा, सिवाय:

(i) नियम 53 के उप-नियम 3 के अधीन की गई कोई खोज वाले क्षेत्र के;

(ii) केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित कोई विकास क्षेत्र के; और

(iii) ऐसे क्षेत्रों के जहां राष्ट्रीय तेल कंपनियों द्वारा उत्पादन संचालन किए जा रहे हों।

57. स्थान प्रत्यावर्तन. — राष्ट्रीय तेल कंपनियां ऐसे क्षेत्रों में स्थान प्रत्यावर्तन समय-समय पर जारी केंद्रीय सरकार की दिशानिर्देशों, योजनाओं और नीतियों के अनुसार करेंगी तथा स्थान प्रत्यावर्तन योजना, 1999 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार स्थान प्रत्यावर्तन निधि बनाए रखेंगी।

अध्याय 12

विविध

58. सभी खनिज तेलों के लिए विद्यमान अनुबंधों या खनन पट्टों के अधीन अधिकारों का विस्तार. — इन नियमों के प्रारंभ से पूर्व निष्पादित सभी अनुबंधों या खनन पट्टों के अधीन प्रदत्त अधिकार इन नियमों के प्रारंभ की तारीख से सभी खनिज तेलों के संबंध में प्रदत्त माने जाएंगे।

59. विद्यमान पट्टे और लंबित आवेदन. — (1) इन नियमों के प्रारंभ से पूर्व प्रदत्त खनन पट्टे का धारक, खनन पट्टे की समाप्ति तक, नियम 5 के प्रावधानों के अधीन पेट्रोलियम पट्टे के लिए आवेदन करने का विकल्प रखेगा।

(2) जहां कोई पट्टेदार उप-नियम (1) के अधीन पेट्रोलियम पट्टे के लिए आवेदन करने का विकल्प चुनता है, तो पट्टेदार यह सुनिश्चित करेगा कि केंद्रीय सरकार के साथ निष्पादित कोई संविदा पेट्रोलियम पट्टे के लिए आवेदन दाखिल करने से पूर्व संशोधित किया जाए ताकि ऐसे विकल्प के अभ्यास से अनुवर्ती कोई परिवर्तन, केंद्रीय सरकार द्वारा आवश्यक समझे जाने पर, सम्मिलित किया जा सके।

(3) जहां इन नियमों के प्रारंभ की तारीख को खनन पट्टे या उसके विस्तार की जारी करने के लिए कोई आवेदन विचाराधीन लंबित हो, तो आवेदक इन नियमों के अधीन पेट्रोलियम पट्टे के लिए पुनः आवेदन करेगा तथा आवेदन शुल्क, प्रतिभूति निक्षेप और प्रारंभिक व्यय को पूरा करने के लिए जमा से छूट प्राप्त होगा:

परंतु जहां संविदा निष्पादित किया गया हो तथा संविदा का संशोधन आवश्यक हो, तो आवेदक पेट्रोलियम पट्टे के लिए आवेदन दाखिल करने से पूर्व केंद्रीय सरकार के साथ संशोधित संविदा में प्रवेश करेगा।

60. विद्यमान खनन पट्टे की समाप्ति पर पेट्रोलियम पट्टों के लिए आवेदन.— यदि इन नियमों के प्रारंभ के पश्चात् खनन पट्टे की अवधि समाप्त हो जाती है, तो पट्टेदार इन नियमों के अधीन पेट्रोलियम पट्टे के लिए आवेदन करेगा।

परंतु जहां संविदा निष्पादित किया गया हो तथा संविदा का संशोधन आवश्यक हो, तो आवेदक पेट्रोलियम पट्टे के लिए आवेदन दाखिल करने से पूर्व केंद्रीय सरकार के साथ संशोधित संविदा में प्रवेश करेगा।

61. पट्टाकृत क्षेत्र के विस्तार पर पट्टे का संशोधन.— (1) जहां खनन पट्टे का धारक खनन पट्टे के अधीन आवंटित क्षेत्र का विस्तार करना चाहता हो, तो पट्टेदार क्षेत्र के विस्तार के लिए आवेदन केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार, यथास्थिति, के समक्ष दाखिल करेगा।

(2) यदि आवेदन अनुमोदित किया जाता है, तो क्षेत्र में परिवर्तन को सम्मिलित करने के लिए खनन पट्टे को संशोधित किया जाएगा।

(3) खनन पट्टे की शेष अवधि के लिए खनन पट्टे की सभी अन्य निबंधन और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

62. विशिष्ट पेट्रोलियम संचालनों के लिए विशेष पेट्रोलियम पट्टा.— (1) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से विशेष पेट्रोलियम पट्टे प्रदत्त कर सकती है ताकि आवेदक को उसमें अभ्यंकित क्षेत्र में कुछ विशिष्ट पेट्रोलियम संचालन करने की अनुमति दी जा सके, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं, अर्थात्:— (i) नियम 12 या 13 के अनुसार जलाशय सीमाओं के विस्तार का निर्धारण करने के प्रयोजनों के लिए केवल अन्वेषण संचालन संचालित करना; और

(ii) आंकड़ों के संग्रह के प्रयोजनों के लिए केवल अन्वेषण संचालन संचालित करना।

(2) विशेष पेट्रोलियम पट्टे के लिए आवेदन अनुसूची- 8 में विनिर्दिष्ट प्ररूप में प्रस्तुत किया जाएगा, —

(i) जहां क्षेत्र केंद्रीय सरकार के क्षेत्राधिकार में आता हो, केंद्रीय सरकार को; और

(ii) जहां क्षेत्र राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आता हो, राज्य सरकार को केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन की प्रति के साथ।

(3) आवेदक राज्य सरकार को जहां क्षेत्र राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आता हो तथा अन्य मामलों में केंद्रीय सरकार को दो लाख रुपये की प्रतिभूति निक्षेप प्रस्तुत करेगा।

(4) यदि आवेदन अस्वीकृत किया जाता है या विशेष पेट्रोलियम पट्टे की समाप्ति पर, प्रतिभूति निक्षेप वापस की जाएगी।

(5) आवेदक से पूर्ण सूचना और प्रतिभूति निक्षेप की प्राप्ति से एक सौ अस्सी दिनों के भीतर आवेदन का निर्णय केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार, यथास्थिति, द्वारा लिया जाएगा।

(6) यदि आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है, तो इसे लिखित में दर्ज कारणों के साथ अवगत कराया जाएगा तथा प्रतिभूति निक्षेप आवेदक को वापस की जाएगी।

(7) एक सौ अस्सी दिनों की अवधि की समाप्ति पर, यदि आवेदन पर निर्णय केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार, यथास्थिति, द्वारा नहीं लिया गया हो, तो

(i) केंद्रीय सरकार के राज्यक्षेत्र में आने वाले क्षेत्र के संबंध में दाखिल आवेदन को केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित माना जाएगा तथा केंद्रीय सरकार आवेदक के साथ विशेष पेट्रोलियम पट्टे का दस्तावेज शीघ्र निष्पादित करेगी; और

(ii) राज्य सरकार के प्रदेश में आने वाले क्षेत्र के संबंध में दाखिल आवेदन को राज्य सरकार द्वारा अस्वीकृत माना जाएगा।

(8) पट्टे का क्षेत्र केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार, यथास्थिति, द्वारा प्रदत्त विशेष पेट्रोलियम पट्टे में विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(9) विशेष पेट्रोलियम पट्टे की अवधि उसमें विनिर्दिष्ट की जाएगी तथा चार वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(10) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, यदि आवश्यक समझे, विशेष पेट्रोलियम पट्टे की अवधि का विस्तार कर सकती है।

(11) पट्टेदार के अधिकार और दायित्व केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार, यथास्थिति, द्वारा प्रदत्त विशेष पेट्रोलियम पट्टे में विनिर्दिष्ट किए जाएंगे।

(12) विशेष पेट्रोलियम पट्टे का पट्टेदार संपूर्ण पट्टाकृत क्षेत्र के लिए 100 रुपये प्रति वर्ग किलोमीटर की दर से गणना किए गए वार्षिक भाड़े का अग्रिम भुगतान करेगा।

(13) आवेदन के अनुमोदन से नब्बे दिनों के भीतर आवेदक और केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार, यथास्थिति, के बीच विशेष पेट्रोलियम पट्टा निष्पादित किया जाएगा।

(14) विशेष पेट्रोलियम पट्टे पर देय किसी स्टाम्प शुल्क की गणना के प्रयोजनों के लिए, पट्टे का मूल्य विशेष पेट्रोलियम पट्टे के अधीन देय कुल पट्टा किराया होगा।

(15) विशेष पेट्रोलियम पट्टे के निष्पादन पर, उसमें निहित शर्तें सभी पक्षकारों पर अंतिम और बाध्यकारी होंगी तथा उसके पश्चात् पक्षकारों की पारस्परिक सहमति के सिवाय परिवर्तित, संशोधित या रूपांतरित नहीं की जाएंगी।

63. समय-सीमाओं का विस्तार करने की शक्ति. — केंद्रीय सरकार, यदि वह लोक हित में आवश्यक और समीचीन समझे, इन नियमों में विनिर्दिष्ट समय-सीमा का विस्तार कर सकती है।

64. पेट्रोलियम पट्टे की शर्तों का संशोधन. — केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, नियम 6 के उप-नियम (3) के अधीन पेट्रोलियम पट्टे के निष्पादन से पूर्व या नियम 10 के अधीन अवधि के विस्तार से पूर्व या नियम 12 के अधीन किसी पेट्रोलियम पट्टे के क्षेत्र से पूर्व किसी भी समय, पट्टाकृत क्षेत्र, स्वास्थ्य और सुरक्षा, पर्यावरण की सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा या लोक हित से संबंधित चिंताओं को संबोधित करने के लिए अतिरिक्त शर्तों को सम्मिलित कर सकती है।

65. नियमों के उल्लंघनों के लिए दंड।—(1) जो कोई इन नियमों के किसी प्रावधान का अनुपालन करने में विफल रहता है या उल्लंघन करता है या इन नियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किसी निर्देश या आदेश का उल्लंघन करता है, वह अधिनियम की धारा 9 के अनुसार दंड का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(2) जो कोई इन नियमों के अधीन कोई सूचना, दस्तावेज, विवरणी या प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है जो असत्य, भ्रामक या भौतिक रूप से गलत हो या जानबूझकर इन नियमों के अधीन प्रस्तुत किए जाने वाले किसी सूचना, दस्तावेज, विवरणी या प्रतिवेदन को रोक लेता है, वह इन नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन किया हुआ माना जाएगा तथा अधिनियम की धारा 9 के अनुसार दंड का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(3) जो कोई पहले से ही इस नियम के अधीन दंडित किया जा चुका हो, अधिनियम या इन नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करना जारी रखता है, वह अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (3) के अनुसार आगे के दंड का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

अनुसूची – 1
(पेट्रोलियम पट्टे के अनुदान हेतु आवेदन)
[नियम 5 (1) देखें]

1. सामान्य जानकारी:

क्रम सं.	विवरण	ब्यौरा	
(i) (क)	सरकार और आवेदक के बीच निष्पादित संविदा का विवरण (यदि लागू हो)		
(ख)	आवेदक का नाम		
(ग)	पता		
(घ)	निगमन का स्थान		
(ii)	पेट्रोलियम पट्टे का नाम (यदि लागू हो)		
(iii)	राज्य का नाम (यदि भूमि पर लागू हो)		
(iv)	द्रोणी या परिसंपत्ति का नाम (यदि लागू हो)		
(v)	अवधि		
(vi)	कंपनी (कंपनियों) का प्रकार (सार्वजनिक या निजी)		
(vii)	पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस या पेट्रोलियम खनन पट्टे का ब्यौरा जिससे पट्टे में संपरिवर्तन के लिए आवेदित क्षेत्र (यदि लागू हो)		
(viii)	आवेदित पट्टे का क्षेत्रफल		
(ix)	अनुदान के लिए आवेदित अवधि	_____ से _____ तक	
(x)	संदर्भ सांविधिक शुल्क	राशि	भुगतान की तारीख
	(क) आवेदन शुल्क (यदि लागू हो)		
	(क) प्रारंभिक व्यय		
	(ख) प्रतिभूति निक्षेप		

2. प्रस्तावित पेट्रोलियम पट्टा क्षेत्र के ब्यौरे :

(i) आवेदित क्षेत्र के निर्देशांक:

i. प्रक्षेपण प्रणाली (विश्व भूगणित प्रणाली 1984 में)।

प्रक्षेपण प्रणाली	गोलक	अंचल

ii. पट्टे के निर्देशांक:

i. :

विंदु	एक्स	वाई	देशांतर			अक्षांश		
			डिग्री	मिनट	सेकंड	डिग्री	मिनट	सेकंड

(ग) आवेदित पेट्रोलियम पट्टे का मानचित्र:

(घ) क्या प्रस्तावित क्षेत्र या उसका कोई भाग किसी आरक्षित वन में आता है। यदि हां, तो आरक्षित वन के नाम के साथ आरक्षित वन में आने वाले क्षेत्र को वर्ग किमी में उल्लेख करें:

(ङ) गांव के मामले में, गांव का नाम एवं आच्छादित क्षेत्र:

(च) जिलों की सूची:

(छ) विद्यमान /परिकल्पित अवसंरचना का विवरण:

(ज) पेट्रोलियम पट्टे के अनुदान का औचित्य:

अनुसूची – 2

(पेट्रोलियम पट्टा)

[नियम 6 (2) देखें]

तटवर्ती पेट्रोलियम पट्टे का प्रपत्र

पेट्रोलियम पट्टे ("पट्टा") का यह विलेख [दिन अंतर्लिखित करें] के इस [मास अंतर्लिखित करें] दिन [अंतर्लिखित करें] के दिन और बीच में किया गया है:

पक्षकार:

_____ के राज्यपाल, पहले भाग _____ (जिसे इसमें इसके पश्चात "राज्य सरकार" कहा गया है) के माध्यम से कार्य करते हैं;

और

[कंपनी का नाम अंतर्लिखित करें], _____ के विधियों के अधीन निगमित कंपनी, (जिसे इसमें इसके पश्चात "_____" कहा गया है) जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय _____ में है, जिसके दूसरे भाग के पद में इसके उत्तराधिकारी और अनुज्ञात अंतरिती और समनुदेशन में सम्मिलित होंगे;

और

[कंपनी का नाम अंतर्लिखित करें], _____ के विधियों के अधीन निगमित कंपनी, (जिसे इसमें इसके पश्चात "_____" कहा गया है) जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय _____ में है, जिसके तीसरे भाग के पद में इसके उत्तराधिकारी और अनुज्ञात अंतरिती और समनुदेशन में सम्मिलित होंगे,;

[प्रत्येक सुसंगत पक्षकार के लिए पक्षकार खंड जोड़ें जो पट्टेदार होना है]

दूसरे और तीसरे भाग के पक्षकारों को सामूहिक रूप से जिसे इसमें इसके पश्चात "पट्टेदार" कहा गया है। सरकार और पट्टेदार को जिसे इसमें इसके पश्चात व्यक्तिगत रूप से "पक्षकार" के रूप में और सामूहिक रूप से "पक्षकारों" कहा गया है, जब तक कि निर्देश के विरुद्ध न हो।

यतः

क. पट्टेदार ने [(यदि पट्टेदार और सरकार के बीच खनिज तेल संक्रियाओं के लिए संविदा है तो जोड़ें)

_____ संविदा तारीख _____ (जिसे इसमें इसके पश्चात "संविदा" कहा गया है) और तेलक्षेत्र (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1948 (जिसे इसमें इसके पश्चात "अधिनियम" कहा गया है), और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 2025 के अनुसार, (जिसे इसमें इसके पश्चात "नियम" कहा गया है"), ने नियमों के नियम 5 के अनुसार, परिशिष्ट-क ("पट्टे पर दिए गए क्षेत्र") में पूर्ण रूप से वर्णित क्षेत्र पर पेट्रोलियम पट्टे के लिए आवेदन किया है।

ख. पट्टेदार ने इस पट्टे की तारीख से पहले, नियमों के नियम 5 के अनुसार, राज्य सरकार को 25,00,000 रुपये (भारतीय रुपये पच्चीस लाख) की प्रतिभूति जमा कर दी है।

तदनुसार, वर्तमान विलेख पट्टेदार को पट्टे पर दिए गए क्षेत्र पर पट्टे पर पट्टा देने के लिए निष्पादित किया जा रहा है, जो इसमें इसके पश्चात पट्टेदार की ओर से आरक्षित और निहित प्रसंविदाओं और करारों के प्रतिफल में है,

जिसे संदर्भ, संप्रेक्षित और अनुपालित और संविदा के निष्पादन और अनुपालन को आगे बढ़ाने के लिए रखा गया है।

अब अतः यह पक्षकारों के बीच सहमत है और यह पट्टा विलेख निम्नानुसार साक्षित है:

1. परिभाषाएं और निर्वचन—

- 1.1 जब तक अन्यथा परिभाषित न किया गया हो, इस पट्टे में प्रयुक्त किए जाने वाले पदों का वही अर्थ होगा जो उनका अधिनियम और नियमों के अधीन है।
- 1.2 कानूनी उपबंधों के लिए इस पट्टे में सभी निर्देशों का अर्थ निम्नलिखित समझा जाएगा और इसके निर्देश सम्मिलित हैं:—
 - 1.2.1 किसी भी कानूनी उपांतरण, समेकन या पुनः अधिनियमन (चाहे इस पट्टे की तारीख से पहले या पश्चात में) उस समय प्रवृत्त होने के लिए; और
 - 1.2.2 सभी कानूनी साधन या आदेश कानूनी उपबंध के अनुसार किए गए हैं।

2. पट्टा का अनुदान.—

- 2.1 राज्य सरकार पट्टेदार को पट्टे पर दिए गए क्षेत्र में खनिज तेल संक्रिया के संचालन के लिए [वर्ष की संख्या अंतर्लिखित करें] वर्ष की अवधि के लिए पट्टे पर देती है, जब तक कि अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों या संविदा ("अवधि") के अनुसार पहले समाप्त या रद्द न किया गया हो।
- 2.2 अधिनियम और नियमों और केंद्रीय सरकार और पट्टेदार के बीच निष्पादित संविदा की शर्तों के अधीन रहते हुए, पट्टेदार के पास निम्नलिखित होगा:—
 - 2.2.1 पट्टे पर दिए गए क्षेत्र में खनिज तेलों का पता लगाने का अनन्य अधिकार, जिसमें भूवैज्ञानिक और भूभौतिकीय सर्वेक्षण करना, कुओं की खुदाई, खनिज तेलों के लिए परीक्षण संक्रिया सम्मिलित है, किंतु इन्हीं तक सीमित नहीं है;
 - 2.2.2 पट्टे पर दिए गए क्षेत्र में खनिज तेलों को विकसित करने और उत्पादन करने के अनन्य अधिकार के साथ-साथ पट्टे पर दिए गए क्षेत्र में और उस पर निर्माण और रखरखाव का अधिकार जैसे संकर्मों, भवनों, संयंत्रों, प्लेटफार्मों, जलमार्गों, सड़कों, पाइपलाइनों, बांधों, जलाशयों, टैंक, पंपिंग केंद्रों, ट्राम मार्गों, रेलवे, संचार केबलों, विद्युत ऊर्जा लाइनों और अन्य संरचनाओं और उपस्करों और अन्य सुविधाओं जो पट्टे के प्रयोजनों के लिए या पट्टे के अधीन अपने बाध्यता को पूरा करने के लिए आवश्यक हो, के निर्माण और रखरखाव के अधिकार के साथ-साथ हैं;
 - 2.2.3 स्थल की बहाली, परित्याग और तेल कुओं, प्रतिष्ठानों और सहयुक्त सुविधाओं को बंद करने के अधिकार और बाध्यता;

2.2.4 पट्टे पर दिए गए क्षेत्र में व्यापक ऊर्जा परियोजनाओं का पता लगाने, योजना बनाने, विकसित करने और स्थापित करने और लागू विधि के अधीन आवश्यक अनुमोदन के अध्यधीन रहते हुए ऊर्जा का उत्पादन करने का अधिकार;

2.2.5 डीकार्बोनाइजेशन कार्यकलापों के लिए पट्टे पर दिए गए क्षेत्र का उपयोग करने का अधिकार;

भारत सरकार द्वारा अधिनियम, नियमों, संविदा और नीतियों, अधिसूचनाओं और दिए गए निदेशों के अनुसार ।

2.3 पट्टेदार लागू विधि के अनुसार, खनिज तेल संक्रियाओं या व्यापक ऊर्जा परियोजनाओं को पूरा करने के प्रयोजन से वास्तव में उपयोग की जाने वाली भूमि के सतह क्षेत्र के लिए पृथक रूप से सतह पट्टा प्राप्त करेगा।

2.4 पट्टेदार निम्नानुसार पट्टे के किराए का संदाय करेगा और इसमें निहित सभी प्रसंविदाओं और करारों का पालन करेगा।

[एट्टा आरंभ करने के समय नियम 9 में यथाउपबंधित किराए की सारणी अंतर्लिखित करें।]

पट्टे पर दिए गए क्षेत्र के प्रति वर्ग किलोमीटर की रकम (रुपये में)	वर्ष
—	—

2.5 यह पट्टा इस पट्टे के पहले वर्ष के लिए पट्टे के किराए के संदाय की प्राप्ति की तारीख से प्रभावी हो जाएगा, और पट्टेदार अधिनियम और नियमों के अनुसार पट्टे के किराए का संदाय करना जारी रखेगा।

2.6 पट्टेदार प्रत्येक समय पर अधिनियम और नियमों और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी नीतियों, अधिसूचनाओं और निदेशों का पट्टे पर दिए गए क्षेत्र की बाबत बनाए गए अधिनियम और नियम और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य लागू विधि के अधीन उपबंधों का अनुपालन और पट्टे के अधीन इसके अधिकारों और बाध्यताओं का अनुपालन करेगा।

2.7 नियमों के नियम 18 के अधीन, पट्टेदार द्वारा प्रस्तुत प्रतिभूति जमा को पट्टे, अधिनियम और नियमों के निबंधनों और शर्तों के भंग पर समपहृत किया जा सकेगा, और समपहरण की स्थिति में, पट्टेदार ऐसे समपहरण की तारीख से तीस दिन के भीतर समपहृत की गई रकम की पूर्ण रूप से पुनः पूर्ति करेगा।

3. स्थिरीकरण.-

3.1 विधि में परिवर्तन के परिणामस्वरूप पट्टेदार को होने वाले आर्थिक फायदे में कमी आने की स्थिति में, पट्टेदार को यथासंभव निकटतम रूप से आर्थिक संतुलन बहाल करने का हकदार होगा, जो इसमें अंतर्विष्ट रीति में विधि में परिवर्तन की तारीख से ठीक पहले विद्यमान था।

3.2 विधि में ऐसे परिवर्तन की घटना होने पर, पट्टेदार विधि में परिवर्तन की तारीख से नब्बे दिन के भीतर नहीं होगा, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार को विधि में परिवर्तन और विधि में ऐसे

परिवर्तन के कारण आर्थिक फायदे की प्राक्तिक कमी के बारे में सूचित करेगा और सूचना के साथ आर्थिक फायदे में कमी का प्रमाण देने वाले सहायक दस्तावेज प्रस्तुत करेगा।

3.3 पट्टेदार तुरंत केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित किसी भी अतिरिक्त जानकारी या दस्तावेज को प्रदान करेगा और पट्टेदार साठ दिन की अवधि के भीतर इसे प्रदान करेगा।

3.4 इस पट्टे के खंड 4.2 के अनुसार सूचना प्राप्त होने पर, पक्षकार विधि में परिवर्तन की तारीख से 1 (एक) वर्ष के भीतर पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान पर सौहार्दपूर्ण ढंग से पहुंचने के लिए अपने सर्वोत्तम प्रयासों का उपयोग करेंगी। यह अंत करने के लिए, पक्षकार इस पट्टे में किए जाने वाले उपांतरणों या पट्टेदार को बहाल करने के लिए अन्य युक्तियुक्त उपायों को अपनाने पर, यथासंभव निकटतम रूप से, आर्थिक संतुलन के लिए जो विधि में परिवर्तन की तारीख से ठीक पहले विद्यमान था, सहमत हो सकती हैं।

3.5 यदि पक्षकार मामले का सौहार्दपूर्ण ढंग से समाधान करने में असमर्थ हैं, तो पट्टेदार, खंड 4.4 के अधीन विहित अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात, ऐसी राशि का अनन्तिम समायोजन शुरू कर सकता है जैसा कि वह युक्तियुक्त रूप से विश्वास करता है कि इसमें उपबंधित रीति में उसी वित्तीय स्थिति में बहाल करने के लिए यह आवश्यक है।

3.5.1 कटौती, पहली बार में, संविदा, पट्टा, अधिनियम या इन नियमों के अधीन पट्टेदार द्वारा देय किसी भी शोध्य रकम से की जा सकती है-

- (i) केंद्रीय सरकार, जहां विधि में परिवर्तन संसद द्वारा किया जाता है; और
- (ii) राज्य सरकार, जहां विधि में परिवर्तन उस राज्य के विधानमंडल द्वारा किया जाता है:

3.5.2 पट्टेदार, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनों को कम से कम तीस दिन की पूर्व सूचना देने के पश्चात, ऐसी कटौती के पश्चात शेष रकम को देय शोध्य रकम के विरुद्ध समायोजित कर सकता है-

- (i) राज्य सरकार, जहां विधि में परिवर्तन संसद द्वारा किया जाता है; और
- (ii) केंद्रीय सरकार, जहां विधि में परिवर्तन उस राज्य के विधानमंडल द्वारा किया जाता है।

3.5.3 पट्टेदार, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार को, उसके द्वारा की गई ऐसी प्रत्येक कटौती के बारे में सूचित करेगा, जिसमें कटौती की गई रकम को विनिर्दिष्ट किया जाएगा और कटौती से संबंधित अन्य सभी सुसंगत और आवश्यक जानकारी राज्य सरकार को केंद्रीय सरकार को एक प्रति के साथ प्रदान करेगा।

3.5.4 पट्टेदार द्वारा की गई ऐसी कोई भी कटौती केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगी, जो विधि में ऐसे परिवर्तन के अस्तित्व के पट्टेदार के दावे से विवादित हो, मतभेद हो या असहमत हो, पट्टेदार द्वारा उसके संबंध में की गई किसी भी कटौती की विधिमान्यता और मात्रा से विवाद कर सके। केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा उठाए गए विवाद के अवधारण के लंबित होने तक, पट्टेदार द्वारा की गई कटौती केवल अंतरिम उपाय के रूप में काम करेगी।

3.5.5 इस पट्टे के खंड 4.5.4 के दूसरे परंतुक के अधीन केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा उठाए गए किसी भी विवाद का इस पट्टे के खंड 7.4 के उपबंधों के अनुसार समाधान किया जाएगा।

3.6 "विधि में परिवर्तन" से निम्नलिखित में परिवर्तन अभिप्रेत है, अर्थात्: -

- (i) पेट्रोलियम पट्टे की तारीख के पश्चात पट्टेदार द्वारा देय भारत में लागू विधियों के अधीन कर, शुल्क, उद्धरण, उपकर, फीस, स्वामिस्व, प्रभार, अधिरोपण जिसके परिणामस्वरूप पट्टेदार को आर्थिक फायदे में कमी आई है, और
- (ii) भारत में श्रम और रोजगार, पर्यावरण की सुरक्षा, स्वास्थ्य या सुरक्षा, या स्थल बहाली और सेवामुक्त करने के लिए शासित करने वाली तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के परिणामस्वरूप पेट्रोलियम पट्टे की तारीख के पश्चात किसी भी वित्तीय वर्ष में 5,000,000 अमरीकी डालर (संयुक्त राज्य अमेरिका डॉलर पांच मिलियन) से अधिक के पट्टेदार के लिए आर्थिक फायदे में कमी आती है,

क्या ऐसा परिवर्तन दरों में परिवर्तन, भारत में लागू विधियों में परिवर्तन या किसी न्यायालय के निर्णय द्वारा निर्वचन में परिवर्तन के कारण उद्भूत होता है जो पेट्रोलियम पट्टे की तारीख से पहले ऐसे निर्वचन या आवेदन की तुलना में अंतिम, निश्चायक और बाध्यकारी हो गया है:

परन्तु निष्पादन तारीख के पश्चात पहली बार कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस और कंडेनसेट से भिन्न किसी भी खनिज तेल के लिए स्वामिस्व की दरें विहित करने वाली केंद्रीय सरकार द्वारा की गई किसी भी अधिसूचना को विधि में परिवर्तन के रूप में नहीं माना जाएगा।

4. प्रतिकर.-

4.1 राज्य सरकार लोक प्रयोजन के कारणों और उचित प्रतिकर के संदाय के लिए, भारत की विधि की सम्यक् प्रक्रिया के अनुपालन के सिवाय, इस पट्टे से संबंधित पट्टेदार के अधिकारों, हितों या आस्तियों का राष्ट्रीयकरण नहीं करेगी या अन्यथा नहीं द्विनेगी:

परन्तु कोई प्रतिकर संदर्भ नहीं किया जाएगा जब तक कि पट्टेदार ने खोज नहीं की है और केंद्रीय सरकार को खोज की सूचना प्रस्तुत नहीं की है, इस पट्टे के खंड 5.1 में उपवर्णित घटना की होने की तारीख से पहले इस पट्टे के अधीन सम्मिलित किसी भी क्षेत्र का संबंध है।

4.2 इस पट्टे के खंड 5.1 में उपवर्णित घटनाओं के घटित होने पर, पट्टेदार को प्रतिकर के रूप में पर्याप्त रकम संदर्भ की जाएगी जो अधिकारों, हितों (अविकसित भंडार से संबंधित लोगों सहित) या राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीयकृत या अन्यथा ली गई आस्ति के उचित बाजार मूल्य के बराबर होगा, जैसा कि ऐसे घटना के होने की तारीख से ठीक पहले की तारीख पर होगा। आकलन मानदंड में उचित बाजार मूल्य अवधारित करने के लिए उचित रूप से संबंधित मूल्य, मूर्त संपत्ति के घोषित कर मूल्य सहित आस्ति मूल्य और अन्य मानदंड सम्मिलित होंगे।

4.3 इस खंड के अधीन उचित प्रतिकर की पात्रता और मात्रा राज्य सरकार द्वारा सभी सुसंगत परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मामला-दर-मामला, तथ्य-आधारित जांच के आधार पर अवधारित की जाएगी।

4.4 पहले उदाहरण में, पक्षकार उचित प्रतिकर की चर्चा को आमंत्रित करने वाले अन्य पक्षकार को पक्षकारों की सूचना के 180 (एक सौर अस्सी) दिन उचित प्रतिकर पर सहमत होने का प्रयास करेंगी। यदि कोई करार नहीं होता है, तो मामले को इस पट्टे के खंड 7.4 के अधीन विवाद समाधान के लिए भेजा जा सकता है।

5. पट्टा रद्द करना.-

5.1 इस पट्टे का रद्दकरण नियमों के नियम 18 के अनुसार होगा।

5.2 पूर्वगामी में अंतर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए भी यह पट्टा संविदा की समाप्ति पर समाप्त हो जाएगा।

6. प्रकीर्ण .-

6.1 पट्टे का अंतरण या समनुदेशन.-

पट्टे का कोई भी अंतरण या समनुदेशन नियमों के नियम 20 के अनुसार किया जाएगा। ऐसे अंतरण या समनुदेशन की स्थिति में, पट्टे को अंतरिती या समनुदेशिती के नाम पर, पृथक रूप से या संयुक्त रूप से अंतरण या समनुदेशन के विस्तार तक, उस तारीख से प्रभावी किया जाएगा जिससे ऐसे अंतरण या समनुदेशन को प्रभावी बनाया गया है।

6.2 सूचना.-

6.2.1 इस पट्टे के अधीन दी जाने वाली सभी सूचना या अन्य संसूचना नीचे उपर्युक्त पक्षकारों के संबंधित पते पर पत्र या ईमेल द्वारा लिखित रूप में किए जाएंगे, या अन्य पते पर पक्षकार समय-समय पर लिखित रूप में एक-दूसरे को अधिसूचित कर सकेंगी।

6.2.2 पट्टे के प्रयोजनों के लिए पक्षकारों के पते हैं:

[सभी पक्षकारों के लिए अंतर्लिखित करें]

6.2.3 पट्टेदार के गठन के सभी तरीकों में, इसमें उपर्युक्त व्यौरों के लिए किसी भी सूचना का परिदान पट्टेदार के सभी घटकों के लिए विधिमान्य सूचना समझा जाएगा।

6.3 शासी विधि और अधिकारिता .-

भारत की विधियां पट्टे पर लागू होंगी, और पट्टे में उपर्युक्त विवाद समाधान तंत्र के अधीन, [अंतर्लिखित] न्यायालयों के पास वर्तमान पट्टे से संबंधित सभी मामलों पर विशेष अधिकारिता होगा।

6.4 विवाद समाधान.-

6.4.1 इस पट्टे या उसके अनुपालन से उद्भूत होने वाले किसी भी विवाद, मतभेदों, असहमतियों या दावों की स्थिति में, इसके अस्तित्व, विधिमान्यता, रद्दकरण या समाप्ति ("विवाद (ओं)") के बारे में कोई प्रश्न सहित, पक्षकार पहली बार में ऐसे विवाद उद्भूत होने

की तारीख से 90 (नब्बे) दिन के भीतर सद्व्यवना वार्ता के माध्यम से ऐसे विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान को प्राप्त करने के लिए अपने सर्वोत्तम प्रयासों का उपयोग करेंगी।

6.4.2 यदि विवाद का ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सौहार्दपूर्ण ढंग से समाधान नहीं किया जाता है, तो पक्षकार या तो (क) मध्यकता या सुलह के माध्यम से, विवाद को बाहरी प्रतिष्ठित व्यक्तियों की समिति ("सीईई") या समय-समय पर भारत सरकार द्वारा अधिसूचित विशेषज्ञों को निर्दिष्ट करके, या (ख) मध्यकता अधिनियम, 2023, के अनुसार मध्यक को नियुक्त करके मध्यकता के माध्यम से विवाद का समाधान कर सकते हैं, जैसा कि पारस्परिक रूप से सहमति हुई है। पक्षकारों द्वारा किया गया और हस्ताक्षरित कोई भी मध्यकता समझौता मध्यकता अधिनियम, 2023 की धारा 27 की उपधारा (2) के अनुसार अंतिम और बाध्यकारी और प्रवर्तनीय होगा। ऐसे मध्यकता से जुड़ी सहयुक्त भी लागत दोनों पक्षकारों के बीच समान रूप से वहन की जाएगी।

6.4.3 यदि 90 (नब्बे) दिन से अधिक की अवधि के लिए मध्यकता या सुलह के पश्चात विवाद का समाधान नहीं होता है या पक्षकार, यथास्थिति, मध्यकता और सुलह के माध्यम से विवाद के समाधान का विकल्प नहीं चुनने का विकल्प चुनती हैं, विवाद का कोई भी पक्षकार विवाद को मध्यस्थता के लिए निर्दिष्ट कर सकेगा।

6.4.4 इस पट्टे की शासी विधि और मध्यस्थता समझौता, जिसमें इसके दायरे, विधिमान्यता और निर्वचन से संबंधित प्रश्न सम्मिलित हैं, भारतीय विधि होगा।

6.4.5 मध्यस्थता को अधिकरण द्वारा 3 (तीन) मध्यस्थ—प्रत्येक पक्षकार द्वारा नियुक्त एक से संचालित किया जाएगा, और तीसरा (पीठासीन मध्यस्थ) _____ के नियमों के अनुसार नियुक्त किया गया [पक्षकारों द्वारा चुनी गई मध्यस्थ संस्था का नाम अंतर्लिखित करें]।

या

मध्यस्थता को अधिकरण द्वारा 3 (तीन) मध्यस्थों प्रत्येक पक्षकार द्वारा नियुक्त एक से संचालित किया जाएगा। पक्षकारों द्वारा नियुक्त दो मध्यस्थ तीसरे मध्यस्थ की नियुक्ति करेंगे (पीठासीन मध्यस्थ)।

[यदि पक्षकार संस्थागत मध्यस्थता नहीं चुनें तो लागू होता है]

6.4.6 मध्यस्थता की भाषा अंग्रेजी होगी।

6.4.7 मध्यस्थता का स्थान _____ होगा। [नियमों के नियम 51(2) के अनुसार मध्यस्थता का स्थान अंतर्लिखित करें।]

परंतु इस पट्टे के अधीन कोई बात मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (1996 का 26) धारा 9, धारा 27, धारा 37 की उपधारा (1) के खंड (क) और उपधारा (3) की प्रयोज्यता को अपवर्जित नहीं करेगा।

परंतु, पट्टेदार के परिवर्तन की स्थिति में, पट्टेदार मध्यस्थता के स्थान के संशोधन के लिए नियमों के नियम 51 (3) में उपवर्जित अपेक्षाओं के अध्यधीन सरकार को आवेदन कर सकेगा।

6.4.8 किसी भी विवाद के समाधान को लंबित रखते हुए, पक्षकार जब तक मध्यस्थ अधिकरण या सक्षम अधिकारिता के न्यायालय द्वारा अन्यथा सहमति या निर्देशित न हों, इस पट्टे के अधीन व्यवहार्य विस्तार तक अपनी संबंधित बाध्यताओं का पालन करना जारी रखेंगी।

6.4.9 मध्यस्थता की लागत लागू संस्थागत नियमों के अनुसार आवंटित की जाएगी। मध्यस्थ अधिकरण के पास अपने अंतिम निर्णय में लागत पर आदेश देने की शक्ति होगी।

6.4.10 मध्यस्थ अधिकरण का अधिनिर्णय पक्षकारों के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा और मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के अनुसार प्रवर्तित किया जा सकेगा।

6.4.11 जहां पट्टे के अधीन कई मध्यस्थता उद्भूत होती हैं, पट्टेदार और केंद्रीय सरकार द्वारा निष्पादित संविदा या किसी भी संबंधित करार, पक्षकार ऐसी कार्यवाही को एकल मध्यस्थता में समेकित करने के लिए अपने सर्वोत्तम प्रयासों का उपयोग करेंगी। मध्यस्थ अधिकरण के पास सभी सुसंगत पक्षकारों की सहमति से, कार्यवाही को समेकित करने या अतिरिक्त पक्षकारों के संयोजन की अनुज्ञा देने के लिए शक्ति होगी, परंतु ऐसा कोई समेकन या संयोजन कार्यवाही में असम्यक रूप से देरी नहीं करेगा।

6.5 बाध्यताओं की निरंतरता.-

किसी भी विवाद के समाधान के लंबित रहने के दौरान, पक्षकार जब तक कि [मध्यस्थ अधिकरण/सक्षम न्यायालय] द्वारा अन्यथा सहमति या निर्देश न दिया जाए, व्यवहार्य विस्तार तक पट्टे के अधीन अपनी संबंधित बाध्यताओं का पालन करना जारी रखेंगे।

6.6 केंद्रीय सरकार को विवाद की अनिवार्य सूचना जहां पट्टाकर्ता राज्य सरकार है।-

पट्टे से या उसके संबंध में उद्भूत होने वाले किसी भी विवाद, मतभेद, असहमति या दावों की स्थिति में, पक्षकारों विधिक कार्यवाहियां शुरू होने पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के माध्यम से केंद्रीय सरकार को प्रारंभ होने के 7 (सात) दिन के भीतर सूचित करेंगे। यह स्पष्ट किया जाता है कि केंद्रीय सरकार को सूचित करने की बाध्यता विवाद समाधान तंत्र के प्रत्येक प्रक्रम में स्वतंत्र रूप से उत्पन्न होगी।

6.7 कतिपय मामलों में कार्यवाहियों का समेकन.-

संविदा के अधीन पट्टेदार और केंद्रीय सरकार के बीच विवाद अस्तित्वयुक्त होने की स्थिति में, पक्षकार विषय वस्तु के अतिव्यापी या समानता की दशा में, पट्टे से उद्भूत होने वाले किसी भी विवाद, मतभेद, असहमति या दावों को संविदा के अधीन गठित मध्यस्थ अधिकरण को निर्दिष्ट करने के लिए अपने सर्वोत्तम प्रयासों का उपयोग करेंगी।

6.8 स्थल बहाली.-

पट्टेदार केंद्रीय सरकार द्वारा जारी नियमों और मार्गदर्शक सिद्धांतों, स्कीमों और नीतियों के उपबंधों के अनुसार स्थल बहाली और रखरखाव निधि का अनुरक्षण करेगी।

6.9 परिवर्तन.-

पट्टे के किसी भी उपबंध का कोई संशोधन, उपांतरण या अधित्यजन तब तक विधिमान्य या बाध्यकारी नहीं होगी जब तक कि पट्टे के पक्षकारों द्वारा लिखित रूप में और हस्ताक्षरित न किया गया हो।

साक्षियों की ओर से, इस पट्टे को [स्थान का नाम]/[तारीख] पर निष्पादित किया गया है
पट्टेकर्ता के लिए पट्टेदार के लिए

[नाम अंतर्लिखित करें]

[नाम अंतर्लिखित करें]

परिशिष्ट-क

- पट्टे का क्षेत्रफल: _____ वर्ग किलोमीटर
- पट्टे पर दिया गया क्षेत्र _____ और मानचित्र का विवरण

तटवर्ती पेट्रोलियम पट्टे का रूपविधान

पेट्रोलियम पट्टे ("पट्टा") का यह विलेख [दिन अंतर्लिखित करें] के इस [मास अंतर्लिखित करें] दिन [अंतर्लिखित करें] के दिन और बीच में किया गया है:

पक्षकार:

_____ भारत के राष्ट्रपति, पहले भाग के _____ (जिसे इसमें इसके पश्चात "सरकार" कहा गया है) के माध्यम से कार्य करते हैं;

और

[कंपनी का नाम अंतर्लिखित करें], _____ के विधियों के अधीन निगमित कंपनी, (जिसे इसमें इसके पश्चात "_____" कहा गया है) जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय _____ में है, जिसके दूसरे भाग के पद में इसके उत्तराधिकारी और अनुज्ञात अंतरिती और समनुदेशन में सम्मिलित होंगे;

और

[कंपनी का नाम अंतर्लिखित करें], _____ के विधियों के अधीन निगमित कंपनी, (जिसे इसमें इसके पश्चात "_____" कहा गया है) जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय _____ में है, जिसके तीसरे भाग के पद में इसके उत्तराधिकारी और अनुज्ञात अंतरिती और समनुदेशन में सम्मिलित होंगे,;

[प्रत्येक सुसंगत पक्षकार के लिए पक्षकार खंड जोड़ें जो पट्टेदार होना है]

दूसरे और तीसरे भाग के पक्षकारों को सामूहिक रूप से जिसे इसमें इसके पश्चात "पट्टेदार" कहा गया है। सरकार और पट्टेदार को जिसे इसमें इसके पश्चात व्यक्तिगत रूप से "पक्षकार" के रूप में और सामूहिक रूप से "पक्षकारों" कहा गया है, जब तक कि निर्देश के विरुद्ध न हो।

यतः

क. पट्टेदार ने [(यदि पट्टेदार और सरकार के बीच खनिज तेल संक्रियाओं के लिए कोई संविदा है तो जोड़ें) _____ संविदा तारीख _____ (जिसे इसमें इसके पश्चात "संविदा" कहा गया है) और तेलक्षेत्र (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1948 (जिसे इसमें इसके पश्चात "अधिनियम" कहा गया है), और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 2025 के अनुसार, (जिसे इसमें इसके पश्चात "नियम" कहा गया है"), ने नियमों के नियम 5 के अनुसार, परिशिष्ट-क ("पट्टे पर दिए गए क्षेत्र") में पूर्ण रूप से वर्णित क्षेत्र पर पेट्रोलियम पट्टे के लिए आवेदन किया है।

ख. पट्टेदार ने इस पट्टे की तारीख से पहले, नियमों के नियम 5 के अनुसार, राज्य सरकार को 25,00,000 रुपये (भारतीय रुपये पच्चीस लाख) की प्रतिभूति जमा कर दी है।

तदनुसार, वर्तमान विलेख पट्टेदार को पट्टे पर दिए गए क्षेत्र पर पट्टा देने के लिए निष्पादित किया जा रहा है, जो इसमें इसके पश्चात पट्टेदार की ओर से आरक्षित और निहित प्रसंविदाओं और करारों के प्रतिफल में है, जिसे संदर्भ, संप्रेक्षित और अनुपालित और संविदा के निष्पादन और अनुपालन को आगे बढ़ाने के लिए रखा गया है।

अब अतः यह पक्षकारों के बीच सहमत है और यह पट्टा विलेख निम्नानुसार साक्षित है:

1. परिभाषाएं और निर्वचन.—

1.1 जब तक अन्यथा परिभाषित न किया गया हो, इस पट्टे में प्रयुक्त किए जाने वाले पदों का वही अर्थ होगा जो उनका अधिनियम और नियमों के अधीन है।

1.2 कानूनी उपबंधों के लिए इस पट्टे में सभी निर्देशों का अर्थ निम्नलिखित समझा जाएगा और इसके निर्देश सम्मिलित हैं: -

1.2.1 किसी भी कानूनी उपांतरण, समेकन या पुनः अधिनियमन (चाहे इस पट्टे की संविदा से पहले या पश्चात में) उस समय प्रवृत्त होने के लिए; और

1.2.2 सभी कानूनी साधन या आदेश कानूनी उपबंध के अनुसार किए गए हैं।

2. पट्टा का अनुदान.-

2.1 सरकार पट्टेदार को पट्टे पर दिए गए क्षेत्र में खनिज तेल संक्रिया के संचालन के लिए [वर्ष की संख्या अंतर्लिखित करें] वर्ष की अवधि के लिए पट्टे पर देती है, जब तक कि अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों या संविदा ("अवधि") के अनुसार पहले समाप्त या रद्द न किया गया हो।

2.2 अधिनियम और नियमों और सरकार और पट्टेदार के बीच निष्पादित संविदा की शर्तों के अधीन रहते हुए, पट्टेदार के पास निम्नलिखित होगा: -

2.2.1 पट्टे पर दिए गए क्षेत्र में खनिज तेलों का पता लगाने का अनन्य अधिकार, जिसमें भूवैज्ञानिक और भूभौतिकीय सर्वेक्षण करना, कुओं की खुदाई, खनिज तेलों के लिए परीक्षण संक्रिया सम्मिलित है, किंतु इन्हीं तक सीमित नहीं हैं;

2.2.2 पट्टे पर दिए गए क्षेत्र में खनिज तेलों को विकसित करने और उत्पादन करने के अनन्य अधिकार के साथ-साथ पट्टे पर दिए गए क्षेत्र में और उस पर निर्माण और रखरखाव का अधिकार जैसे संकर्मों, भवनों, संयत्रों, प्लेटफार्मों, जलमार्गों, सड़कों, पाइपलाइनों, बांधों, जलाशयों, टैंक, पंपिंग केंद्रों, ट्राम मार्गों, रेलवे, संचार केबलों, विद्युत ऊर्जा लाइनों और अन्य संरचनाओं और उपस्करों और अन्य सुविधाओं जो पट्टे के प्रयोजनों के लिए या पट्टे के अधीन अपने बाध्यता को पूरा करने के लिए आवश्यक हो, के निर्माण और रखरखाव के अधिकार के साथ-साथ हैं;

2.2.3 स्थल की बहाली, परित्याग और तेल कुओं, प्रतिष्ठानों और सहयुक्त सुविधाओं को बंद करने के अधिकार और बाध्यता;

2.2.4 पट्टे पर दिए गए क्षेत्र में व्यापक ऊर्जा परियोजनाओं का पता लगाने, योजना बनाने, विकसित करने और स्थापित करने और लागू विधि के अधीन आवश्यक अनुमोदन के अध्यधीन रहते हुए ऊर्जा का उत्पादन करने का अधिकार;

2.2.5 डीकार्बोनाइजेशन कार्यकलापों के लिए पट्टे पर दिए गए क्षेत्र का उपयोग करने का अधिकार; भारत सरकार द्वारा अधिनियम, नियमों, संविदा और नीतियों, अधिसूचनाओं और दिए गए निदेशों के अनुसार।

2.3 पट्टेदार लागू विधि के अनुसार, खनिज तेल संक्रियाओं या व्यापक ऊर्जा परियोजनाओं को पूरा करने के प्रयोजन से वास्तव में उपयोग की जाने वाली भूमि के सतह क्षेत्र के लिए पृथक रूप से सतह पट्टा प्राप्त करेगा।

2.4 पट्टेदार को नीचे दी गई रीति से पट्टे किराया देना होगा और इसमें दिए गए सभी करार और समझौतों का पालन करना होगा।

[पट्टे लेते समय नियम 9 में दी गई किराया सारणी सम्मिलित करें]

पट्टे पर दिए गए क्षेत्र के प्रति वर्ग किलोमीटर की रकम (रूपये में)	वर्ष
—	—

2.5 यह पट्टे, इस पट्टे के पहले वर्ष के लिए पट्टे किराए का संदाय मिलने की तारीख से लागू हो जाएगी, और पट्टेदार अधिनियम और नियमों के अनुसार पट्टे किराया का संदाय करना जारी रखेगा।

2.6 पट्टेदार हर समय अधिनियम, नियमों तथा सरकार द्वारा अधिनियम एवं नियमों के अधीन जारी की गई नीतियों, अधिसूचनाओं एवं निदेशों तथा पट्टे क्षेत्र के संबंध में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य लागू विधि के उपबंधों का अनुपालन करेगा तथा पट्टे के अधीन अपने अधिकारों और बाध्यताओं का पालन करेगा;

2.7 नियमों के नियम 18 के अधीन, पट्टे, अधिनियम और नियमों की शर्तों का उल्लंघन करने पर पट्टेदार द्वारा जमा की गई प्रतिभूति ज़ब्त की जा सकती है, और ज़ब्त होने की स्थिति में, पट्टेदार को ज़ब्त की गई रकम को ज़ब्त होने की तारीख से तीस दिनों के अंदर पूरी तरह से वापस करना होगा।

3. स्थिरीकरण—

3.1 विधि में परिवर्तन होने पर, जिससे पट्टेदार को मिलने वाले आर्थिक फ़ायदे में कमी आती है, तो पट्टेदार जितना हो सके, उस आर्थिक संतुलन को बहाल करने का हकदार होगा जो उस तारीख से ठीक पहले यहां दी गई रीति से विधि में परिवर्तन विद्यमान था।

3.2 विधि में ऐसा परिवर्तन होने पर, पट्टेदार को विधि में परिवर्तन होने की तारीख से 90 दिनों के अंदर, केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार को विधि में हुए परिवर्तन और ऐसी विधि में परिवर्तन से होने वाले आर्थिक फ़ायदे में होने वाली अनुमानित कमी के बारे में बताना होगा और नोटिस के साथ आर्थिक फ़ायदे में कमी को साबित करने वाले समर्थन हेतु दस्तावेज भी जमा करने होंगे।

3.3 पट्टेदार को केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार द्वारा मांगी गई कोई भी अतिरिक्त जानकारी या दस्तावेज तुरंत उपलब्ध कराने होंगे और पट्टेदार को उन्हें साठ दिनों के भीतर उपलब्ध कराना होगा।

3.4 इस पट्टे के खंड 4.2 के अनुसार नोटिस मिलने पर, पक्षकार विधि में परिवर्तन होने की तारीख से 1 (एक) वर्ष के अंदर आपसी सहमति से एक ऐसा निष्कर्ष निकालने की पूरी कोशिश करेंगी। इसके लिए, पक्षकार इस पट्टे में परिवर्तन करने या दूसरे सही रीति अपनाने पर सहमत हो सकती हैं जिससे पट्टेदार को, जितना हो सके, उस आर्थिक संतुलन में वापस लाया जा सके जो विधि में परिवर्तन की तारीख से ठीक पहले था।

3.5 अगर पक्षकार मामले को आपसी सहमति से नहीं सुलझा पाते हैं, तो पटेदार, खंड 4.4 के अधीन तय समय खत्म होने पर या उसके बाद, ऐसी रकम का अनन्तिम समायोजन शुरू कर सकता है, जो उसे ठीक से लगे कि उसे उसी वित्तीय स्थिति में वापस लाने के लिए ज़रूरी है, जैसा कि यहां बताया गया है।

3.5.1 कटौती, प्रथमतः, पटेदार द्वारा संविदा, पटे, अधिनियम या इन नियमों के अन्तर्गत देय किसी बकाया राशि से की जा सकेगी, जिससे —

- (i) केन्द्रीय सरकार, जहाँ विधि में परिवर्तन संसद द्वारा किया जाता है; और
- (ii) राज्य सरकार, जहाँ विधि में परिवर्तन उस राज्य के विधानमंडल द्वारा किया जाता है:

3.5.2 पटेदार, केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनों को कम से कम तीस दिन का पूर्व नोटिस देने के बाद, ऐसी कटौती के बाद बची किसी भी शेष राशि को देय बकाया राशि के विरुद्ध समायोजित कर सकता है—

- (i) राज्य सरकार, जहाँ विधि में परिवर्तन संसद द्वारा किया जाता है; और
- (ii) केन्द्रीय सरकार, जहाँ विधि में परिवर्तन राज्य की विधानसभा द्वारा किया जाता है।

3.5.3 पटेदार, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को उसके द्वारा की गई हर कटौती के बारे में बताएगा, जिसमें कटौती की गई रकम बताई जाएगी और कटौती से जुड़ी दूसरी सभी ज़रूरी और आवश्यक जानकारी राज्य सरकार को देगा, जिसकी एक प्रति केन्द्रीय सरकार को भी दी जाएगी।

3.5.4 पटेदार द्वारा की गई ऐसी कोई भी कटौती, पटेदार के विधि में ऐसे परिवर्तन के होने के दावे, पटेदार द्वारा की गई किसी भी कटौती की वैधता और मात्रा पर विवाद करने, अलग राय रखने या असहमत होने के केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी। केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा उठाए गए विवाद की लंबित अवधारणा तक, पटेदार द्वारा की गई कटौती सिर्फ़ एक अंतरिम उपाय की भाँति काम करेगी।

3.5.5 इस पटे के खंड 4.5.4 के दूसरे परंतुक के अधीन केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कोई विवाद इस पटे के खंड 7.4 के उपबंधों के अनुसार सुलझाया जाएगा।

3.6 "विधि में परिवर्तन" से निम्नलिखित में परिवर्तन अभिप्रेत है, अर्थात् :-

- i. पेट्रोलियम पटे की तारीख के बाद पटेदार द्वारा देय भारत में लागू विधियों के अधीन कर, शुल्क, पटे, उपकर, फीस, रॉयल्टी, प्रभार, अधिरोपण जिसके परिणामस्वरूप पटेदार को आर्थिक लाभ में कमी आती है, और
- ii. भारत में श्रम और नियोजन, पर्यावरण की सुरक्षा, स्वास्थ्य या रक्षा या वापस लेने और बंद करने से जुड़े कोई भी विधि जो अभी लागू हैं, जिससे पेट्रोलियम पटे की तारीख के बाद किसी

भी वित्तीय वर्ष में पट्टे लेने वाले को यूएसडी 5,000,000 (यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर्स पांच मिलियन) से ज्यादा का इकोनॉमिक फायदा कम हो जाता है,

चाहे ऐसा परिवर्तन दरों में परिवर्तन, भारत में लागू विधियों में परिवर्तन या किसी न्यायालय के निर्णय द्वारा निर्वचन में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है, जो अंतिम, विनिश्चायक और बाध्यकारी हो गया है, पेट्रोलियम पट्टे की तारीख से पहले ऐसा निर्वचन या आवेदन की तुलना में :

परंतु केन्द्रीय सरकार द्वारा कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस और संघनित के अलावा किसी भी खनिज तेल के लिए रॉयल्टी की दरें निष्पादन तारीख के बाद पहली बार निर्धारित करने के लिए की गई किसी भी अधिसूचना को विधि में परिवर्तन नहीं माना जाएगा।

4. प्रतिकर—

4.1 सरकार, भारत के विधि की प्रक्रिया से, लोक प्रयोजन और सही प्रतिकर के संदाय के अलावा, इस पट्टे से जुड़े पट्टेदार के अधिकारों, हितों या आस्ति को राष्ट्रीयकृत नहीं करेगी या किसी और तरह से नहीं लेगी।

परंतु जब तक पट्टेदार ने इस पट्टे के अधीन आने वाले किसी भी क्षेत्र के बारे में पट्टे के इस खंड में बताई गई घटना की तारीख से पहले कोई खोज न की हो और सरकार को खोज का नोटिस न दिया हो, तब तक कोई प्रतिकर नहीं दिया जाएगा।

4.2 इस पट्टे के खंड 5.1 में बताई गई घटनाओं के होने पर, पट्टेदार को प्रतिकर के तौर पर सही रकम दी जाएगी, यह रकम, सरकार द्वारा राष्ट्रीयकृत किए गए या किसी और तरह से लिए गए अधिकारों, हितों (जिसमें अविकसित आरक्षण से जुड़े अधिकार भी सम्मिलित हैं) या अधिकारों की उचित बाजार मूल्य के बराबर होगी, जो ऐसी घटना होने की तारीख से ठीक पहले की तारीख को होगी। मूल्यांकन मानक में जारी सतत मूल्य, आस्ति मूल्य जिसमें मूर्त संपत्ति की घोषित कर मूल्य सम्मिलित है, और उचित बाजार मूल्य तय करने के लिए, जैसा भी ज़रूरी हो, दूसरे मानक सम्मिलित होंगे।

4.3 इस खंड के अधीन सही प्रतिकर की पात्रता और मात्रा सरकार मामला-दर-मामला, तथ्य आधारित जांच के आधार पर तय करेगी, जिसमें सभी सुसंगत परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाएगा।

4.4 सबसे पहले, दोनों पक्षकारों, एक पक्ष के दूसरे पक्ष को सही प्रतिकर पर बातचीत के लिए नोटिस देने के 180 (एक सौ अस्सी) दिनों के अंदर सही प्रतिकर पर सहमत होने की कोशिश करेंगी। यदि कोई करार नहीं होता है, तो मामले को इस पट्टे के खंड 7.4 के अधीन विवाद सुलझाने के लिए भेजा जा सकता है।

5. पट्टे का निरस्तीकरण—

5.1 इस पट्टे को रद्द करना नियमों के नियम 18 के अनुसार होगा।

5.2 ऊपर बताई गई किसी भी बात में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए, यह पट्टे संविदा समाप्त होने पर इसका अवसान हो जाएगा।

6. प्रकीर्ण—

6.1 पट्टे का अंतरण या समनुदेशन -

पट्टे का कोई भी अंतरण या समनुदेशन नियम 20 के अनुसार किया जाएगा। ऐसे अंतरण या समनुदेशन की स्थिति में, पट्टे को अंतरिती या समनुदेशिती के नाम पर, अंतरण या समनुदेशन की सीमा तक, अलग-अलग या मिलकर, उस तारीख से संशोधित किया जाएगा जिस तारीख से ऐसा अंतरण या समनुदेशन प्रभावी होता है।

6.2 नोटिस—

6.2.1 इस पट्टे के अधीन दिए जाने वाले सभी नोटिस या दूसरे संसूचना, पक्षकारों के नीचे दिए गए अपने-अपने पतों पर, या पक्षकारों द्वारा समय-समय पर एक-दूसरे को लिखकर बताए गए दूसरे पतों पर, पत्र या ईमेल से लिखे जाएंगे।

6.2.2 पट्टे के प्रयोजन के लिए पक्षकारों के पते हैं :

[सभी पक्षकारों के लिए सम्मिलित करें]

6.2.3 पट्टेदार गठित करने की सभी पद्धतियों में, यहां बताए गए विवरण के बारे में किसी भी नोटिस की डिलीवरी, पट्टेदार के सभी लोगों को वैध नोटिस मानी जाएगी।

6.3 शासी विधि और अधिकार क्षेत्र —

इस पट्टे पर भारत के विधि लागू होंगे, और पट्टे में बताए गए विवाद सुलझाने की रीति के अधीन, इस पट्टे से जुड़े सभी मामलों पर दिल्ली के न्यायालयों की अनन्य अधिकारिता होगी।

6.4 विवाद समाधान-

6.4.1 इस पट्टे या इसके प्रदर्शन के संबंध में या इसके कारण उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद, मतभेद, असहमति या दावे की स्थिति में, जिसमें इसके अस्तित्व, वैधता, निरस्तीकरण या समाप्ति ("विवाद") के बारे में कोई भी प्रश्न सम्मिलित है, पक्षकारों पहले अवसर पर ऐसे विवाद उत्पन्न होने की तारीख से 90 (नब्बे) दिनों के भीतर सद्भावना वार्ता के माध्यम से ऐसे विवादों का सौहार्दपूर्ण समाधान प्राप्त करने के लिए अपना सर्वोत्तम प्रयास करेंगी।

6.4.2 यदि उपरोक्त विनिर्दिष्ट अवधि में विवाद आपसी सहमति से समाधान नहीं होता है, तो पक्षकारों (क) मध्यकता या सुलह के माध्यम, विवाद को समय-समय पर भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किए गए बाहरी विष्यात व्यक्तियों ("सीईईई") या विशेषज्ञों

की समिति को भेजकर, या (ख) मध्यकता के ज़रिए, मध्यकता अधिनियम, 2023 के अनुसार, आपसी सहमति से, किसी मध्यक को लगाने, विवाद का समाधान ढूँढ सकती हैं। पक्षकारों द्वारा किया गया और हस्ताक्षर किया गया कोई भी मध्यकता समझौता मध्यकता अधिनियम, 2023 की धारा 27 के उपधारा (2) के अनुसार अंतिम और बाध्यकारी और लागू करने लायक होगा। ऐसे मध्यकता से जुड़ा कोई भी खर्च दोनों पक्षकारों बराबर उठाएंगी।

6.4.3 अगर मध्यकता या सुलह के बाद भी विवाद 90 (नब्बे) दिनों से ज़्यादा समय तक समाधान नहीं होता है या पक्षकारों मध्यकता और सुलह से विवाद का हल नहीं निकालना चाहती हैं, तो विवाद की कोई भी पक्ष विवाद को मध्यस्थता के लिए भेज सकती है।

6.4.4 इस पटे और मध्यस्थता करार का शासी विधि, जिसमें इसके विस्तार, वैधता और निर्वचन से जुड़े प्रश्न सम्मिलित हैं, भारतीय विधि होगी।

6.4.5 मध्यस्थता 3 (तीन) मध्यस्थों के अधिकरण द्वारा संचालित की जाएगी - प्रत्येक पक्ष द्वारा नियुक्त एक, और तीसरा (अध्यक्ष मध्यस्थ) _____ के नियमों के अनुसार नियुक्त किया जाएगा [पक्षों द्वारा चुने गए मध्यस्थ संस्था का नाम सम्मिलित करें]।

या

मध्यस्थता 3 (तीन) मध्यकों के अधिकरण द्वारा किया जाएगा—हर पक्षकार द्वारा नियुक्त एक। पक्षकारों द्वारा नियुक्त दो मध्यकों तीसरे मध्यकों (अध्यक्ष मध्यकों) को नियुक्त करेंगे।

[यदि पक्ष संस्थागत मध्यस्थता का चयन नहीं करते हैं तो लागू होता है]

6.4.6 मध्यस्थता की भाषा अंग्रेजी होगी।

6.4.7 मध्यस्थता की सीट _____ होगी। [कृपया नियम के नियम 51(2) के अनुसार मध्यस्थता की सीट विनिर्दिष्ट करें।]

परंतु इस पटे के अंतर्गत कोई भी बात मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (1996 का 26) की धारा 9, 27, धारा 37 की उपधारा (1) के खंड (क) और उपधारा (3) की प्रयोज्यता को अपवर्जित नहीं करेगी।

परंतु यह और कि पटेदार के परिवर्तन की स्थिति में, पटेदार नियमों के नियम 51(3) में निर्धारित अपेक्षाओं के अधीन, मध्यस्थता की सीट में संशोधन के लिए सरकार को आवेदन कर सकता है।

6.4.8 किसी भी विवाद के समाधान होने तक, पक्षकारों, जब तक कि माध्यस्थम् अधिकरण या सक्षम अधिकार क्षेत्र वाली कोर्ट द्वारा सहमति न दी जाए या निर्देश न दिया जाए, इस पटे के अधीन अपनी-अपनी ज़िम्मेदारियों को, जहाँ तक हो सके, पूरा करती रहेंगी।

6.4.9 माध्यस्थम् का खर्च लागू संस्थागत नियमों के अनुसार बांटा जाएगा। माध्यस्थम् अधिकरण के पास अपने आखिरी निर्णय में खर्चों पर आदेश देने का अधिकार होगा।

6.4.10 माध्यस्थम् अधिकरण का निर्णय अंतिम होगा और पक्षकारों पर लागू होगा और इसे माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 के अनुसार प्रवृत्त किया जा सकता है।

6.4.11 जहां पट्टा, पट्टेदार और सरकार द्वारा की गई संविदा या किसी संबंधित करार के अधीन कई माध्यस्थम् होते हैं, तो पक्षकारों ऐसी कार्यवाही को एक ही माध्यस्थम् में मिलाने की पूरी कोशिश करेंगी। माध्यस्थम् अधिकरण के पास सभी संबंधित पार्टियों की सहमति से कार्यवाही को समेकित करने या अतिरिक्त पक्षकारों को जोड़ने की अनुमति देने का अधिकार होगा, परंतु ऐसा कोई भी समेकन या जोड़ना कार्यवाही में अनावश्यक देरी न करे।

6.5 दायित्वों की बाध्यता-

किसी विवाद के समाधान के लंबित रहने के दौरान, जब तक कि [मा.अ./ सक्षम न्यायालय] द्वारा अन्यथा सहमति न दी जाए या निर्देश न दिया जाए, पक्षकारों पट्टे के अधीन अपनी-अपनी जिम्मेदारियों को यथासंभव पूरा करती रहेंगी।

6.6 कुछ मामलों में कार्यवाही का समेकन —

संविदा के अधीन पट्टेदार और सरकार के बीच किसी विवाद की स्थिति में, पक्षकारों, विषय के परस्पर व्याप करने या समानता के मामले में, पट्टे से होने वाले किसी भी विवाद, मतभेद, असहमति या दावों को संविदा के अधीन बने माध्यस्थम् अधिकरण को भेजने के लिए सहमत होंगी।

6.7 साइट बहाली —

पट्टेदार, नियमों और सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देश, स्कीम और पॉलिसी के अनुसार साइट बहाली करेगा और एक साइट बहाली निधि बनाए रखेगा।

6.8 परिवर्तन —

पट्टे के किसी उपबंध के किसी भी नियम में कोई भी परिवर्तन, उपांतरण या छूट तब तक मान्य या बाध्यकारी नहीं होगी, जब तक कि वह लिखित रूप में न हो और पट्टे के पक्षकारों द्वारा उस पर हस्ताक्षर न किए गए हों।

जिसके साक्ष्य स्वरूप यह पट्टे [स्थान का नाम] पर [तारीख] को निष्पादित किया गया है

पट्टदाता के लिए पट्टदार के लिए

[नाम सम्मलित करे] [नाम सम्मलित करे]

परिशिष्ट क

1. पट्टे का क्षेत्र: _____ वर्ग किलोमीटर
2. पट्टे पर दिए गए क्षेत्र का विवरण और मानचित्र

अनुसूची – 3

(पेट्रोलियम पट्टे की अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन)

[नियम 10(3) देखें]

1. साधारण जानकारी :

क्रम संख्या	विवरण	विवरण
(i) (क)	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और डीजीएच को भेजे गए विस्तार अनुरोध के लिए आवरण पत्र नंबर और तारीख और अगर लागू हो, तो सरकार और आवेदक के बीच हुए संविदा की जानकारी	
(ख)	आवेदक का नाम	
(ग)	अर्हता	
(घ)	पता	
(ङ)	राष्ट्रीयता	
(ii)	पेट्रोलियम पट्टे का विवरण	
(iii)	राज्य का नाम) ऑनलैंड के लिए लागू)	
(iv)	बेसिन / आस्ति का नाम (अगर लागू हो)	
(v)	अवधि	
(vi)	कंपनी का प्रकार (पब्लिक/प्राइवेट)	
(vii)	उस इलाके के पेट्रोलियम विस्तार अनुज्ञासि की जानकारी जिसे पेट्रोलियम पट्टे में बदलने के लिए आवेदन किया गया है (अगर लागू हो)	
(viii)	लागू पट्टे का क्षेत्र	
(ix)	विद्यमान क्षेत्र	

(x)	पट्टे क्षेत्र में क्षेत्र/ढांचा (अगर लागू हो)		
(xi)	विद्यमान पट्टे के लिए प्रभावी तारीख		
(xii)	विस्तार के लिए आवेदित की गई अवधि	से	
(xiii)	उत्पादन प्रारंभ तारीख		
(xiv)	भुगतान किए गए वैधानिक शुल्क	रकम	भुगतान की तारीख
	आवेदन शुल्क		
	प्रारंभिक व्यय		
	सुरक्षा जमा राशि		
	त्याग (यदि कोई हो) वर्ग कि.मी.		

2. प्रस्तावित पेट्रोलियम पट्टे क्षेत्र की जानकारी:

(i) आवेदित क्षेत्र के संयोजन :

(क) प्रक्षेपण प्रणाली (डब्ल्यूजीएस-84 में)।

प्रक्षेपण प्रणाली	उपगोल	क्षेत्र

(ख) विद्यमान पट्टे के संयोजन :

अंक	एक्स	वार्ड	देशान्तर			अक्षांश		
			डिग्री	मिनट	द्विसरा	डिग्री	मिनट	द्विसरा

(ग) पेट्रोलियम पट्टे का मानचित्र जिसके लिए आवेदन किया गया है:

क्या प्रस्तावित क्षेत्र या उसका कोई भाग किसी आरक्षित वन में आता है ? अगर हाँ, तो आरक्षित वन के अंदर आने वाले क्षेत्र का नाम और स्कवा किसी में बताएं:

(घ) गांव के मामले में, गांव का नाम और क्वर किया गया क्षेत्र:

(ङ) जिलों की सूची:

(च) लागू विधिक मंजूरी की प्राप्ति :

3. मानचित्र/आंकड़े की सूची :

मानचित्र/ चित्र संख्या	विवरण
1	गैस/तेल आइसोपे मानचित्र
2	भूकंपीय विशेषता मानचित्र
3	भूकंपीय क्रॉस सेक्षन
4.	शुद्ध पे मानचित्र
5	कुएं की लोकेशन के साथ 1पी / 2पी / 3पी पॉलीगॉन
6	बेल लॉग सहसंबंध
7	ब्लॉक सीमा की आकार फ़ाइल
8	संरचना समोद्धु / गहराई समोद्धु मानचित्र
9	रुचिकर ज्ञोन को मार्क करने वाले रिप्रेजेटिव लॉग सेक्षन
10	कोई अन्य मानचित्र/आकृति

टिप्पण : मानचित्र/आंकड़े, जैसा लागू हो, उपावंध के रूप में उपावद्ध किए जा सकते हैं।

4. विद्यमान/सोचे गए अवसंरचना का व्यौरा:

5. पेट्रोलियम पट्टे विस्तार का औचित्य:

6. प्रस्तावित फील्ड विकास योजना (अगर लागू हो):

7. पट्टे क्षेत्र के लिए प्रस्तावित वर्क प्रोग्राम (अगर लागू हो):

8. अनुमानित निवेश:

पट्टेदार के अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

अनुसूची – 4

(पेट्रोलियम पट्टे की अवधि का विस्तार)

[नियम 10 (8) एवं (9) देखें]

प्रति :

[पट्टेदार का नाम]

[पट्टेदार का रजिस्ट्रीकृत पता]

विषय : [पट्टे पर दिए गए क्षेत्र/ब्लॉक/फील्ड का विवरण] के लिए पेट्रोलियम पट्टे की अवधि बढ़ाने हेतु आवेदन का अनुमोदन

महोदय/महोदया,

मुझे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 2025 (जिसे इसमें इसके पश्चात् आगे “नियम” कहा गया है) के नियम [] के अंतर्गत प्रस्तुत आपके तारीख [] के आवेदन का संदर्भ देने का निर्देश हुआ है, जिसमें [स्थान/विवरण] के लिए मूल रूप से [] को दी गई पेट्रोलियम पट्टे विलेख तारीख [] की अवधि बढ़ाने की मांग की गई है।

आपके आवेदन, समर्थन दस्तावेज के पुनर्विलोकन के बाद, और नियमों के अनुसार, [केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार की पहले से मंजूरी लेकर], पेट्रोलियम पट्टे विलेख, तारीख [] के अवधि को बढ़ाने के आवेदन को मंजूरी देती है, यह अवधि पट्टा क्षेत्र, जिसका माप _____ है, जैसा कि परिशिष्ट-क में बताया गया है, [] वर्ष के लिए और बढ़ाया जाएगा, जो [विस्तार की प्रभावी तारीख] से शुरू होकर [विस्तार की आखिरी तारीख] तक जारी रहेगा, और नीचे दिए गए नियमों और शर्तों के अधीन होगा।

(क) शर्तों की निरंतरता : मूल पट्टे विलेख तारीख _____ में सभी नियम, शर्तें, अनुबंध और दायित्व, जब तक कि इसमें स्पष्ट रूप से उपांतरित न किए जाएं, पेट्रोलियम पट्टे की विस्तारित अवधि के दौरान पूर्ण रूप से लागू रहेंगे।

(ख) किराया : पट्टेदार, नियम के नियम 9 के अनुसार से लागू रेट पर किराया देगा, और मूल और बढ़ाए गए समय को किराया बढ़ाने और दूसरे कामों के लिए लगातार समय मानेगा। अतः, किराया इस तरह देना होगा:

[नियम 9 के अनुसार लागू किराये की सारणी सम्मिलित करें]

(ग) अनुपालन : पट्टेदार को भारत में लागू सभी विधियों का अनुपालन करना होगा।

(घ) गारंटी और सुरक्षा : जहां लागू हो, पट्टेदार मूल पट्टे विलेख तारीख _____ के अधीन विस्तारित अवधि के लिए आवश्यक किसी भी बैंक गारंटी, सुरक्षा जमा या बीमा की भरपाई या नवीनीकरण करेगा।

(ङ) रिपोर्टिंग और निगरानी : पट्टेदार नियमित प्रगति रिपोर्ट, उत्पादन डेटा और अन्य कोई भी जानकारी फाइल करेगा जैसा कि विस्तारित अवधि के दौरान भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित हो सकता है।

(च) कोई छूट नहीं : यह विस्तार पटेदार द्वारा किसी उल्लंघन या चूक के संबंध में मूल पटे या लागू विधि के अधीन सरकार के किसी भी अधिकार या उपाय से छूट या पूर्वाग्रह नहीं प्रदान करता है।

(छ) रद्द करना : बढ़ी हुई अवधि के दौरान पटे के किसी भी नियम या इन शर्तों का पालन न करने पर, सरकार के दूसरे अधिकारों पर कोई असर डाले बिना, बढ़ी हुई अवधि खत्म होने से पहले पटे रद्द की जा सकती है।

(ज) अन्य शर्तें : विस्तार और निरंतर संचालन इस अनुमोदन के साथ संलग्न उपाबंध-1 में बताई गई अन्य विशिष्ट या साधारण शर्तों के अधीन होगा।

प्रभावी तारीख:

यह विस्तार [विस्तार की शुरू होने की तारीख] से लागू होगा और [विस्तार की खत्म होने की तारीख] तक वैध रहेगा, जब तक कि इसे विधि और शर्तों के अनुसार पहले खत्म न कर दिया जाए।

पावती:

पटेदार को इस विस्तार की शर्तों की प्राप्ति और स्वीकृति को काउंटरसाइन करके और जारी होने के [] दिनों के अंदर इसकी एक प्रति वापस करके स्वीकार करना होगा। इसके बाद, पटे विलेख की तारीख [] के [] में बताई गई पटे की अवधि को [] पढ़ा जाएगा।

के लिए और की ओर से

[केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार]

[नाम, पदनाम और विभाग]

[मुहर और तारीख]

प्रतिहस्ताक्षरित और स्वीकृत :

[पटेदार/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम]

[पदनाम

]

[तारीख]

उपाबंध-1

यदि कोई और विनिर्दिष्ट या साधारण या आम शर्तें ज़रूरी हैं, तो उनकी सूची उपलब्ध कराएं।

परिशिष्ट-क

1. पट्टे का क्षेत्र-----वर्ग किमी
2. पट्टा क्षेत्र का विवरण -----और मानचित्र

3. अनुसूची – 5

(पेट्रोलियम पट्टे के क्षेत्र के विस्तार के लिए आवेदन)

[नियम 12 (3) देखें]

1. साधारण सूचना:

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा
(i) (क)	सरकार और आवेदक के बीच निष्पादित संविदा का ब्यौरा (यदि लागू हो)	
(i) (ख)	आवेदक का नाम	
(i) (ग)	पता	
(i) (घ)	निगमन का स्थान	
(ii)	पेट्रोलियम पट्टे का नाम (यदि लागू हो)	
(iii)	राज्य का नाम (ऑनलैंड के लिए लागू)	
(iv)	बेसिन/आस्ति का नाम (यदि लागू हो)	
(v)	व्यवस्था	
(vi)	कंपनी का प्रकार (पब्लिक/प्राइवेट)	
(vii)	विद्यमान पेट्रोलियम पट्टे/अनुज्ञासि का ब्यौरा या पेट्रोलियम पट्टे/अनुज्ञासि देने की मंजूरी	
(viii)	पट्टे विलेख/अनुज्ञासि के निष्पादन की तारीख	
(ix)	पट्टे का विद्यमान क्षेत्र	
(x)	आवेदित क्षेत्र का विस्तार	
(xi)	राज्य और ज़िले के क्षेत्र का विस्तार	
(xii)	विद्यमान पट्टे के लिए प्रभावी तारीख	

2. प्रस्तावित पेट्रोलियम पट्टे क्षेत्र का व्यौरा :

(i) आवेदित क्षेत्र के निर्देशांक :

(क) प्रक्षेपण प्रणाली (डब्ल्यूजीएस-84 में)।

प्रक्षेपण प्रणाली	गोलाकार	जोन

(क) विद्यमान पट्टे के निर्देशांक:

(ख) विस्तार के लिए आवेदित क्षेत्र के निर्देशांक:

विन्दु	X	Y	देशांतर			अक्षांश		
			डिग्री	मिनट	सेकेण्ड	डिग्री	मिनट	सेकेण्ड

(ग) पेट्रोलियम पट्टे का मानचित्र और विस्तार के लिए आवेदित क्षेत्र :

(घ) क्या आवेदित क्षेत्र विस्तार किया गया या उसका कोई हिस्सा किसी आरक्षित वन में आता है। यदि हाँ, तो आरक्षित वन में आने वाले क्षेत्र का नाम वर्ग कि.मी. में बताएँ और आरक्षित वन का नाम भी बताएँ (तटवर्ती के लिए):

गाँव के मामले में, गाँव का नाम और कवर किया गया क्षेत्र (तटवर्ती के लिए):

(ङ) ज़िलों की सूची (तटवर्ती के लिए):

(च) राज्यों की सूची (तटवर्ती के लिए):

(छ) मानचित्र/रेखाचित्रों की सूची:

मानचित्र/ चित्र/रेखाचित्र/ संछ्या	विवरण
1	गैस/तेल आइसोपे मानचित्र
2	भूकंपी लक्षण मानचित्र
3	भूकंपी क्रॉस सेक्शन
4.	नेट पे मानचित्र
5	कुएं की अवस्थिति के साथ 1पी / 2पी / 3पी पॉलीगॉन
6	कुएं का लाँग समन्वयन
7	ब्लॉक सीमा की शेप फ़ाइल
8	संरचना रूपरेखा / डेप्थ रूपरेखा मानचित्र
9	हितवद्ध ज़ोन को चिन्हित करने वाले प्रतिनिधि लाँग सेक्शन
10	कोई और मानचित्र/रेखाचित्र

टिप्पण: लागू मानचित्र/रेखाचित्र उपावंध के रूप में संलग्न किए जा सकते हैं।

(ii) क्या विस्तार के लिए आवेदित क्षेत्र किसी दूसरे पेट्रोलियम पट्टे के साथ सीमा साझा करता है (यदि हाँ, तो पट्टे और प्रचालक का ब्यौरा):

3. पेट्रोलियम पट्टे के क्षेत्र के विस्तार का न्यायोचित्य:

4. प्रस्तावित क्षेत्र विकास योजना (यदि लागू हो):

5. विस्तार के लिए आवेदित क्षेत्र के लिए प्रस्तावित कार्य कार्यक्रम (यदि लागू हो):

6. प्रायोजित विनिधान:

7. उस क्षेत्र में भंडारण स्थल के विस्तार को दिखाने वाले दस्तावेज, रिपोर्ट्स, अध्ययन, मॉडल्स की प्रतियां, जिसके लिए विस्तार मांगा जा रहा है।

अनुसूची - 6

(पेट्रोलियम पट्टे के क्षेत्र के विस्तार के लिए आवेदन)

[नियम 12(6) और (7) देखें]

सेवा में:

[पट्टा लेने वाले का नाम]

[पट्टा लेने वाले का रजिस्ट्रीकृत पता]

विषय: पेट्रोलियम पट्टे के क्षेत्र के विस्तार के लिए आवेदन को मंजूरी [पट्टे वाले क्षेत्र/ब्लॉक/क्षेत्र का विवरण]

महोदय/महोदया,

मुझे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 2025 (जिसे इसमें इसके पश्चात् “नियम” कहा गया है) के नियम [] के अधीन जमा किए गए आपके [] तारीख के आवेदन के निर्देश का निदेश दिया गया है, जिसमें [] तारीख के पेट्रोलियम पट्टे विलेख के क्षेत्र के विस्तार की मांग की गई है, जो मूल रूप से [] को [अवस्थिति/विवरण] के लिए दिया गया था।

आपके आवेदन, समर्थित दस्तावेज और नियम के अनुसार, [केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार, केंद्रीय सरकार की पहले से मंजूरी लेकर], पेट्रोलियम पट्टे विलेख तारीख [] के क्षेत्र के विस्तार के आवेदन को मंजूरी देती है। बदला हुआ पट्टा क्षेत्र अब _____ है, जैसा कि इसके साथ परिशिष्ट-क में बताया गया है, और यह नीचे दिए गए नियंत्रण और शर्तों के अधीन होगा।

विस्तार की शर्तें:

(क) पट्टेदार पूरे बदले हुए पट्टा क्षेत्र के संबंध में _____ तारीख के पट्टा विलेख में सभी नियंत्रण, शर्तों, पारस्परिक संविदा और बाध्यताओं से बंधा रहेगा।

(ख) किराया: पट्टेदार को पूरे बदले हुए पट्टा क्षेत्र के लिए नियम 11 के अनुसार लागू दर पर किराया देना होगा।

(ग) अनुपालन: पट्टेदार को भारत में लागू सभी विधियों का पालन करना होगा।

(घ) कोई अधित्यजन नहीं: यह विस्तार पट्टेदार द्वारा किसी भी भंग या व्युत्पन्न से जुड़े मूल पट्टे या लागू विधि के अधीन सरकार के किसी भी अधिकार या उपचार को अधित्यक्त नहीं करता है या तुकसान नहीं पहुंचाता है।

(ङ) अन्य शर्तें: यह विस्तार इस मंजूरी के साथ दिए गए उपावंध-1 में कथित किसी भी अन्य विनिर्दिष्ट या साधारण शर्तों के अधीन होगा।

प्रभावी तारीख:

यह विस्तार _____ को लागू होगा।

पावती :

पट्टेदार को इस विस्तार के नियंत्रणों की रसीद और स्वीकृति को प्रतिहस्ताक्षर करके और इस अनुमोदन की एक प्रति जारी होने के [] दिनों के अंदर वापस करना अपेक्षित होगा। इसके पश्चात्, पट्टा विलेख के परिशिष्ट-क में विनिर्दिष्ट पट्टा क्षेत्र, तारीख _____ को _____ रूप में पढ़ा जाएगा और उसमें उपबंधित मानचित्र, साथ में दिए गए मानचित्र से बदला हुआ माना जाएगा।

के लिए और उनके निमित्

[केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार]

[नाम, पद और विभाग]

[मोहर और तारीख]

प्रतिहस्ताक्षरित और स्वीकृतः

[पट्टेदार/प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम]

[पदनाम]

[तारीख]

उपांचंद्र - 1

किसी अन्य विनिर्दिष्ट या साधारण शर्तों की सूची उपबंधित करें, यदि कोई है, जो कि आवश्यक है।

परिशिष्ट

1. पट्टे का क्षेत्र: _____ वर्ग किलोमीटर

2. पट्टे के क्षेत्र का विवरण _____ और मानचित्र

अनुसूची - 7

(उत्पादित खनिज तेलों की मात्रा दर्शाते हुए मासिक विवरणी जमा करने हेतु प्ररूप)

[नियम 14 (2) देखें]

संविदा का व्यौरा	
पेट्रोलियम पट्टे का व्यौरा	
पेट्रोलियम पट्टा अनुदत्त करने की तारीख	
पेट्रोलियम पट्टे के अवसान की तारीख	
पट्टदार/संविदाकार का नाम	
फ़िल्ड/ब्लॉक/क्षेत्र का नाम	
मास और वर्ष	

खनिज तेल का प्रकार दर्शाएं (कञ्चा तेल / संघनन)

(1) कुल उत्पादित खनिज तेल (बैरल)	(2) भंडारण क्षेत्र में वापस किया गया खनिज तेल (बैरल)	(3) ड्रिलिंग या खनिज तेल के उत्पादन से जुड़े दूसरे प्रचालनों में इस्तेमाल किया गया खनिज तेल (बैरल)	(4) अपरिहार्य रूप से खोया गया खनिज तेल (बैरल)	(5) = (1)- (2)-(3)- (4) (बैरल)	टिप्पणी	
(1) कुल उत्पादित किया गया खनिज तेल (मीट्रिक टन)	(2) भंडारण क्षेत्र में वापस किया गया खनिज तेल (मीट्रिक टन)	(3) ड्रिलिंग या खनिज तेल के उत्पादन से जुड़े दूसरे प्रचालनों के लिए इस्तेमाल किया गया	(4) अपरिहार्य रूप से खोया गया खनिज तेल (मीट्रिक टन)	(5) = (1)- (2)-(3)- (4) (मीट्रिक टन)	टिप्पणी	

		खनिज तेल (मीट्रिक टन)			

स्वामिस्व प्रोत्साहन का व्यौरा, यदि लागू हो (तेल)

राजपत्र अधिसूचना संख्या / नीति (उपावंध के रूप में संदर्भ दस्तावेज़ संलग्न करें)	राजपत्र अधिसूचना संख्या, तारीख / नीति संदर्भ, तारीख	राजपत्र अधिसूचना / नीति के अनुसार स्वामिस्व कमी का प्रतिशत
स्वामिस्व में कमी के लिए परिमाण (बैरल)		
स्वामिस्व में कमी के लिए परिमाण (मीट्रिक टन)		

खनिज तेल (गैस) का प्रकार दर्शाएं

(1) कुल उत्पादित खनिज तेल (मानक क्यूबिक मीटर)	(2) भंडारण क्षेत्र में वापस किया गया खनिज तेल (मानक क्यूबिक मीटर)	(3) ड्रिलिंग या खनिज तेल के उत्पादन से जुड़े दूसरे प्रचालन में इस्तेमाल किया गया खनिज तेल (मानक क्यूबिक मीटर)	(4) अपरिहार्य रूप से खोया गया खनिज तेल (मानक क्यूबिक मीटर)	(5) = (1)- (2)-(3)- (4) (मानक क्यूबिक मीटर)	प्रज्जवलित (मानक क्यूबिक मीटर)	टिप्पणी
(1) कुल उत्पादित खनिज तेल (मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट्स)	(2) भंडारण क्षेत्र में वापस किया गया खनिज तेल (मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट्स)	(3) ड्रिलिंग या खनिज तेल के उत्पादन से जुड़े दूसरे प्रचालन के लिए	(4) अपरिहार्य रूप से खोया गया खनिज तेल (मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट्स)	(5) = (1)- (2)-(3)- (4) (मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट्स)	प्रज्जवलित (मानक क्यूबिक मीटर)	टिप्पणी

	ब्रिटिश थर्मल यूनिट्स)	इस्तेमाल किया गया खनिज तेल (मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट्स)			
स्वामिस्व प्रोत्साहन व्यौरा, यदि लागू हो (गैस)					
राजपत्र अधिसूचना संख्या / नीति (उपावंध के रूप में संदर्भ दस्तावेज संलग्न करें)	राजपत्र अधिसूचना संख्या, तारीख / नीति संदर्भ, तारीख	राजपत्र अधिसूचना / नीति के अनुसार स्वामिस्व कमी का प्रतिशत			
स्वामिस्व में कमी के लिए अर्हित करने वाला परिमाण (मानक क्यूबिक मीटर)					
स्वामिस्व में कमी के लिए अर्हित करने वाला परिमाण (मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट)					

घोषणा: मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि यहाँ दी गई जानकारी मेरी जानकारी के अनुसार सही है। मैं यह भी पुष्टि करता/करती हूँ कि दिया गया डाटा लागू नियमों का पालन करता है, जिसमें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 2025, और सुसंगत सरकारी प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए सभी नियम शामिल हैं, किंतु इन्हीं तक सीमित नहीं हैं। मैं समझता/समझती हूँ कि गलत या गुमराह करने वाली जानकारी देने पर विधिक और विनियामक परिणाम हो सकते हैं।

नाम:

पदनाम:

कंपनी:

तारीख:

हस्ताक्षर:

अनुसूची – 8

(विशेष पेट्रोलियम पट्टे अनुदत्त करने के लिए आवेदन)

[नियम 62(2) देखें]

1. साधारण सूचना:

क्र. सं.	विवरण	विस्तार
(i)	(क) सरकार और आवेदक के बीच हुए निष्पादित संविदा का व्यौरा (यदि लागू हो)	
	(ख) आवेदक का नाम	

	(ग) पता		
	(घ) निगमन का स्थान		
(ii)	पेट्रोलियम पट्टे का नाम (यदि लागू हो)		
(iii)	राज्य का नाम (ऑनलैंड के लिए लागू)		
(iv)	वेसिन या आस्ति का नाम (यदि लागू हो)		
(v)	व्यवस्था		
(vi)	कंपनी का प्रकार (पब्लिक या प्राइवेट)		
(vii)	संबंधित पेट्रोलियम खोज अनुज्ञासि या पेट्रोलियम पट्टे का व्यौरा (यदि लागू हो)		
(viii)	आवेदित पट्टे का क्षेत्र		
(ix)	पट्टा क्षेत्र में फील्ड या ढांचा (यदि कोई हो)		
(x)	अनुदत्त के लिए आवेदित की गई अवधि	से _____ तक _____	
(xi)	संदर्भ कानूनी फीस	रकम	संदाय की तारीख
	सुरक्षा जमा राशि		

2. विनिर्दिष्ट पेट्रोलियम पट्टा क्षेत्र में किए जाने वाले विशेष पेट्रोलियम प्रचालनों की सूची

3. प्रायोजित विनिधान/व्यय:

4. विनिर्दिष्ट पेट्रोलियम पट्टा लेने और पेट्रोलियम पट्टा न लेने का औचित्य:

5. प्रस्तावित विनिर्दिष्ट पेट्रोलियम पट्टा क्षेत्र का व्यौरा:

(i) आवेदित क्षेत्र के निर्देशांक:

(क) प्रक्षेपण प्रणाली (विश्व भूगणितीय प्रणाली 1984 में)

प्रक्षेपण प्रणाली	गोलाकार	जोन

(ख) पट्टे के निर्देशांक :

बिन्दु	X	Y	देशांतर			अक्षांश		
			डिग्री	मिनट	सेकेण्ड	डिग्री	मिनट	सेकेण्ड

(ग) आवेदित पेट्रोलियम पट्टे का मानचित्र:

(घ) क्या प्रस्तावित क्षेत्र या उसका कोई हिस्सा किसी आरक्षित वन में आता है। यदि हाँ, तो आरक्षित वन में आने वाले क्षेत्र का नाम वर्ग कि.मी. में बताएँ और आरक्षित वन का नाम भी बताएँ:

(ङ) गाँव के मामले में, गाँव का नाम और क्वर किया गया क्षेत्र:

(च) ज़िलों की सूची:

(छ) मानचित्र/रेखाचित्र की सूची:

मानचित्र/रेखाचित्र संख्या का विवरण	मानचित्र/रेखाचित्र संख्या का विवरण
1	गैस/तेल आइसोपे मानचित्र
2	भूकंपी लक्षण मानचित्र
3	भूकंपी क्रॉस सेक्षन
4.	नेट पे मानचित्र
5	कुएं की अवस्थिति के साथ 1पी / 2पी / 3पी पॉलीगॉन
6	कुएं का लॉग समन्वयन
7	ब्लॉक सीमा की शेप फ़ाइल
8	संरचना रूपरेखा / डेप्थ रूपरेखा मानचित्र
9	हितबद्ध ज़ोन को चिन्हित करने वाले प्रतिनिधि लॉग सेक्षन
10	कोई और मानचित्र/रेखाचित्र
11	संविदा की प्रति

टिप्पणी: लागू मानचित्र/रेखाचित्र उपाबंध के रूप में संलग्न किए जा सकते हैं।

पट्टेदार के प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

[फा. सं. इएक्सपीएल-11032(11)/6/2025-इएक्सपीएल-II- पीएनजी (ई-52681)]

विनोद शेषन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 9th December, 2025

G.S.R. 888(E).—In exercise of powers conferred by sections 5, 6, 9 and 9A of the Oilfields (Regulations and Development) Act, 1948 (53 of 1948) and in supersession of the Petroleum Concession Rules, 1949 and the Petroleum and Natural Gas Rules, 1959, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the grant of petroleum leases in respect of mineral oils, and for conservation and development thereof, namely:-

CHAPTER I
PRELIMINARY

1. Short title and commencement. — (1) These rules may be called the Petroleum and Natural Gas Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions. — (1) In these rules unless the context otherwise requires,—

(a) “Act” means the Oilfields (Regulation & Development) Act, 1948 (53 of 1948);

(b) “bore-hole” means a well, drilled in the sub-surface with or without obtaining the cores of rock samples for the purposes of ascertaining information;

(c) “coal bed methane” means a natural gas consisting primarily of methane contained in coal beds under reservoir condition and extracted from there;

(d) “comprehensive energy project” shall mean any integrated initiative or undertaking that encompasses the exploration, extraction, development, generation, transmission, distribution, storage and utilisation of energy resources including but not limited to renewable energy sources, exploration and production of hydrogen;

(e) “condensate” means the low vapour pressure hydrocarbons which are obtained from natural gas through condensation or extraction in the form of liquid at normal surface temperature and pressure conditions;

(f) “continental shelf” shall have the same meaning as assigned to it in the Territorial Waters, Continental Shelf, Exclusive Economic Zone and Other Maritime Zones Act, 1976 (80 of 1976);

(g) “contract” means any agreement entered into between the Central Government and a lessee for the conduct of any mineral oil operations in any leased area but does not include the petroleum lease;

(h) “contractor” means any legal entity appointed as contractor under a contract with the Government for carrying out mineral oil operations;

Explanation.— For the purposes of this clause, it is hereby clarified that if there is more than one party constituting the contractor, they shall be individually referred to as member;

(i) “crude oil” means the petroleum in its natural state in liquid, viscous or solid form before it has been refined or otherwise treated from which water and foreign substances have been extracted;

(j) “data” means any information related to or arising out of or connected with mineral oil operations and includes, but is not limited to, geological, geophysical, geochemical, petrophysical, engineering data, well logs, maps, reservoir, drilling, production, and operational information, whether raw, modified, altered, adapted, aggregated, organised, structured, aligned, indexed, or otherwise interpreted, and also includes all interpretative and derivative data, including analyses, evaluations, and reports prepared by or on behalf of the lessee;

(k) “day” means any of the seven days of a week;

(l) “decarbonisation” means the reduction of greenhouse gas emissions, capture of carbon emissions and transition to renewable and low carbon energy sources;

(m) “development area” means that part of the leased area which encompasses one or more discovery, and any additional area that may be required for proper development of such discovery;

(n) “discovery” means the finding during mineral oil operations of a deposit or several deposits of mineral oil not previously known, which may be recovered at the surface in a flow measurable by standard testing methods used in the mineral oil industry;

(o) “drilling” or “boring” means perforation of the earth’s surface crust by mechanical means (irrespective of whether the hole caused by the perforation is vertical, inclined, or horizontal) and includes all operations for preventing collapse of the sides of such hole or for preventing such hole from being filled with extraneous materials including water;

(p) “excess lease rent” means the portion of lease rent paid by the lessee in excess of the lease rent that ought to have been paid for the actual area and the actual term of petroleum lease enjoyed by the lessee;

(q) “exclusive economic zone” shall have the same meaning as assigned to it in the Territorial Waters, Continental Shelf, Exclusive Economic Zone and Other Maritime Zones Act, 1976 (80 of 1976);

(r) “exploration operations” means the operations conducted in the leased area in search for mineral oil accumulation not previously known, or appraisal of such mineral oil accumulation and shall include but not be limited to aerial, geological, geophysical, geochemical, paleontological, palynological, topographical and geo-scientific surveys, analysis, studies and their interpretation, investigations relating to the sub-surface geology including drilling of exploration wells and appraisal wells, testing and other related activities such as surveying, drill site preparation and all other work necessary for the purpose of exploration of mineral oils;

(s) “field” means the general area, which is underlaid, or appears to be underlaid, by at least one reservoir and shall include the underground reservoir or reservoirs containing mineral oil;

(t) “field development plan” means a plan submitted by the lessee or the contractor to the Central Government for the development of a discovery;

(u) “financial year” means the period from the first day of April of a calendar year to the thirty-first day of March of the following calendar year;

(v) “gas well” means any well, the production from which is predominantly natural gas or condensate, or both;

(w) “geophysical survey” means the search, by instruments for the presence of suitable underground geological structures and includes the sinking of bore-holes for detonating explosives necessary for the purpose, but not the drilling of deep core-holes or the sinking of trial shafts, trenches, or other kinds of large and deep excavations;

(x) “greenhouse gas” means a gas that traps heat in the atmosphere including but not limited to carbon dioxide, methane, nitrous oxide, hydrofluorocarbons and perfluorocarbons;

(y) “greenhouse gas emission” means the release of greenhouse gases from any mineral oil operations, including but not limited to flaring, venting, and combustion processes;

(z) “hydrocarbons” means any organic compound of hydrogen and carbon;

(za) “leased area” means the sub-surface area specified in the petroleum lease within which the mineral oil operations may be undertaken and which may be extended or relinquished in part or in full, in accordance with these rules, from time to time;

(zb) “lessee” means any entity which has been granted a petroleum lease or a mining lease, as the case may be;

(zc) “mineral oil operations” means exploration operations, development operations or production operations or any combination of two or more of such operations, including construction, operation and maintenance of all necessary facilities, plugging and abandonment of wells, safety, environmental protection, transportation, storage, sale or disposition of mineral oil, site restoration and any or all other incidental operations or activities as may be necessary;

Explanation. — For the purposes of this clause, the expression “development operations” shall mean the operations conducted in accordance with the field development plan and shall include, but not be limited to the purchase, shipment or storage of equipment and materials used in developing mineral oil accumulations, the drilling of wells, the laying of gathering lines, the installation of facilities and equipment required to produce, process and transport mineral oil into mineral oil storage or processing facilities;

(zd) “national oil companies” means any company engaged in mineral oil operations in which not less than fifty-one percent of the paid-up share capital is held by the Central Government, or by any State Government or Governments, or partly by the Central Government and partly by one or more State Governments, and includes a company which is a subsidiary company of such a national oil company;

(ze) “natural gas” means the gas obtained from wells and consisting primarily of hydrocarbons including associated natural gas, non-associated natural gas and all its constituent elements but does not include helium occurring in association with such hydrocarbons;

Explanation 1. — For the purposes of this clause, the expression “associated natural gas” shall mean natural gas produced in association with crude oil either as free gas or in solution, if such crude oil may by itself be commercially produced;

Explanation 2. — For the purposes of this clause, the expression “non-associated natural gas” shall mean the natural gas which is produced either without association of crude oil or in association with such quantities of crude oil which by itself cannot be commercially produced;

(zf) “oil well” means any well which is capable of producing crude oil and which is not a gas well;

(zg) “petroleum” means naturally occurring hydrocarbons, whether in the form of liquid, viscous or solid, or a mixture thereof, but does not include coal, lignite and helium occurring in association with petroleum or coal or shale;

(zh) “production operations” means all operations conducted for the purpose of producing mineral oil from the development area after the commencement of production from the development area including the operation and maintenance of all necessary facilities thereof;

(zi) “reservoir” means a naturally occurring accumulation of mineral oil including a geological unit limited by rock characteristics by structural or stratigraphic boundaries or coal or lignite of any rank which contains mineral oil (whether in association or independent of water or any other minerals) or a combination of these;

(zj) “samples” include core, cuttings, fluid, rock, soil and any other physical material collected during mineral oil operations;

(zk) “schedule” means the schedules appended to these rules;

(zl) “sequestration” means the process of capturing and permanently storing greenhouse gases within underground geological formations, particularly in depleted oil and gas reservoirs, deep saline aquifer, basaltic formations and coal bed methane reservoirs;

(zm) “site restoration” shall mean all activities required to return a site to its state as at the commencement date of the contract or grant of lease or render a site compatible with its intended after-use as far as practicable, after cessation of mineral oil operations pursuant

to a plan approved by the Central Government and shall include, where appropriate, abandonment of wells or other facilities, removal of equipment, structures and debris, establishment of compatible contours and drainage, replacement of top soil, in-filling of excavations and any other appropriate measures as may be required;

(zn) “territorial waters” shall have the same meaning as assigned to it in the Territorial Waters, Continental Shelf, Exclusive Economic Zone and Other Maritime Zones Act, 1976 (80 of 1976).

(2) All other words and expressions used and not defined herein, but defined in the Act shall have the same meanings assigned to them in the Act.

CHAPTER II GENERAL

3. Prospecting and production of mineral oils. — The Central Government may either itself or through a person or entity authorised by it, prospect for or produce mineral oils within the territory of India, territorial waters, exclusive economic zone, and the continental shelf of India, the limits of which have been provided under the Territorial Waters, Continental Shelf, Exclusive Economic Zone and Other Maritime Zones Act, 1976 (80 of 1976).

Explanation 1.— For the purposes of this rule, the expression “prospect” with its grammatical variations shall mean search for a mineral oil deposit.

4. No hindrance to mineral oil operations. — (1) Any existing or future lessee of a petroleum lease shall allow reasonable access to existing and future holders of any other licence or lease granted by the Central Government or the State Government, as the case may be, over the leased area or any area adjoining the leased area or reached by the leased area.

(2) The holder of any other licence or lease granted by the Central Government or the State Government, as the case may be, who has been granted access to the leased area by the holder of a petroleum lease shall,—

- (a) ensure that no substantial hindrance or interference is caused to mineral oil operations; and
- (b) pay fair compensation to the holder of a petroleum lease for any loss or damage sustained by it.

CHAPTER III PETROLEUM LEASE

5. Application for grant of petroleum lease. — (1) An application for the grant of a petroleum lease shall be submitted in the form specified in Schedule- I,—

- (i) where the area falls within the territory of the Central Government, to the Central Government; and
- (ii) where the area falls within the territory of the State Government, to the State Government and the Central Government.

(2) The applicant shall make the following payment to the Central Government or the State Government, as the case may be, namely:—

- (a) a security deposit of rupees twenty-five lakhs, refundable at the expiry of the term of lease, to ensure compliance with the terms, covenants and conditions of the petroleum lease; and
- (b) a non-refundable payment of rupees two lakh fifty thousand for meeting preliminary expenses.

(3) The Central Government or the State Government, as the case may be, shall within one hundred and eighty days of receipt of application with complete information from the applicant, decide the application submitted under sub-rule (1).

(4) In case the decision is to reject the application, the same shall be communicated to the applicant with reasons to be recorded in writing and the security deposit shall be refunded.

(5) In case the State Government does not communicate its decision on the application within ninety days of the receipt of the application, the Central Government at the request of the applicant or of its own accord, shall advise the State Government to expedite the decision on the application.

(6) On the expiry of a period of one hundred and eighty days, if the application has not been decided by the Central Government or the State Government, as the case may be, an application filed in respect of an area falling within the territory of the,—

- (i) Central Government, shall be deemed to have been approved by the Central Government and the Central Government shall promptly execute the deed of petroleum lease with the applicant; and
- (ii) State Government, shall be deemed to have been rejected by the State Government.

6. Grant of petroleum lease. — (1) A petroleum lease in respect of,—

- (a) any mineral oil underlying the ocean floor within the territorial waters or the continental shelf or the exclusive economic zone of India and vested in the Union, shall be granted by the Central Government; and
- (b) any mineral oil underlying land within the territory of a State Government, shall be granted by the State Government with the prior approval of the Central Government.

(2) The petroleum lease shall be granted in the format specified in Schedule-II.

(3) The petroleum lease shall be entered into between the applicant and the Central Government or the State Government, as the case may be, within ninety days from the date of approval of the application submitted under rule 5.

(4) For the purposes of calculation of any stamp duty payable on the petroleum lease, the value of the lease shall be the total lease rent payable for the term of the petroleum lease as per rule 9.

(5) Upon execution of the petroleum lease, the terms contained therein shall be final and binding on all parties, and shall not be altered, amended, or modified thereafter except by mutual consent of the parties.

7. Area and term of the petroleum lease. — (1) The area of the petroleum lease shall be specified therein and the leased area may be extended or relinquished in part or in full under these rules.

(2) A petroleum lease granted after the commencement of these rules shall, in the first instance be valid for a period of a minimum of four years and a maximum of thirty years, unless cancelled under these rules.

8. Rights of lessee. — Unless otherwise specified in the Act and the rules made thereunder or the contract, the lessee shall have the following rights, namely:—

- (i) the exclusive right to explore for mineral oils in the leased area, including but not limited to conducting geological and geophysical surveys, drilling of wells, and testing operations for mineral oils;
- (ii) the exclusive right to develop and produce mineral oils in the leased area along with the right to construct and maintain in and on such leased area such works,

buildings, plants, platforms, waterways, roads, pipelines, dams, reservoirs, tanks, pumping stations, tram ways, railways, communication cables, electric power lines and other structures and equipment, and other facilities as may be necessary for the purposes of the petroleum lease, or for fulfilling its obligations under the petroleum lease;

- (iii) the rights and obligations to carry out site restoration, abandonment, and decommissioning of oil wells, installations, and associated facilities;
- (iv) the rights to explore, plan, develop, and establish comprehensive energy projects in the oilfield and produce energy therefrom; and
- (v) the rights to utilise the oilfields for decarbonisation activities.

9. Lease rent. — (1) The lessee shall pay the lease rent for the leased area to the Central Government or the State Government, as the case may be, at the following rates, namely:—

Amount (in Rupees) per square kilometre of leased area	Year
Two thousand	From commencement of first year to completion of fifth year.
Four thousand	From commencement of sixth year to completion of tenth year.
Six thousand	From commencement of eleventh year to completion of fifteenth year.
Eight thousand	From commencement of sixteenth year to completion of twentieth year.
Ten thousand	From commencement of twenty first year and onwards.

(2) The rates prescribed in sub-rule (1) may be increased by the Central Government up to a maximum of ten per cent in every five years from the commencement of these rules and any revision of the rates shall not be applicable to any petroleum leases granted prior to revision of these rates.

(3) The lessee shall, within thirty days of the grant of the petroleum lease, pay the lease rent to the Central Government or the State Government, as the case may be, for the first year in advance and the said lease shall be effective from the date of receipt of the payment.

(4) The lessee shall continue to pay the yearly lease rent in advance for every subsequent year on or prior to each anniversary of the petroleum lease at the prescribed rates.

(5) Any excess lease rent paid by the lessee may be adjusted against the lease rent or royalty due for subsequent years of the petroleum lease, with the prior approval of the Central Government or the State Government, as the case may be.

(6) In the event the petroleum lease is cancelled, the lease rent already paid by the lessee prior to such cancellation shall not be refunded or adjusted.

10. Extension of term of petroleum lease. — (1) The Central Government and the State Government with the prior approval of the Central Government, as the case may be, may extend a petroleum lease till the end of the economic life of the field, in accordance with these rules, in one or more instalments:

Provided that the duration of any single instalment of extension of the petroleum lease shall be for a period of not less than three months and not more than thirty years.

Explanation.— For the purposes of this rule, the expression “end of economic life of the field” shall mean the point in time beyond which continued production is objectively demonstrated to be commercially unviable.

(2) The economic life of the field shall be assessed taking into account good international petroleum industry practices and relevant factors, including but not limited to prevailing market conditions, resource recovery techniques, and accepted financial measures such as net present value, cash flow, and reserve assessments, and shall be subject to determination by the Central Government.

(3) An application for extension of the term of petroleum lease shall be submitted in the form specified in Schedule III to, —

- (i) the Central Government, where the petroleum lease has been granted by the Central Government; or
- (ii) the Central Government and the State Government, where the petroleum lease has been granted by the State Government.

(4) The application under sub-rule (3) shall be submitted at any time after the expiry of half of the term or the extended term but not later than six months prior to the expiry of the term or the extended term.

(5) The application submitted under sub-rule (3) shall be accompanied with a non-refundable processing fee of rupees five thousand.

(6) The decision of approval or rejection of the application shall be communicated to the lessee, in writing within one hundred and eighty days of receipt of the application.

(7) In case the State Government does not communicate its decision on the application within ninety days of the receipt of the application, the Central Government at the request of the applicant or of its own accord, shall advise the State Government to expedite the decision on the application.

(8) On the expiry of a period of one hundred and eighty days, if the application has not been decided by the Central Government or the State Government, as the case may be, an application filed in respect of an area falling within the territory of the, —

- (i) Central Government, shall be deemed to have been approved by the Central Government and the Central Government shall grant the extension of the petroleum lease in the format specified in Schedule IV; and
- (ii) State Government, shall be deemed to have been rejected by the State Government.

(9) In case the application under sub-rule (3) is approved, the extension of the petroleum lease shall be granted in the format specified in Schedule IV.

(10) For determining the rate of rent applicable during the extended term of a petroleum lease under rule 9, the duration of both the original and extended terms of the petroleum lease shall be considered as a continuous period.

Illustration.

A lessee is granted a petroleum lease for ten years and the lease is subsequently extended for another ten years, then, in the first year of the extended term, the lessee shall pay rent at the rate applicable for eleventh year under rule 9.

11. Relinquishment of leased area. — (1) Unless otherwise specified in the contract or the petroleum lease, a lessee may relinquish, —

- (i) any part of the leased area other than the area where production operations are being carried out, upon giving at least ninety days written notice of its intention to do so; or

(ii) any part of the leased area where production operations are being carried out, upon giving at least one hundred and eighty days written notice of its intention to do so.

(2) The written notice referred to in sub-rule (1) shall be given to,—

- (i) the Central Government, where the petroleum lease has been granted by the Central Government; and
- (ii) the Central Government as well as the State Government, where the petroleum lease has been granted by the State Government.

(3) The effective date of relinquishment of the leased area or any part thereof shall be the later of the date specified in the notice or the expiry of the timeline provided under sub-rule (1).

(4) The petroleum lease shall stand cancelled to the extent of any area so relinquished.

(5) Any relinquishment under this rule shall be subject to compliance with other obligations of the lessee under the lease, contract and the applicable law.

12. Extension of leased area where reservoir extends to an area not awarded to any person. — (1) If a lessee has reason to believe that a reservoir found in the leased area may extend into an area not leased or otherwise awarded to any person, the lessee shall promptly inform the Central Government of such extension and take necessary steps to ascertain the extent of such extension of the reservoir and may, if required, seek a special petroleum lease under rule 62 for the said purpose.

(2) Upon ascertaining the reservoir boundaries, the lessee shall submit an application seeking extension of the leased area up to the reservoir boundaries in accordance with this rule, to:

- (i) the Central Government, where the petroleum lease has been granted by the Central Government; and
- (ii) the Central Government as well as the State Government, where the petroleum lease has been granted by the State Government.

(3) An application for extension of the leased area shall be submitted in the form specified in Schedule V.

(4) The Central Government or the State Government, as the case may be, to whom the application under sub-rule (2) has been submitted, shall decide the application within one hundred and eighty days of receipt of the application.

(5) In case the State Government does not communicate its decision on the application within ninety days of the receipt of the application, the Central Government at the request of the applicant or of its own accord, shall advise the State Government to expedite the decision on the application.

(6) On the expiry of a period of one hundred and eighty days, if the application has not been decided by the Central Government or the State Government, as the case may be, an application filed in respect of an area falling within the territory of the,—

- (i) Central Government, shall be deemed to have been approved by the Central Government and the Central Government shall promptly grant extension of the area in the format specified in Schedule VI; and
- (ii) State Government, shall be deemed to have been rejected by the State Government.

(7) If the application under sub-rule (2) is approved, the extension of the area, shall be granted in the format specified in Schedule VI.

(8) The concerned lessee shall not suspend or keep in abeyance, any mineral oil operations in the leased area on account of taking of any action or pendency of any action taken under this rule.

13. Unitisation.— (1) If a lessee has reason to believe that a reservoir found in the leased area may extend into an area leased or otherwise awarded to any person, the lessee shall promptly submit the necessary documents and information relating to the extension of the reservoir to,—

- (ii) the Central Government;
- (iii) the State Governments who have jurisdiction on the area where part or all of the reservoir is situated; and
- (iv) all lessees of the areas in which the reservoir extends.

(2) All the concerned lessees,—

- (i) shall mutually cooperate with each other to ascertain the reservoir boundaries and explore the possibility of joint exploration, development and production of mineral oils from the reservoir, and may take all necessary steps for the said purpose, including sharing the data and participating in technical assessments; and
- (ii) may jointly explore, develop and produce mineral oils for maximising the operational efficiency of recovery of mineral oil.

(3) Where the concerned lessees intend to jointly explore, develop or produce mineral oils, they shall submit a joint development programme to the Central Government and enter into an agreement with the Central Government for the joint exploration, development or production of mineral oils from the reservoir as a unit.

(4) The concerned lessees shall not suspend or keep in abeyance, any mineral oil operations on account of taking of any action or pendency of any action taken under this rule.

14. Royalty on mineral oils and furnishing of returns and particulars.— (1) A lessee shall—

- (i) where the petroleum lease has been granted by the Central Government, pay the royalty to the Central Government; and
- (ii) where the petroleum lease has been granted by the State Government, pay the royalty to the State Government,

in respect of any mineral oil produced by it from the leased area at the rate specified in the Schedule of the Act and the royalty shall be payable on a monthly basis and shall be paid by the last day of the month succeeding the period in respect of which it is payable:

Provided that the Central Government or the State Government with the approval of the Central Government, as the case may be, may direct that such royalty be paid in mineral oil:

Provided further that no royalty shall be payable in respect of any mineral oil which is unavoidably lost or is returned to the reservoir or is used for drilling or other operations relating to the production of mineral oil.

(2) The lessee shall within the first seven days of every month furnish or cause to be furnished, a return showing the quantity of all the mineral oil produced during the preceding month from mineral oil operations conducted pursuant to the petroleum lease in the format specified in Schedule VII to:

- (i) the Central Government where the petroleum lease has been granted by the Central Government; and

(ii) the Central Government and the State Government where the petroleum lease has been granted by the State Government.

(3) Where a reservoir underlies the jurisdiction of two or more State Governments or the Central Government, each Government shall be entitled to royalties in proportion to the extent of the reservoir underlying its jurisdiction.

(4) If the Central Government or the State Government, as the case may be, is not satisfied with any return furnished in accordance with sub-rule (2), it may,—

- (i) require the lessee to furnish additional information with respect to the mineral oils produced, or
- (ii) appoint an officer not below the rank of Director to the Government of India to make necessary enquiries related to mineral oil produced.

(5) The officer appointed under sub-rule (4) shall—

- (i) conduct enquiries as it may deem necessary, or
- (ii) require the lessee or the manager or person acting as manager or secretary of such lessee to produce any books, accounts, documents in his possession or control for inspection, which the officer considers necessary for ascertaining the quantity of the mineral oil produced and may make copies thereof.

(6) Upon completion of the enquiries under sub-rule (5), the officer shall submit a report to the Central Government or the State Government, as the case may be.

(7) On receipt of the report submitted by the officer, the Central Government or the State Government, as the case may be, if it is of the opinion that the quantity of any mineral oils declared in the return is incorrect, may determine the quantity of such mineral oils and upon such determination, the lessee shall be required to promptly pay royalty on the quantity assessed to be in excess of the declared quantity and pay interest thereon along with penalties as may be imposed under these rules.

15. Stabilisation. — (1) In the event of a change in law, the affected lessee shall be entitled to be restored, as nearly as possible to the economic equilibrium which existed immediately prior to the date of the change in law.

(2) The affected lessee shall no later than ninety days from the occurrence of such change in law, inform the estimated reduction of economic benefit on account of such change in law to the Central Government and the concerned State Government and submit supporting documents evidencing the same and the Central Government or the concerned State Government may seek any additional information or documents concerning the same and the affected lessee shall provide the same within a period of sixty days.

(3) The affected lessee and the Central Government or the State Government, as the case may be, shall use their best efforts to amicably arrive at a mutually acceptable solution within one year from the date of occurrence of the change in law.

(4) If the affected lessee and the Central Government or the State Government, as the case may be, are unable to resolve the matter amicably, the lessee may, at the expiry of the period specified in sub-rule (3), commence provisional adjustment of such sums as it reasonably believes are necessary to restore it to the same financial position as specified in sub-rule (1) against dues payable by it to the Central Government or the State Government, as the case may be, in the manner provided in sub-rule (5).

(5) The deduction under sub-rule (4) may, in the first instance be made from any dues payable by the lessee under the contract, lease, the Act or these rules, to—

- (i) the Central Government, where the change in law is made by Parliament; and
- (ii) the State Government, where the change in law is made by the legislature of that State:

Provided that the lessee, after giving prior notice of not less than thirty days to both the Central Government and the State Government, may adjust any balance amount remaining after such deduction against the dues payable to—

- (i) the State Government, where the change in law is made by Parliament; and
- (ii) the Central Government, where the change in law is made by the legislature of the State.

(6) The lessee shall inform the Central Government and the concerned State Governments of each such deduction made by it, specifying the amount deducted and provide all other relevant and necessary information relating to the deductions made.

(7) The Central Government or the State Government, as the case may be, shall be entitled to dispute any deduction made under this rule, in accordance with the dispute resolution procedure in the contract or lease, as the case may be.

Explanation.— For the purposes of this rule, “change in law” shall mean a change in the following:—

- (i) the taxes, duties, levy, cess, fees, royalties, charges, impositions under the laws applicable in India payable by the lessee after the date of the petroleum lease resulting in reduction of economic benefit to the lessee, or
- (ii) any laws for the time being in force in India governing labour and employment, protection of the environment, health or safety, or site restoration and decommissioning, resulting in reduction of economic benefit to the lessee of more than USD 5,000,000 (United States Dollars Five Million) in any financial year after the date of the petroleum lease,

whether such change arises on account of a change in rates, change in the laws applicable in India or change in interpretation by judgement of a court which has become final, conclusive and binding, as compared to such interpretation or application prior to the date of the petroleum lease.

16. Payment of prevailing market price for producing mineral oils from outside the leased area.— If any person undertakes production of mineral oils from a well or a borehole located in any area outside the leased area, the Central Government, in addition to a penalty referred to in section 9 of the Act, may require such person to pay the prevailing fair market price of the mineral oils produced outside the leased area, which shall be recovered as arrears of land revenue under applicable law:

Provided that any action under this rule shall be without prejudice to any other legal remedy available to the Central Government or the State Government, as the case may be, under the applicable law.

17. Application for merger of lease.— (1) A lessee holding more than one petroleum lease, may submit an application to the Central Government and the concerned State Government to merge or combine two or more leased areas into a single lease for the efficient development, operation, or management of the mineral oil resources.

(2) The Central Government or the State Government with the prior approval of the Central Government, may grant such petroleum lease for any merged or combined areas, on terms and conditions as may be mutually agreed between the lessee and the Central Government or the State Government, as the case may be.

18. Cancellation of lease.— (1) If the lessee at any time during the term of the petroleum lease:

- (i) fails to fulfil or contravenes any of the terms, covenants, and conditions contained therein; or

- (ii) fails to use the leased area for *bona fide* purposes for which it has been granted; or
- (iii) uses the leased area for a purpose other than that for which it has been granted; or
- (iv) fails to pay any lease rent, royalty or other payment due in respect of the petroleum lease for a period of more than three months,

the Central Government or the State Government, as the case may be, may issue a notice to the lessee directing it to submit an explanation within ninety days as to why the petroleum lease should not be cancelled.

(2) Where the Central Government or the State Government with the prior approval of the Central Government, as the case may be, after considering the representation, if any, made by the lessee,—

- (i) is satisfied that the failure, contravention or use is not of a remediable nature, or is of a remediable nature but has not been remedied within the notice period of ninety days, it may forfeit the whole or any part of the security deposit made under rule 5 and may cancel the petroleum lease; or
- (ii) is satisfied that the failure, contravention or use is of a remediable nature and has been remedied within the notice period of ninety days, may forfeit the whole or any part of the security deposit made under rule 5, but shall not cancel the petroleum lease:

Provided that the State Government shall not cancel the petroleum lease without obtaining prior approval of the Central Government.

(3) Where the Central Government has entered into a contract with the lessee, the petroleum lease shall stand cancelled upon the termination of the contract.

(4) Any action taken under this rule shall be without prejudice to the powers of the adjudicating authority under these rules.

CHAPTER IV

OTHER PROVISIONS RELATING TO THE PETROLEUM LEASE

19. Identification of areas.— The lessee shall display notices at all conspicuous points where operations are being carried out within the leased area.

20. Transfer or assignment.— (1) The lessee shall not assign or transfer its rights, title and interest in the petroleum lease without the consent in writing of the Central Government or the State Government with the prior approval of the Central Government:

Provided that if the transfer or assignment of the rights, title and interests in the petroleum lease is consequent upon or pursuant to a transfer or assignment of the participating interests previously approved by the Central Government under the contract, the Central Government or the State Government, as the case may be, shall not withhold its consent under sub-rule (1).

(2) Upon grant of consent under sub-rule (1), the petroleum lease shall be amended with effect from the date on which the transfer or assignment is made effective.

21. Pre-emption.— (1) In the case of a national emergency in respect of mineral oils, the Central Government shall have the right of pre-emption of the mineral oils produced from the leased area or mineral oil products made from the mineral oils:

Provided that the fair market price prevailing at the time of pre-emption shall be paid to the lessee by the Central Government for the mineral oils or mineral oil products taken in pre-emption.

(2) The decision of the Central Government on which circumstances constitute a national emergency in respect of mineral oils shall be final.

22. General provisions.—(1) The lessee shall,—

- (i) maintain all apparatus, appliances and wells capable of producing mineral oil in the leased area in good condition and repair; and
- (ii) execute all mineral oil operations in a safe, secure, proper and workmanlike manner and in accordance with good international petroleum industry practices.

(2) Where in the opinion of the Central Government, the mineral oil operations are not being carried out in accordance with good international petroleum industry practices, the Central Government shall pass an order in writing stipulating the steps required to be taken by the lessee to align its operations with good international petroleum industry practices:

Provided that—

- (i) the lessee is given an opportunity of being heard;
- (ii) the order records its reasons in writing; and
- (iii) the order is made for the purposes of optimising recovery of mineral oils while maintaining good reservoir health, ensuring safety or protecting the environment by adopting sustainable practices.

23. Recovery of helium from natural gas.—In the event any helium is produced with natural gas from the leased area, the lessee shall inform the same to the Central Government immediately in writing, and thereafter may extract, use, sell or otherwise dispose of the helium in accordance with applicable law.

24. Continuity of mineral oil operations upon cancellation of petroleum lease.—Upon cancellation of a petroleum lease or any part thereof, the lessee shall, if required by the Central Government and at the cost of the Central Government, for a specified period not exceeding one year from such cancellation,—

- (i) render full cooperation in ensuring continuity of mineral oil operations, without disruption, until such time as the Central Government or its nominated entity takes over full operational control;
- (ii) provide all technical and operational assistance necessary for the takeover, including the provision of relevant personnel, documentation, and system access; and
- (iii) provide technical assistance, documentation, or personnel support following the takeover, to ensure operational continuity and safety.

25. Delivery of premises upon determination of petroleum lease.—Unless otherwise directed by the Central Government under rule 24, upon cancellation, expiry or relinquishment of a petroleum lease or any part thereof, the lessee shall deliver up the area released by such cancellation, expiry or relinquishment after completion of site restoration, and hand over the assets used for mineral oil operations in accordance with the terms of the contract, and where no such contract exists, as per the terms mutually agreed between the Central Government and the lessee.

26. Interest.—All lease rent, royalties and other payments under these rules, if not paid to the Central Government or the State Government, as the case may be, within the time specified for such payment, shall attract simple interest equal to the State Bank of India Prime Lending Rate plus two per cent per annum, calculated from the due date until the date of actual payment.

27. Surface rights.—(1) A lessee shall separately obtain the land actually used for the purpose of conducting mineral oil operations, either by purchase or on lease from the Central Government or the State Government, local authority or other persons, as the case may be.

(2) Where the surface area has been leased by the Central Government or the State Government or a local authority to a lessee, the surface rent payable to the Government or local authority shall not exceed the land revenue and cesses assessed or assessable on the land.

CHAPTER V

REGULATION OF OPERATIONS

28. Control of operations to prevent escape of mineral oils or access of water.— The Central Government may, after issuance of a notice to the lessee,—

- (i) assume control of the operation of an oil well or gas well or any other mineral oil well and adopt measures necessary or expedient to prevent the escape of mineral oil or water from the well, if the lessee fails to do so or appears unable to do so;
- (ii) assume control of the operation of an oil well or gas well or any other mineral oil well and adopt measures necessary or expedient to prevent the access of water to such well or to any mineral oil bearing strata;
- (iii) for the above purposes appoint any agents and authorise them to enter upon the premises and perform the necessary and expedient work and for this purpose to take possession of and use any necessary drilling rig, derrick, tools, machinery and other appliances or materials, whether available at the location or in the possession or control of the lessee, for the performance of the said work, and
- (iv) recover from the lessee all the costs and expenses incurred in the performance of the operations so undertaken by the Central Government.

29. Suspension of operations.— No lessee shall undertake any of the following actions, without giving a prior notice of fourteen days to the Central Government.—

- (i) suspend normal drilling;
- (ii) suspend normal production operations;
- (iii) abandon an oil well or gas well or any other mineral oil well;
- (iv) re-condition an oil well or gas well or any other mineral oil well; or
- (v) resume drilling operations after a previous completion, suspension or abandonment of an oil well or gas well or any other mineral oil well:

Provided that, if normal drilling or normal producing operations have to be suspended immediately due to any unforeseen reason, notice thereof shall be given to the Central Government within twenty-four hours of such suspension.

30. Development and monitoring of comprehensive energy projects at oilfields.—

(1) Any lessee intending to develop a comprehensive energy project shall submit a comprehensive energy development plan to the Central Government, at least six months prior to initiating the process of development of the project.

(2) The comprehensive energy development plan shall include the following, namely:—

- (i) the plan for integration of mineral oil operations and energy projects including but not limited to solar, wind, hydrogen, or geothermal energy projects;
- (ii) feasibility studies for integrating the energy sources;
- (iii) estimated costs of the project;
- (iv) duration of the project;
- (v) estimated generation and production of energy;
- (vi) strategy for sale of generated energy;

- (vii) steps to be taken to ensure that mineral oil operations and comprehensive energy operations are carried out at the site in a safe manner;
- (viii) risk management and contingency plan; and
- (ix) any other information sought by the Central Government.

(3) The Central Government may amend the comprehensive energy development plan and the lessee shall carry out the project in accordance with such amendments.

(4) The lessee may propose modifications to the comprehensive energy development plan and the plan shall stand modified upon approval of the Central Government.

(5) The lessee shall obtain necessary approvals, licences and permits, as required under applicable laws for carrying out the comprehensive energy projects and for continuing the projects after the expiry of the petroleum lease.

CHAPTER VI

COLLECTION, AGGREGATION, DISSEMINATION, USE AND SHARING OF DATA AND SAMPLES RELATED TO MINERAL OILS

31. Cores and samples.— (1) Every lessee shall,—

- (i) so far as is reasonably practicable collect, label and preserve for reference for a period of at least twelve months all bore-cores and characteristic samples of the strata encountered in all boreholes on the area covered by the lease and samples of any mineral oil or water discovered in any bore-hole; and
- (ii) furnish the reports of all examinations made of the cores and samples to the Central Government.

(2) Cores and samples preserved shall at all times be made available for examination to the Central Government and may be taken for the purpose of examination or analysis, but no information obtained as a result of the examination or analysis shall be published without the consent of the lessee unless the Central Government deems it fit to direct otherwise.

32. Title in data and lessee's duty to submit data.— (1) All data obtained as result of mineral oil operations shall be the property of the Central Government.

(2) All lessees shall promptly submit all data collected, generated or otherwise processed in relation to or during the course of mineral oil operations to the Central Government.

(3) The data submitted by the lessee shall conform to the standards, formats and protocols of the Central Government.

33. Lessee's rights to use data.— The lessee shall have the right to use, free of cost the data obtained as a result of mineral oil operations and to retain copies of the data for the purpose of its own research and development purposes and for conducting mineral oil operations.

34. Use and dissemination of data and samples.— (1) The Central Government shall have the right to use, free of cost, the data and samples for any lawful purpose, including but not limited to, for the purposes of the following, namely:—

- (i) national economic planning and resource management;
- (ii) policy making, academic and scientific research;
- (iii) attracting and facilitating investments in mineral oil operations and exploration of mineral oils in India;
- (iv) conducting environmental, geological and safety assessments;
- (v) facilitating sustainable development, climate resilience, carbon neutrality, biodiversity preservation, social equity, community empowerment, sustainable development goals; and
- (vi) protecting the sovereignty and integrity of India.

(2) The Central Government may share data and samples with academic institutions, research organisations, public bodies and investors, whether domestic or foreign on the terms and conditions as deems fit.

35. Protection of proprietary data.— (1) Any data submitted by the lessee to the Central Government which, at the time of submission, is expressly identified and clearly marked as ‘proprietary’, and is demonstrated by the lessee to the satisfaction of the Central Government to be of such proprietary nature, shall be treated as the proprietary data of the lessee.

(2) The decision of the Central Government as to whether any data qualifies as proprietary data shall be final and binding.

(3) The Central Government shall have a worldwide, perpetual, royalty-free, irrevocable, sub-licensable and transferable right to access and use proprietary data in any manner for the purposes of—

- (i) national economic planning and resource management;
- (ii) policy making, academic and scientific research;
- (iii) facilitating sustainable development, climate resilience, carbon neutrality, biodiversity preservation, social equity, community empowerment, sustainable development goals; and
- (iv) processing and interpretation of data for promotion of acreages in the sedimentary basins.

(4) The Central Government shall not disclose proprietary data to any private third party, nor make it publicly available without the prior written consent of the lessee and shall maintain its confidentiality for a period of seven years from the date on which such data came into existence, or such extended period, as may be approved by the Central Government:

Provided that under exceptional circumstances, the Central Government shall make such disclosure, if necessary, under the applicable law.

(5) Where the Central Government discloses proprietary data to any private third party, it shall do so on the condition that such private third party shall maintain confidentiality for a period of seven years from the date on which such data came into existence or such extended period as may be approved by the Central Government.

36. Transitional and Operational Access Obligations.— (1) In the event of transfer or cancellation of a petroleum lease, the lessee shall hand over all data and samples required to be submitted under rule 31 and rule 32, to the Central Government within ninety days:

Provided that the lessee may retain one copy of the data for its own use, research and development or for compliance with applicable laws with prior approval of the Central Government but shall not be entitled to make any other use of the data.

(2) The Central Government may allow succeeding lessee or third parties access to the data to ensure continuity of mineral oil operations.

CHAPTER VII

ENVIRONMENT PROTECTION, DECARBONISATION, MONITORING OF GREENHOUSE GAS EMISSIONS AND FLARED GAS

37. Environmental protection.— (1) The lessee shall comply with applicable environmental laws, minimise the environmental impact of mineral oil operations and take all necessary steps to prevent hazards to human life, property, environment, marine resources or navigation while conducting mineral oil operations.

(2) In case of non-compliance or deviation from sub-rule (1), the Central Government shall direct the lessee to take the necessary remedial measures in a time bound manner.

(3) Where any harm or damage is caused to any person or property or the environment in connection with mineral oil operations:

- (i) the Central Government may undertake remedial measures at the sole cost and expense of the lessee;
- (ii) the lessee shall be liable for any harm or damage in accordance with applicable law; and
- (iii) the lessee shall be liable for any other losses and liabilities of the Central Government arising from the harm or damage.

38. Reduction of greenhouse gas emissions.— (1) Every lessee shall submit a plan for monitoring and reduction of greenhouse gas emissions within one hundred and eighty days from the commencement of these rules or along with the submission of the field development plan, whichever is later, with necessary details, including but not limited to:—

- (i) identification of sources of greenhouse gas emissions from mineral oil operations;
- (ii) methodology and frequency of measurements;
- (iii) brief description of the equipment and techniques proposed to be used for measurement;
- (iv) time-bound reduction targets;
- (v) sources of flaring or venting; and
- (vi) milestones to achieve zero gas flaring.

(2) Every lessee shall ensure that in any month, no volume of gas is flared in excess of 0.5 per cent of the production from the field in that month.

(3) If at any time, the volume of flared gas exceeds 0.5 per cent of the daily production from the field, the lessee shall immediately inform the Central Government or the State Government, as the case may be, within twenty-four hours specifying the causes and immediately take remedial steps to reduce the gas flaring.

(4) Every lessee shall adopt all necessary measures to reduce greenhouse gas emissions that take place during the course of mineral oil operations.

(5) Every lessee shall submit monthly report to the Central Government of the gas produced and flared in the preceding month.

(6) Every lessee shall submit an annual report disclosing actions taken as per the plan referred to in sub-rule (1), specifying any deviation from the plans and corrective action taken.

(7) The Central Government or the State Government, as the case may be, may, for the purpose of verification or compliance audit, require the lessee to obtain third-party independent verification of metering, estimation, or reporting.

(8) The lessee shall review and update the plan submitted under sub-rule (1) once in five years.

39. Authorisation for greenhouse gas sequestration, injection and storage permit.—

(1) Any lessee intending to assess the feasibility of geological storage of greenhouse gases within a leased area shall, prior to commencement of any activity, obtain an authorisation for such assessment from the Central Government.

(2) Upon completion of the assessment, a lessee may submit an application for the issuance of an injection permit to the Central Government.

(3) The term of the injection permit in the first instance shall be two years, which may be renewed thereafter upon satisfactory performance and compliance with these rules.

(4) The injection permit shall only be for executing pilot tests and studies to establish the geological suitability of the reservoir for permanent sequestration and shall not grant long-term storage rights to the lessee.

(5) The lessee shall conduct the injection of greenhouse gases in accordance with a plan which shall be approved by the Central Government and no deviation from the plan shall be made without obtaining prior approval of the Central Government.

(6) After completion of the injection tests and establishment of the geological suitability of the reservoir for sequestration in the designated geological formations, a lessee intending to store greenhouse gases may apply and obtain a storage permit for permanent storage of greenhouse gases for sequestration purposes from the Central Government.

(7) The lessee shall submit an environmental management plan and a disaster management plan to the Central Government and the State Government, outlining the measures to mitigate risks to the environment, including groundwater contamination, surface water impacts and atmospheric releases and shall comply with the plans.

40. Monitoring, reporting and verification of injected greenhouse gases.— (1) The lessee shall undertake continuous monitoring of the geological formation, including pressure levels, gas migration and seal and reservoir integrity throughout the period during which greenhouse gases are injected.

(2) The lessee shall submit annual reports to the Central Government detailing the volumes of greenhouse gases injected, reservoir behaviour and any deviations from the approved injection plan.

(3) The lessee shall report any incident of greenhouse gas leakage or other environmental hazard pertaining to greenhouse gases immediately to the Central Government and the concerned authorities along with the details of the remedial measures taken by the lessee.

(4) The Central Government shall audit or verify the lessee's greenhouse gas storage and sequestration activities, monitoring, reporting and verification data or on-site operations.

Explanation.— For the purposes of this rule, the expression “monitoring, reporting, and verification” shall mean continuous oversight, data collection, and periodic submission of reports.

(5) The lessee shall be liable for any damage caused to the environment or public health on account of greenhouse gases storage operations during the period of active sequestration and for the post-injection period and shall be required to compensate the affected parties and take remedial measures to address environmental or public health concerns.

41. Closure and post-injection monitoring of injected greenhouse gases.— (1) Upon cessation of greenhouse gas injection and completion of the monitoring period, the lessee shall submit a site closure plan to the Central Government for approval, which shall include:—

- (a) procedures for well plugging and abandonment;
- (b) restoration of the surface area to its original or an agreed-upon condition; and
- (c) post-closure monitoring provisions,

and take all steps for site closure in accordance with the approved site closure plan, the applicable laws and the good international petroleum industry practices.

(2) The lessee shall continue to monitor the site for a minimum period of five years after site-closure and shall ensure the integrity of the geological storage and report any anomalies to the Central Government and concerned authorities.

42. Measurement and reporting of flared gas.— (1) The lessee shall accurately measure the volume of gas flared.

(2) The lessee shall report the volume of gas flared and the associated emissions to the Central Government on a quarterly basis.

43. Site restoration.— (1) The lessee shall undertake site restoration in accordance with the guidelines, schemes and policies of the Central Government notified from time to time and the good international petroleum industry practices.

(2) The lessee shall maintain a site restoration fund in accordance with guidelines, schemes and policies of the Central Government.

(3) If the lessee fails to comply with sub-rule (1), the Central Government may issue directions to the lessee to take the remedial measures and its timeline.

(4) In the event of failure to comply with sub-rule (1) or the directions issued under sub-rule (3), the Central Government shall undertake remedial measures at the sole cost and expense of the lessee.

(5) The lessee shall be liable for:

- (a) any harm or damage caused to any person, property or the environment in accordance with the applicable laws, and
- (b) any other losses and liabilities of the Central Government arising from such harm or damage.

CHAPTER VIII

SHARING OF INFRASTRUCTURE AND FACILITIES

44. Declaration of infrastructure capacity.— The lessee shall make an annual declaration to the Central Government of the installed, utilised and excess capacity of the infrastructure facilities relating to mineral oil operations owned by it.

45. Development and sharing of infrastructure by mutual agreement.— Two or more lessees may jointly develop or share infrastructure facilities for mineral oil operations on mutually agreed terms and conditions.

46. Declaration and use of excess capacity in infrastructure facilities.— (1) Where lessees are unable to mutually agree on the terms and conditions for sharing an infrastructure facility, any lessee seeking to use the excess capacity of such facility may make a representation to the Central Government requesting,—

- (i) determination of the available excess capacity; and
- (ii) permission for use of such excess capacity by other parties.

(2) Upon receipt of such representation or on its own motion in public interest, the Central Government shall issue a notice to the person who owns, has developed, or has obtained the infrastructure facility on lease, hire or through any other lawful arrangement, indicating its intent to determine and permit the use of any excess capacity therein and direct the person to furnish all relevant information relating to the infrastructure facility, including costs within sixty days of the receipt of the notice.

(3) The person to whom notice is issued shall provide the relevant information and may also submit the following within the period specified in sub-rule (2),—

- (i) objections to the proposed use of the excess capacity; or
- (ii) proposed terms and conditions acceptable to it for sharing such excess capacity.

(4) The Central Government shall, after giving an opportunity of being heard to both the parties, pass an order within a period of one hundred and eighty days from the date of issuance of the notice under sub-rule (2),—

- (i) determining the existence and extent of excess capacity, if any; and
- (ii) prescribing the terms, conditions, reasonable tariff and duration for the use of such excess capacity by other parties.

(5) The Central Government while passing an order under sub-rule (4), shall consider all relevant factors, including the operational requirements of the person who owns, has developed, or has obtained the infrastructure facility on lease, hire or through any other lawful arrangement.

(6) Both the parties shall submit a report of the action taken pursuant to the order passed by the Central Government within sixty days of the receipt of the order.

CHAPTER IX

ADJUDICATING AUTHORITY

47. Continuity of proceedings.— In case the officer designated as the adjudicating authority ceases to hold office for any reason whatsoever, the proceedings shall continue from the same stage before the newly appointed adjudicating authority.

48. Adjudication.— (1) A complaint may be preferred against the lessee or any other person either by the Central Government or the State Government or any other person, in writing to the adjudicating authority, wherein the complaint must necessarily disclose the following, namely:—

- (a) the details of contraventions and breaches under the Act and the rules;
- (b) the persons involved in the contravention; and
- (c) the documents evidencing the commission of the breaches or contraventions.

(2) Upon receipt of the complaint from a person other than the Central Government or the State Government, the adjudicating authority shall conduct a preliminary inquiry and submit a report to the Central Government, within a period of forty-five days from the date of receipt of complaint.

(3) In case the report of the adjudicating authority discloses sufficient ground for proceeding with the case, or in case the complaint is made by the Central Government or the State Government, the adjudicating authority shall issue a show cause notice to the lessee or any other person, as the case may be, to submit an explanation as to why an inquiry should not be commenced against the lessee or any other person for inquiring into the contraventions.

(4) In case the report of the adjudicating authority discloses insufficient ground for proceeding with the case and the adjudicating authority is satisfied, he shall pass a reasoned order declining the request to initiate the inquiry.

(5) A show cause notice issued by the adjudicating authority shall include the following, namely:—

- (i) the details of contraventions and breaches under the Act and the rules; and
- (ii) supporting documents including copy of the complaint.

(6) The lessee shall be afforded an opportunity of hearing within thirty days of the receipt of the explanation to the show cause notice.

(7) Upon receipt of the show cause notice, the lessee or any other person shall submit a written explanation within sixty days from the date of receipt of the said notice and shall necessarily provide the following, namely:—

- (i) a brief background of the case;
- (ii) a detailed statement of facts;
- (iii) explanations, justifications and specific responses to each contravention or breach alleged in the show cause notice;
- (iv) specific denials of any allegations of fact not admitted as true;
- (v) a supporting affidavit affirming and verifying the contents of the explanation; and

(vi) all documents relied upon in support of the case:

Provided that in case, the document is not in the possession or control of the lessee or such person, the explanation shall disclose the identity of the person or entity in whose possession or control the document is.

(8) If the lessee or any other person to whom a show-cause notice has been issued, fails to submit the explanation within the time limit specified in sub-rule (7) and the adjudicating authority is satisfied that the lessee had sufficient cause for not submitting the explanation, he shall condone the delay for a period of thirty days for submission of the explanation.

(9) During the hearing, the lessee or any other person may make oral submissions either itself or through its duly authorised representative and may provide written submissions to the adjudicating authority along with supporting documents and evidence.

(10) If the lessee or any other person fails to appear for hearing on the date so appointed, an opportunity may be given by issuing a reminder to appear within fifteen days of receipt of the reminder, failing which the adjudicating authority shall decide the matter *ex parte* on merits.

(11) The adjudicating authority may, within thirty days from the date of the conclusion of the hearing or the date of order to proceed *ex parte*, as the case may be, if necessary, give an opportunity to the complainant to submit an explanation on:

- (i) the submissions made by the lessee or any other person; or
- (ii) any new issue raised by the lessee or such person.

(12) The adjudicating authority, may if necessary, seek assistance of technical, financial and legal experts in order to conduct the inquiry.

(13) The adjudicating authority may draw adverse inference against a person who refuses to comply with any summons, directions or instructions issued by it.

(14) The record of the proceedings held before the adjudicating authority shall be duly maintained.

(15) The adjudicating authority, within a period of one year from the date of receipt of the complaint, shall pass a reasoned order deciding the matter after taking into consideration the submissions made by the parties and the record available and specify the quantum of any penalty levied.

(16) If the adjudicating authority is of the opinion that any of the issues referred to it, disclose a dispute between parties which is capable of or requires settlement through mediation, conciliation or arbitration, the adjudicating authority may direct the parties to refer the matter for dispute resolution under rule 51.

(17) The adjudicating authority may segregate issues capable of or requiring settlement through dispute resolution mechanism from other issues referred to it and direct the parties to refer only the segregated issues for settlement.

(18) An appeal against an order passed by the adjudicating authority shall lie with the Appellate Authority in accordance with the provisions of Section 9B of the Act.

49. Payment of penalty and interest.— (1) The penalty imposed by the adjudicating authority shall be paid within forty-five days of receipt of the order, subject to orders passed by the Appellate Authority, if any.

(2) Where the penalty is not paid within the time limit specified in sub-rule (1), the penalty shall attract simple interest at a rate equal to the State Bank of India Prime Lending Rate plus two percent per annum, calculated from the expiry of the period set out in sub-rule (1) until the date of actual payment.

50. Manner of recovery of penalties.— Where any person who is liable to penalties under the Act and these rules, fails to pay such penalty and the applicable interest within the time specified in these rules, the Central Government may recover such penalties by:

- (i) adjusting the necessary amount from any amount deposited with the Central Government or the State Government, as the case may be, as security deposit;
- (ii) invoking any guarantee or encashing any bond submitted to the Central Government or the State Government, as the case may be;
- (iii) adjusting the necessary amount against any dues payable by the Government to such person;
- (iv) issuing a recovery certificate specifying the amount due and sending it to the competent revenue authority for recovery as arrears of land revenue under applicable law; and
- (v) taking any other legal recourse as per the applicable law.

CHAPTER X

DISPUTE RESOLUTION

51. Resolution of disputes.— (1) In the event of any dispute, difference, or claim arising out of or in connection with the petroleum lease or contract between the lessee, contractor and the Central Government or the State Government, as the case may be, executed after the commencement of these rules, the parties therein shall endeavour to resolve such disputes, differences, or claims in accordance with the dispute resolution procedure as set out in the petroleum lease or contract.

(2) Where arbitration is provided for in the lease or contract, the seat of arbitration at the time of execution of the lease or contract, shall be at:

- (a) New Delhi, India or a neutral jurisdiction as opted by the contractor, where any lessee or member of the contract is a foreign company as defined in the Companies Act, 2013; and
- (b) New Delhi, India, where all of the lessees or members of the contract are companies incorporated in India:

Provided that where the lessee or a member of the contract is a subsidiary company incorporated in India and its holding company is a foreign company holding more than fifty-one per cent of its shareholding, the seat of arbitration shall be at New Delhi, India or a neutral jurisdiction as opted by the contractor.

(3) In the event of any change in the parties to the applicable petroleum lease or contract, the parties may apply to the Central Government or the State Government, as the case may be, for amendment of the seat of arbitration in the contract or the petroleum lease, subject to the requirements specified in sub-rule (2).

(4) For the purposes of the Act and the rules, the following matters shall be non-arbitrable, namely:—

- (i) disputes involving the imposition of penalties under these rules;
- (ii) disputes resolved through mediation; and
- (iii) disputes involving third-party rights, including compensation for loss of life, bodily injury, or environmental damage.

CHAPTER XI

SPECIAL PROVISIONS FOR REGULATION OF MINERAL OIL OPERATIONS IN AREAS AWARDED ON NOMINATION BASIS TO NATIONAL OIL COMPANIES

52. Application. — The provisions of this chapter shall apply only to licenses and petroleum leases granted by the Central Government to national oil companies by way of nomination, without following a bidding process and shall be applicable in addition to the other provisions of these rules.

53. Discovery.— (1) The national oil companies operating in areas awarded on nomination basis, shall notify all existing discoveries to the Central Government within thirty days from the commencement of these rules.

(2) The national oil companies shall submit a field development plan in respect of each existing discovery, clearly delineating the area proposed to be treated as development area within a period of one year from the commencement of these rules.

(3) If, within two years from the date of commencement of these rules, a discovery is made, the national oil company shall notify the Central Government within seven days from the establishment of the discovery and shall submit a field development plan in respect of the discovery, clearly delineating the area proposed to be treated as development area within a period of six months from the date of establishment of the discovery.

54. Field Development Plan. — (1) The Central Government shall within ninety days of the receipt of the field development plan convey the decision to approve or disapprove the area that may be retained as development area.

(2) The development area once approved by the Central Government shall not be modified in any manner without the prior approval of the Central Government.

(3) The national oil companies may modify the field development plan:

Provided that any change in the development area shall be made with the approval of the Central Government.

(4) In case, the Central Government does not approve the development area demarcated in the field development plan, the national oil company may submit a revised field development plan in consultation with the Central Government within a period of six months from the date of receipt of the communication disapproving the development area demarcated by the national oil company.

(5) On the expiry of the period of ninety days from the receipt of the field development plan, if no decision of the Central Government is conveyed to the national oil company, the development area shall be deemed to have been approved.

55. Monitoring of development and production operations. — (1) The national oil companies shall submit an annual statement of the development and production operations carried out in accordance with the field development plan within ninety days of the end of the financial year.

(2) The national oil companies shall submit requisite data sought by the Central Government regarding the mineral oil operations conducted by it.

56. Relinquishment of leased area. — On the expiry of two years from the commencement of these rules, the entire area held by the national oil companies on nomination basis shall stand relinquished, except:

- (i) any area where the discovery has been made under sub-rule 3 of rule 53;
- (ii) any development area approved by the Central Government; and
- (iii) any areas where production operations are being carried out by the national oil companies.

57. Site restoration. — The national oil companies shall carry out site restoration in such areas in accordance with guidelines, schemes and policies of the Central Government as issued from time to time and maintain a site restoration fund in accordance with procedure specified in the Site Restoration Scheme, 1999.

CHAPTER XII

MISCELLANEOUS

58. Extension of rights under existing contracts or mining leases for all mineral oils. — The rights granted under all contracts or mining leases executed prior to commencement of these rules shall be deemed to have been granted in respect of all mineral oils from the date of the commencement of these rules.

59. Existing leases and pending applications. — (1) The holder of a mining lease granted prior to commencement of these rules shall, until the expiry of the mining lease, have the option to apply for a petroleum lease under the provisions of rule 5.

(2) Where a lessee opts to apply for a petroleum lease under sub-rule (1), the lessee shall ensure that any contract entered into between the lessee and the Central Government is amended prior to filing of the application for grant of petroleum lease in order to incorporate any changes consequential to exercise of such option, as deemed necessary by the Central Government.

(3) Where an application for issuance of a mining lease or extension thereof is pending consideration on the date of the commencement of these rules, the applicant shall re-apply for a petroleum lease under these rules and shall be exempted from making payment of the application fee, security deposit and a deposit for meeting preliminary expenses:

Provided that where a contract has been executed with the Central Government and the amendment of the contract is necessary, the applicant shall enter into an amended contract with the Central Government prior to filing of the application for grant of petroleum lease.

60. Application for petroleum leases to be filed upon expiry of existing mining lease. — If the term of a mining lease expires after commencement of these rules, the lessee shall apply for a petroleum lease under these rules.

Provided that where a contract has been executed with the Central Government and the amendment of the contract is necessary, the applicant shall enter into an amended contract with the Central Government prior to filing of the application for grant of petroleum lease.

61. Amendment of lease upon extension of leased area.— (1) Where the holder of a mining lease seeks to extend the area allocated under the mining lease, the lessee shall file an application for grant of extension of the leased area before the Central Government or the State Government, as the case may be.

(2) In case the application is approved, the mining lease shall be amended to incorporate the change in the area.

(3) All other terms and conditions of the mining lease shall remain unaltered for the remaining term of the mining lease.

62. Special petroleum lease for specific petroleum operations.— (1) Special petroleum leases may be granted by the Central Government or the State Government with the prior approval of the Central Government, to permit an applicant to perform certain specific petroleum operations in the area demarcated therein, including but not limited to the following, namely:—

- (i) conducting exploration operations in an area solely for the purposes of determining the extent of reservoir boundaries as per rules 12 or 13; and
- (ii) conducting exploration operations solely for the purposes of collection of data.

(2) An application for a special petroleum lease shall be submitted in the form specified in Schedule- VIII, —

- (i) where the area falls within the territory of the Central Government, to the Central Government; and
- (ii) where the area falls within the territory of the State Government, to the State Government along with a copy of the prior approval of the Central Government.

(3) The applicant shall submit a security deposit of rupees two lakh to the State Government where the area falls within the territory of the State Government and in other cases, to the Central Government.

(4) The security deposit shall be refunded, if the application is rejected or at the expiry of the special petroleum lease.

(5) The application shall be decided by the Central Government or the State Government, as the case may be, within one hundred and eighty days of receipt of application with complete information and security deposit from the applicant.

(6) If the decision is to reject the application, the same shall be communicated with reasons to be recorded in writing and the security deposit shall be refunded to the applicant.

(7) On the expiry of a period of one hundred and eighty days, if the application has not been decided by the Central Government or the State Government, as the case may be, an application filed in respect of an area falling within the territory of the, —

- (i) Central Government, shall be deemed to have been approved by the Central Government and the Central Government shall promptly execute the deed of special petroleum lease with the applicant; and
- (ii) State Government, shall be deemed to have been rejected by the State Government.

(8) The area of the lease shall be specified in the special petroleum lease granted by the Central Government or the State Government, as the case may be.

(9) The term of the special petroleum lease shall be specified therein and shall not exceed four years.

(10) The Central Government or the State Government with the prior approval of the Central Government, may, if deemed necessary extend the term of the special petroleum lease.

(11) The rights and the obligations of the lessee shall be specified in the special petroleum lease granted by the Central Government or the State Government, as the case may be.

(12) The lessee of a special petroleum lease shall pay an annual rent in advance, computed at the rate of Rs. 100 per square kilometer for the entire area leased.

(13) The special petroleum lease shall be entered into between the applicant and the Central Government or the State Government, as the case may be, within ninety days from the approval of the application.

(14) For the purposes of calculation of any stamp duty payable on the special petroleum lease, the value of the lease shall be the total lease rent payable under the special petroleum lease.

(15) Upon execution of the special petroleum lease, the terms contained therein shall be final and binding on all parties and shall not be altered, amended or modified thereafter, except by mutual consent of the parties.

63. Power to extend time limits. — The Central Government may, if it deems necessary and expedient in public interest, extend the time limit specified in these rules.

64. Modification of terms of petroleum lease. — The Central Government or the State Government with the prior approval of the Central Government, may, at any time prior to the execution of the petroleum lease under sub-rule (3) of rule 6 or extension of the term under rule 10 or area of any petroleum lease under rule 12, incorporate additional terms to address concerns relating to the leased area, health and safety, protection of the environment, national security or public interest.

65. Penalties for contraventions of rules. — (1) Whoever fails to comply with or contravenes any of the provisions of these rules or any direction or order issued by the competent authority under these rules, shall be liable to pay penalty in accordance with Section 9 of the Act.

(2) Whoever furnishes any information, document, return or report under these rules which is false, misleading or materially incorrect or knowingly withholds any information, document, return or report required to be submitted under these rules shall be deemed to have contravened the provisions of these rules and shall be liable to pay penalty in accordance with Section 9 of the Act.

(3) Whoever, having already been penalised under this rule, continues to contravene the provisions of the Act or these rules, shall be liable to pay a further penalty in accordance with sub-section (3) of section 9 of the Act.

Schedule – I
(Application for grant of Petroleum lease)
[See rule 5 (1)]

1. General Information:

Sl. No.	Description	Details	
(i)	(a) Details of contract executed between Government and applicant (if applicable)		
	(b) Applicant Name		
	(c) Address		
	(d) Place of incorporation		
(ii)	Name of Petroleum Lease (if applicable)		
(iii)	Name of State (if applicable for onland)		
(iv)	Name of Basin or Asset (if applicable)		
(v)	Regime		
(vi)	Type of Company (s) (Public or private)		
(vii)	Detail(s) of Petroleum Exploration License or Petroleum Mining Lease from which area applied for conversion to Petroleum Lease (if applicable)		
(viii)	Area of the lease applied		
(ix)	Duration applied for Grant	From _____ to _____	
(x)	Statutory Fees Paid	Amount	Date of payment
	(a) Application Fee (if applicable)		
	(a) Preliminary Expenses		
	(b) Security Deposit		

2. Proposed petroleum lease area details:

(i) Co-ordinates of the applied area:

(a) Projection system (in World Geodetic System 1984).

Projection System	Spheroid	Zone

(b) Co-ordinates of the lease:

Points	X	Y	Longitude			Latitude		
			Degrees	Minutes	Seconds	Degrees	Minutes	Seconds

(c) Map of the petroleum lease applied:

(d) Whether the proposed area or part thereof falls within any reserve forest. If so, mention the area in sq.km that falls within reserve forest along with the name of reserve forest :

(e) In case of village, the name of the village & area covered:

(f) Lists of Districts:

(g) Details of existing/envisaged infrastructure:

(h) Justification for Petroleum Lease grant:

Schedule – II

(Petroleum Lease)

[See rule 6 (2)]

FORMAT OF ONSHORE PETROLEUM LEASE

This deed of petroleum lease (“Lease”) is made on this [insert day] day of [insert month] [insert year] by and between:

PARTIES:

The Governor of _____, acting through the _____ (hereinafter referred to as the “State Government”), of the FIRST PART;

AND

[Insert name of the Company], a company incorporated under the laws of _____, (hereinafter referred to as “_____”) having its registered office at _____, which expression shall include its successors and permitted transferees and assigns, of the SECOND PART;

AND

[Insert name of the Company], a company incorporated under the laws of _____, (hereinafter referred to as “_____”) having its registered office at _____, which expression shall include its successors and permitted transferees and assigns, of the THIRD PART;

[ADD party clause for each relevant party who is to be the lessee]

Parties of the Second and the Third Part are collectively hereinafter referred to as the “Lessee”). The Government and the Lessee shall hereinafter individually be referred to as the “Party” and collectively as the “Parties”, unless repugnant to the context.

WHEREAS:

- A. The Lessee [(ADD if there is a contract for mineral oil operations between Lessee and the Government) in pursuance of the _____ contract dated _____ (hereinafter referred to as the “Contract”) and] in accordance with the Oilfields (Regulation and Development) Act, 1948, (hereinafter referred to as the “Act”), and the Petroleum and Natural Gas Rules, 2025, (hereinafter referred to as the “Rules”), has applied for a petroleum lease over the area as more fully described in the Appendix-A (“Leased Area”), in accordance with rule 5 of the Rules.
- B. The Lessee has prior to the date of this Lease, submitted to the State Government, a security deposit of INR 25,00,000 (Indian Rupees Twenty-Five Lakhs), in accordance with rule 5 of the Rules.

Accordingly, the present deed is being executed for grant of a Lease over the Leased Area to the Lessee in consideration of the rent, covenants and agreements hereinafter reserved and contained on the part of the Lessee to be paid, observed and performed, and in furtherance of the execution and performance of the Contract

NOW THEREFORE IT IS HEREBY AGREED AMONG THE PARTIES AND THIS LEASE DEED WITNESSETH AS UNDER:

1. **DEFINITIONS AND INTERPRETATION.—**

- 1.1 Unless defined otherwise, the expressions used in this Lease shall have the same meaning as assigned to them under the Act and the Rules.
- 1.2 All references in this Lease to statutory provisions shall be construed as meaning and including references to:—
 - 1.2.1 any statutory modification, consolidation or re-enactment (whether before or after the date of this Lease) for the time being in force; and
 - 1.2.2 all statutory instruments or orders made pursuant to a statutory provision.

2. GRANT OF LEASE.—

- 2.1 The State Government hereby grants the Lease to the Lessee over the Leased Area for conducting mineral oil operations for a period of [*insert no. of years*] years, unless terminated or cancelled earlier in accordance with the Act and the Rules made thereunder or the Contract (“Term”).
- 2.2 Subject to the Act and the Rules and the terms of the Contract executed between the Central Government and the Lessee, the Lessee shall have:—
 - 2.2.1 the exclusive right to explore mineral oils in the Leased Area, including but not limited to, conducting geological and geophysical surveys, drilling of wells, testing operations for mineral oils;
 - 2.2.2 the exclusive right to develop and produce mineral oils in the Leased Area along with the right to construct and maintain in and on the Leased Area such works, buildings, plants, platforms, waterways, roads, pipelines, dams, reservoirs, tanks, pumping stations, tram ways, railways, communication cables, electric power lines and other structures and equipment and other facilities as may be necessary for the purposes of the Lease or for fulfilling its obligation under the Lease;
 - 2.2.3 the rights and obligations to carry out site restoration, abandonment, and decommissioning of oil wells, installations, and associated facilities;
 - 2.2.4 the right to explore, plan, develop and establish comprehensive energy projects in the Leased Area and produce energy therefrom subject to necessary approvals under applicable law;
 - 2.2.5 the right to use the Leased Area for decarbonisation activities; in accordance with the Act, the rules, the Contract, and the policies, notifications and directions given by the Government of India.
- 2.3 The Lessee shall separately obtain a surface lease for the surface area of the land actually used by it for the purpose of carrying out mineral oil operations or comprehensive energy projects, in accordance with applicable law.

2.4 The Lessee shall pay the lease rent as under and comply with all the covenants and agreements contained herein.

[Insert rent table as provided in rule 9 at the time lease is entered into]

Amount (in Rupees) per square kilometer of leased area	Year
_____	_____

2.5 This Lease shall become effective on the date of receipt of the payment of the lease rent for the first year of this Lease, and the Lessee shall continue to make payment of lease rent in accordance with the Act and the Rules.

2.6 The Lessee shall at all times comply with the provisions of the Act, the Rules, and the policies, notifications and directions issued by the Central Government made under the Act and the Rules and any other applicable law for the time being in force.

2.7 Subject to rule 18 of the Rules, the security deposit furnished by the Lessee may be forfeited upon a breach of the terms and conditions of the Lease, the Act, and the Rules, and in the event of forfeiture, the Lessee shall replenish the forfeited amount in full within thirty days from the date of such forfeiture.

3. STABILISATION.—

3.1 In the event of a Change in Law resulting in reduction of economic benefit accruing to the lessee, the lessee shall be entitled to be restored, as nearly as possible, to the economic equilibrium which existed immediately prior to the date of the Change in Law in the manner contained herein.

3.2 Upon the occurrence of such a Change in Law, the lessee shall no later than ninety days from the date of occurrence of the Change in Law, inform the Central Government and the State Government of the Change in Law and the estimated reduction of economic benefit on account of such Change in Law and shall submit supporting documents evidencing the reduction in economic benefit along with the notice.

3.3 The lessee shall promptly provide any additional information or documents concerning the same as may be required by the Central Government and the State Government and the lessee shall provide the same within a period of sixty days.

3.4 Upon receipt of a notice as per clause 3.2 of this Lease, the Parties shall use their best efforts to amicably arrive at mutually acceptable solution within 1 (one) year from the date of occurrence of the Change in Law. To this end, the Parties may agree upon modifications to be made to this Lease or adoption of other reasonable measures to restore the Lessee, as nearly as possible, to the economic equilibrium which existed immediately prior to the date of the Change in Law.

3.5 If the Parties are unable to resolve the matter amicably, the Lessee, on or after the expiry of the period prescribed under clause 3.4, may commence provisional adjustment of such sums as it reasonably believes are necessary to restore it to the same financial position in the manner provided herein.

3.5.1 The deduction may, in the first instance, be made from any dues payable by the lessee under the contract, lease, the Act or these rules, to—

(i) the Central Government, where the change in law is made by Parliament; and

(ii) the State Government, where the change in law is made by the legislature of that State:

3.5.2 The lessee, after giving prior notice of not less than thirty days to both the Central Government and the State Government, may adjust any balance amount remaining after such deduction against the dues payable to—

(i) the State Government, where the change in law is made by Parliament; and

(ii) the Central Government, where the change in law is made by the legislature of the State.

3.5.3 The Lessee shall notify the Central Government or the State Government, as the case may be, of each such deduction made by it specifying the amount deducted and provide all other relevant and necessary information relating to the deduction to the State Government with a copy to the Central Government.

3.5.4 Any such deduction made by the Lessee shall be without prejudice to the rights of the Central Government and the State Government to dispute, differ or disagree with the Lessee's claim of existence of such Change in Law, the validity and quantum of any deductions made by the Lessee in respect thereof. Pending determination of the dispute raised by the Central Government or the State Government, the deduction made by the Lessee shall operate only as an interim measure.

3.5.5 Any dispute raised by the Central Government or State Government under clause 3.5.4 of this Lease, shall be resolved in accordance with the provisions of clause 6.4 of this Lease.

3.6 “**Change in Law**” shall mean a change in the following, namely: —

(i) the taxes, duties, levy, cess, fees, royalties, charges, impositions under the laws applicable in India payable by the lessee after the date of this petroleum lease resulting in reduction of economic benefit to the lessee, and

(ii) any laws for the time being in force in India governing labour and employment, protection of the environment, health or safety, or site

restoration and decommissioning, resulting in reduction of economic benefit to the lessee of more than USD 5,000,000 (United States Dollars Five Million) in any financial year after the date of this petroleum lease,

whether such change arises on account of a change in rates, change in the laws applicable in India or change in interpretation by judgement of a court which has become final, conclusive and binding, as compared to such interpretation or application prior to the date of this petroleum lease:

Provided that any notification made by the Central Government prescribing the rates for royalties for any Mineral Oil other than Crude Oil, Natural Gas and Condensate for the first time after the Execution Date, shall not be treated as a Change in Law.

4. COMPENSATION.—

4.1 The State Government shall not nationalize or otherwise take away the rights, interests or assets of the Lessee relating to this Lease, except in compliance with the due process of law of India, for reasons of public purpose and payment of appropriate compensation:

Provided that no compensation shall be paid unless the Lessee has made a discovery and has submitted the notice of Discovery to the Central Government in respect of any area comprised under this Lease prior to the date of occurrence of the event set out in clause 4.1 of this Lease.

4.2 Upon occurrence of the events set out in clause 4.1 of this Lease, the Lessee shall be paid an adequate amount as compensation which shall be equal to the fair market value of the rights, interests (including those relating to undeveloped reserves) or assets nationalized or otherwise taken away by the State Government, as on the date immediately preceding the date of occurrence of such event. Valuation criteria shall include going concern value, asset value including declared tax value of tangible property, and other criteria, as appropriate, to determine fair market value.

4.3 The eligibility and quantum of the appropriate compensation under this clause shall be determined by the State Government on a case-by-case, fact-based inquiry, taking into account all relevant circumstances.

4.4 In the first instance, the Parties shall endeavor to agree upon an appropriate compensation within 180 (one hundred and eighty) Days of a Party's notice to the other Party inviting discussion of the appropriate compensation. If no agreement is concluded, the matter may be referred to dispute resolution under clause 6.4 of this Lease.

5. CANCELLATION OF LEASE.—

5.1 The cancellation of this Lease shall be in accordance with rule 18 of the Rules.

5.2 Notwithstanding anything contained in the foregoing, this Lease shall terminate upon the termination of the Contract.

6. MISCELLANEOUS.—

6.1 Transfer or Assignment of Lease—

Any transfer or assignment of the Lease shall be undertaken in accordance with rule 20 of the Rules. In the event of such transfer or assignment, the Lease shall be amended in the name of the transferee or the assignee, severally or jointly to the extent of the transfer or the assignment, with effect from the date from which such transfer or assignment is made effective.

6.2 Notices—

6.2.1 All notices or other communications to be given under this Lease shall be made in writing by letter or email at the respective addresses of the Parties set out below, or the other addresses as the Parties may notify to each other in writing from time to time.

6.2.2 The addresses of the Parties for the purposes of the Lease are:
[*insert for all parties*]

6.2.3 In all methods of constitution of the Lessee, delivery of any notice to the details set out herein shall be deemed to be valid notice to all constituents of the lessee.

6.3 Governing Law and Jurisdiction—

The laws of India shall apply to the Lease, and subject to the dispute resolution mechanism set out in the Lease, the courts of [*insert*] shall have exclusive jurisdiction over all matters pertaining to the present Lease.

6.4 Dispute Resolution—

6.4.1 In the event of any disputes, differences, disagreements, or claims arising out of or in connection with this Lease or the performance thereof, including any question regarding its existence, validity, cancellation or termination (“**Dispute(s)**”), the Parties shall at the first instance use their best efforts to achieve amicable resolution of such Disputes through good faith negotiations within 90 (ninety) Days from the date such dispute arises.

6.4.2 If the Dispute is not resolved amicably within the period specified above, the Parties may seek resolution of the Dispute either (a) through mediation or conciliation, by referring the dispute to the Committee of External Eminent Persons (“**CEEE**”) or experts notified by the Government of India from time-to-time, or (b) through mediation, by engaging a mediator in accordance with the Mediation Act, 2023, as mutually agreed. Any mediated settlement reached and signed by the Parties shall be final and binding and enforceable in accordance with sub-section (2) of section 27 of the Mediation Act, 2023. Any costs associated with such mediation shall be borne equally between the Parties.

6.4.3 If the Dispute remains unresolved following mediation or conciliation for a period of more than 90 (ninety) Days or the parties choose not to opt for resolution of the Dispute through mediation and conciliation, as the case may be, any of the Parties to the dispute may refer the dispute to arbitration.

6.4.4 The governing law of this Lease and the arbitration agreement, including questions relating to its scope, validity, and interpretation shall be Indian law.

6.4.5 The arbitration shall be conducted by a tribunal of 3 (three) arbitrators—one appointed by each Party, and the third (presiding arbitrator) appointed in accordance with the rules of _____ [insert name of arbitral institution chosen by the parties].

OR

The arbitration shall be conducted by a tribunal of 3 (three) arbitrators—one appointed by each Party. The two arbitrators appointed by the parties shall appoint the third arbitrator (presiding arbitrator).

[Applies if parties do not choose institutional arbitration]

6.4.6 The language of arbitration shall be English.

6.4.7 The seat of arbitration shall be _____. *[Insert seat of arbitration as per Rule 51(2) of the Rules.]*

Provided that nothing under this Lease shall exclude the applicability of Sections 9, 27, clause (a) of sub section (1) and sub section (3) of Section 37 of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 (26 of 1996).

Provided further that, in the event of a change of lessee, the lessee may apply to the Government for amendment of the seat of arbitration, subject to the requirements set out in Rule 51 (3) of the Rules.

6.4.8 Pending the resolution of any Dispute, the Parties shall, unless otherwise agreed or directed by the arbitral tribunal or a court of competent jurisdiction, continue to perform their respective obligations under this Lease to the extent practicable.

6.4.9 The costs of arbitration shall be allocated in accordance with the applicable institutional rules. The arbitral tribunal shall have the power to make orders on costs in its final award.

6.4.10 The award of the arbitral tribunal shall be final and binding on the Parties and may be enforced in accordance with the Arbitration and Conciliation Act, 1996.

6.4.11 Where multiple arbitrations arise under the Lease, the Contract executed by the Lessee and the Central Government or any related agreement, the Parties shall use their best efforts to consolidate such proceedings into a single arbitration. The arbitral tribunal shall have the power, with the consent of all relevant Parties, to consolidate proceedings or permit the joinder of additional Parties, provided that no such consolidation or joinder shall unduly delay the proceedings.

6.5 Continuation of obligations—

During the pendency of the resolution of any dispute, the Parties shall, unless otherwise agreed or directed by [the arbitral tribunal/ the competent court], continue to perform their respective obligations under the Lease to the extent practicable.

6.6 Mandatory intimation of dispute to Central Government where Lessor is the State Government—

In the event of any disputes, differences, disagreements, or claims arising out of or in connection with the Lease, the Parties herein shall upon commencement of legal proceedings intimate the **Central Government through the Ministry of Petroleum and Natural Gas** within 7 (seven) days of commencement. It is clarified that the obligation to intimate the Central Government shall independently arise at each stage of the dispute resolution mechanism.

6.7 Consolidation of proceedings in certain cases—

In the event of a subsisting dispute between the lessee and the Central Government under the Contract, the Parties shall, in case of overlap or similarity of subject matter, use their best efforts to refer any disputes, differences, disagreements, or claims arising out of the Lease to the arbitral tribunal constituted under the Contract.

6.8 Site Restoration—

Lessee shall carry out site restoration and maintain a site restoration fund in accordance with the provisions of the Rules and the guidelines, schemes and policies issued by the Central Government.

6.9 Alteration—

No **amendment, modification, or waiver** of any provision of the Lease shall be valid or binding unless made in **writing and signed by the Parties** to the Lease.

IN WITNESS WHEREOF, this Lease has been executed at the [*name of place*] on [*date*]
For the Lessor For the Lessee

[*Insert Name*]

[*Insert Names*]

APPENDIX-A

3. AREA OF THE LEASE: _____ sq kms

4. DESCRIPTION OF THE LEASED AREA _____ and MAP

FORMAT OF OFFSHORE PETROLEUM LEASE

This deed of petroleum lease (“Lease”) is made on this [insert day] day of [insert month] [insert year] by and between:

PARTIES:

The President of India _____, acting through the _____ (hereinafter referred to as the “Government”), of the FIRST PART;

AND

[Insert name of the Company], a company incorporated under the laws of _____, (hereinafter referred to as “_____) having its registered office at _____, which expression shall include its successors and permitted transferees and assigns, of the SECOND PART;

AND

[Insert name of the Company], a company incorporated under the laws of _____, (hereinafter referred to as “_____) having its registered office at _____, which expression shall include its successors and permitted transferees and assigns, of the THIRD PART;

[ADD party clause for each relevant party who is to be the lessee]

Parties of the Second and the Third Part are collectively hereinafter referred to as the “Lessee”). The Government and the Lessee shall hereinafter individually be referred to as the “Party” and collectively as the “Parties”, unless repugnant to the context.

WHEREAS:

- A. The Lessee [(ADD if there is a contract for mineral oil operations between Lessee and the Government) in pursuance of the _____ contract dated _____ (hereinafter referred to as the “Contract”) and] in accordance with the Oilfields (Regulation and Development) Act, 1948, (hereinafter referred to as the “Act”), and the Petroleum and Natural Gas Rules, 2025, (hereinafter referred to as the “Rules”), has applied for a petroleum lease over the area as more fully described in the **Appendix-A** (“Leased Area”), in accordance with rule 5 of the Rules.
- B. The Lessee has prior to the date of this Lease, submitted to the Government, a security deposit of INR 25,00,000 (Indian Rupees Twenty-Five Lakhs), in accordance with rule 5 of the Rules.

Accordingly, the present deed is being executed for grant of a Lease over the Leased Area to the Lessee in consideration of the rent, covenants and agreements hereinafter reserved and contained on the part of the Lessee to be paid, observed and performed, and in furtherance of the execution and performance of the Contract

NOW THEREFORE IT IS HEREBY AGREED AMONG THE PARTIES AND THIS LEASE DEED WITNESSETH AS UNDER:

1. DEFINITIONS AND INTERPRETATION.—

- 1.1 Unless defined otherwise, the expressions used in this Lease shall have the same meaning as assigned to them under the Act and the Rules.
- 1.2 All references in this Lease to statutory provisions shall be construed as meaning and including references to:—

- 1.2.1 any statutory modification, consolidation or re-enactment (whether before or after the date of this Lease) for the time being in force; and
- 1.2.2 all statutory instruments or orders made pursuant to a statutory provision.

2. GRANT OF LEASE.—

- 2.1 The Government hereby grants the Lease to the Lessee over the Leased Area for conducting mineral oil operations for a period of _____[insert no. of years] years, unless terminated or cancelled earlier in accordance with the Act and the Rules made thereunder or the Contract (“Term”).
- 2.2 Subject to the Act and the Rules and the terms of the Contract executed between the Government and the Lessee, the Lessee shall have:—
 - 2.2.1 the exclusive right to explore mineral oils in the Leased Area, including but not limited to, conducting geological and geophysical surveys, drilling of wells, testing operations for mineral oils;
 - 2.2.2 the exclusive right to develop and produce mineral oils in the Leased Area along with the right to construct and maintain in and on the Leased Area such works, buildings, plants, platforms, waterways, roads, pipelines, dams, reservoirs, tanks, pumping stations, tram ways, railways, communication cables, electric power lines and other structures and equipment and other facilities as may be necessary for the purposes of the Lease or for fulfilling its obligation under the Lease;
 - 2.2.3 the rights and obligations to carry out site restoration, abandonment, and decommissioning of oil wells, installations, and associated facilities;
 - 2.2.4 the right to explore, plan, develop and establish comprehensive energy projects in the Leased Area and produce energy therefrom subject to necessary approvals under applicable law;
 - 2.2.5 the right to use the Leased Area for decarbonisation activities; in accordance with the Act, the Rules, the Contract, and the policies, notifications and directions given by the Government of India.
- 2.3 The Lessee shall separately obtain a surface lease for the surface area of the land actually used by it for the purpose of carrying out mineral oil operations or comprehensive energy projects, in accordance with applicable law.
- 2.4 The Lessee shall pay the lease rent as under and comply with all the covenants and agreements contained herein.

[Insert rent table as provided in rule 9 at the time lease is entered into]

Amount (in Rupees) per square kilometer of leased area	Year

- 2.5 This Lease shall become effective on the date of receipt of the payment of the lease rent for the first year of this Lease, and the Lessee shall continue to make payment of lease rent in accordance with the Act and the Rules.
- 2.6 The Lessee shall at all times comply with the provisions of the Act, the Rules, and the policies, notifications and directions issued by the Government made under the Act and the Rules and any other applicable law for the time being in force.
- 2.7 Subject to rule 18 of the Rules, the security deposit furnished by the Lessee may be forfeited upon a breach of the terms and conditions of the Lease, the Act, and the Rules, and in the event of forfeiture, the Lessee shall replenish the forfeited amount in full within thirty days from the date of such forfeiture.

3. STABILISATION.—

- 3.1 In the event of a Change in Law resulting in reduction of economic benefit accruing to the lessee, the lessee shall be entitled to be restored, as nearly as possible, to the economic equilibrium which existed immediately prior to the date of the Change in Law in the manner contained herein.
- 3.2 Upon the occurrence of such a Change in Law, the lessee shall no later than ninety days from the date of occurrence of the Change in Law, inform the Central Government and the State Government of the Change in Law and the estimated reduction of economic benefit on account of such Change in Law and shall submit supporting documents evidencing the reduction in economic benefit along with the notice.
- 3.3 The lessee shall promptly provide any additional information or documents concerning the same as may be required by the Central Government and the State Government and the lessee shall provide the same within a period of sixty days.
- 3.4 Upon receipt of a notice as per clause 3.2 of this Lease, the Parties shall use their best efforts to amicably arrive at mutually acceptable solution within 1 (one) year from the date of occurrence of the Change in Law. To this end, the Parties may agree upon modifications to be made to this Lease or adoption of other reasonable measures to restore the Lessee, as nearly as possible, to the economic equilibrium which existed immediately prior to the date of the Change in Law.
- 3.5 If the Parties are unable to resolve the matter amicably, the Lessee, on or after the expiry of the period prescribed under clause 3.4, may commence provisional adjustment of such sums as it reasonably believes are necessary to restore it to the same financial position in the manner provided herein.—
 - 3.5.1 The deduction may, in the first instance, be made from any dues payable by the lessee under the contract, lease, the Act or these rules, to—
 - (i) the Central Government, where the change in law is made by Parliament; and

(ii) the State Government, where the change in law is made by the legislature of that State:

3.5.2 The lessee, after giving prior notice of not less than thirty days to both the Central Government and the State Government, may adjust any balance amount remaining after such deduction against the dues payable to—

- (i) the State Government, where the change in law is made by Parliament; and
- (ii) the Central Government, where the change in law is made by the legislature of the State.

3.5.3 The Lessee shall notify the Central Government or the State Government, as the case may be, of each such deduction made by it specifying the amount deducted and provide all other relevant and necessary information relating to the deduction to the State Government with a copy to the Central Government.

3.5.4 Any such deduction made by the Lessee shall be without prejudice to the rights of the Central Government and the State Government to dispute, differ or disagree with the Lessee's claim of existence of such Change in Law, the validity and quantum of any deductions made by the Lessee in respect thereof. Pending determination of the dispute raised by the Central Government or the State Government, the deduction made by the Lessee shall operate only as an interim measure.

3.5.5 Any dispute raised by the Central Government or State Government under clause 3.5.4 of this Lease, shall be resolved in accordance with the provisions of clause 6.4 of this Lease.

3.6 “**Change in Law**” shall mean a change in the following, namely:—

- i. the taxes, duties, levy, cess, fees, royalties, charges, impositions under the laws applicable in India payable by the lessee after the date of this petroleum lease resulting in reduction of economic benefit to the lessee, and
- ii. any laws for the time being in force in India governing labour and employment, protection of the environment, health or safety, or site restoration and decommissioning, resulting in reduction of economic benefit to the lessee of more than USD 5,000,000 (United States Dollars Five Million) in any financial year after the date of this petroleum lease,

whether such change arises on account of a change in rates, change in the laws applicable in India or change in interpretation by judgement of a court which has become final, conclusive and binding, as compared to such interpretation or application prior to the date of this petroleum lease:

Provided that any notification made by the Central Government prescribing the rates for royalties for any Mineral Oil other than Crude Oil, Natural Gas and Condensate for the first time after the Execution Date, shall not be treated as a Change in Law.

4. COMPENSATION.—

4.1 The Government shall not nationalize or otherwise take away the rights, interests or assets of the Lessee relating to this Lease, except in compliance with the due process of law of India, for reasons of public purpose and payment of appropriate compensation.

Provided that no compensation shall be paid unless the Lessee has made a discovery and has submitted the notice of Discovery to the Government in respect of any area comprised under this Lease prior to the date of occurrence of the event set out in this clause of the Lease.

4.2 Upon occurrence of the events set out in clause 4.1 of this Lease, the Lessee shall be paid an adequate amount as compensation which shall be equal to the fair market value of the rights, interests (including those relating to undeveloped reserves) or assets nationalized or otherwise taken away by the Government, as on the date immediately preceding the date of occurrence of such event. Valuation criteria shall include going concern value, asset value including declared tax value of tangible property, and other criteria, as appropriate, to determine fair market value.

4.3 The eligibility and quantum of the appropriate compensation under this clause shall be determined by the Government on a case-by-case, fact-based inquiry, taking into account all relevant circumstances.

4.4 In the first instance, the Parties shall endeavor to agree upon an appropriate compensation within 180 (one hundred and eighty) Days of a Party's notice to the other Party inviting discussion of the appropriate compensation. If no agreement is concluded, the matter may be referred to dispute resolution under clause 6.4 of this Lease.

5. CANCELLATION OF LEASE.—

5.1 The cancellation of this Lease shall be in accordance with rule 18 of the Rules.

5.2 Notwithstanding anything contained in the foregoing, this Lease shall terminate upon the termination of the Contract.

6. MISCELLANEOUS.—

6.1 Transfer or Assignment of Lease—

Any transfer or assignment of the Lease shall be undertaken in accordance with rule 20 of the Rules. In the event of such transfer or assignment, the

Lease shall be amended in the name of the transferee or the assignee, severally or jointly to the extent of the transfer or the assignment, with effect from the date from which such transfer or assignment is made effective.

6.2 Notices—

6.2.1 All notices or other communications to be given under this Lease shall be made in writing by letter or email at the respective addresses of the Parties set out below, or the other addresses as the Parties may notify to each other in writing from time to time.

6.2.2 The addresses of the Parties for the purposes of the Lease are:

[insert for all parties]

6.2.3 In all methods of constitution of the lessee, delivery of any notice to the details set out herein shall be deemed to be valid notice to all constituents of the lessee.

6.3 Governing Law and Jurisdiction—

The laws of India shall apply to the Lease, and subject to the dispute resolution mechanism set out in the Lease, the courts of Delhi shall have exclusive jurisdiction over all matters pertaining to the present Lease.

6.4 Dispute Resolution—

6.4.1 In the event of any disputes, differences, disagreements, or claims arising out of or in connection with this Lease or the performance thereof, including any question regarding its existence, validity, cancellation or termination (“Dispute(s)”), the Parties shall at the first instance use their best efforts to achieve amicable resolution of such Disputes through good faith negotiations within 90 (ninety) Days from the date such dispute arises.

6.4.2 If the Dispute is not resolved amicably within the period specified above, the Parties may seek resolution of the Dispute either (a) through mediation or conciliation, by referring the dispute to the Committee of External Eminent Persons (“CEEE”) or experts notified by the Government of India from time-to-time, or (b) through mediation, by engaging a mediator in accordance with the Mediation Act, 2023, as mutually agreed. Any mediated settlement reached and signed by the Parties shall be final and binding and enforceable in accordance with sub-section (2) of section 27 of the Mediation Act, 2023. Any costs associated with such mediation shall be borne equally between the Parties.

6.4.3 If the Dispute remains unresolved following mediation or conciliation for a period of more than 90 (ninety) Days or the parties choose not to opt for resolution of the Dispute through mediation and conciliation, as

the case may be, any of the Parties to the dispute may refer the dispute to arbitration.

6.4.4 The governing law of this Lease and the arbitration agreement, including questions relating to its scope, validity, and interpretation shall be Indian law.

6.4.5 The arbitration shall be conducted by a tribunal of 3 (three) arbitrators—one appointed by each Party, and the third (presiding arbitrator) appointed in accordance with the rules of _____ [*insert name of arbitral institution chosen by the parties*].

OR

The arbitration shall be conducted by a tribunal of 3 (three) arbitrators—one appointed by each Party. The two arbitrators appointed by the parties shall appoint the third arbitrator (presiding arbitrator).

[Applies if parties do not choose institutional arbitration]

6.4.6 The language of arbitration shall be English.

6.4.7 The seat of arbitration shall be _____. [*Please specify seat of arbitration as per Rule 51(2) of the Rules.*]

Provided that nothing under this Lease shall exclude the applicability of Sections 9, 27, clause (a) of sub section (1) and sub section (3) of Section 37 of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 (26 of 1996).

Provided further that, in the event of a change of lessee, the lessee may apply to the Government for amendment of the seat of arbitration, subject to the requirements set out in Rule 51 (3) of the Rules.

6.4.8 Pending the resolution of any Dispute, the Parties shall, unless otherwise agreed or directed by the arbitral tribunal or a court of competent jurisdiction, continue to perform their respective obligations under this Lease to the extent practicable.

6.4.9 The costs of arbitration shall be allocated in accordance with the applicable institutional rules. The arbitral tribunal shall have the power to make orders on costs in its final award.

6.4.10 The award of the arbitral tribunal shall be final and binding on the Parties and may be enforced in accordance with the Arbitration and Conciliation Act, 1996.

6.4.11 Where multiple arbitrations arise under the Lease, the Contract executed by the Lessee and the Government or any related agreement, the Parties shall use their best efforts to consolidate such proceedings into a single arbitration. The arbitral tribunal shall have the power, with the consent of all relevant Parties, to consolidate proceedings or permit the joinder

of additional Parties, provided that no such consolidation or joinder shall unduly delay the proceedings.

6.5 Continuation of obligations—

During the pendency of the resolution of any dispute, the Parties shall, unless otherwise agreed or directed by [the arbitral tribunal/ the competent court], continue to perform their respective obligations under the Lease to the extent practicable.

6.6 Consolidation of proceedings in certain cases—

In the event of a subsisting dispute between the lessee and the Government under the Contract, the Parties shall, in case of overlap or similarity of subject matter, agree to refer any disputes, differences, disagreements, or claims arising out of the Lease to the arbitral tribunal constituted under the Contract.

6.7 Site Restoration—

Lessee shall carry out site restoration and maintain a site restoration fund in accordance with the provisions of the Rules and the guidelines, schemes and policies issued by the Government.

6.8 Alteration—

No **amendment, modification, or waiver** of any provision of the Lease shall be valid or binding unless made in **writing and signed by the Parties** to the Lease.

IN WITNESS WHEREOF, this Lease has been executed at the [name of place] on [date]
For the Lessor For the Lessee

[Insert Name]

[Insert Names]

APPENDIX-A

1. AREA OF THE LEASE: _____ sq kms

2. DESCRIPTION OF THE LEASED AREA _____ and MAP

Schedule – III **(Application for Extension of Term of Petroleum Lease)** [See rule 10 (3)]

1. General Information:

Sl. No.	Description	Details
(i)	(a) Covering Letter No. & Date for Extension request addressed to MoPNG and DGH and if applicable, details of contract executed between Government and applicant	
	(b) Applicant Name	
	(c) Qualification	
	(d) Address	

	(e) Nationality		
(ii)	Details of Petroleum Lease		
(iii)	Name of State (applicable for onland)		
(iv)	Name of Basin / Asset (if applicable)		
(v)	Regime		
(vi)	Type of Company (Public/private)		
(vii)	Details of the Petroleum Exploration License from which area applied for conversion to Petroleum Lease (if applicable)		
(viii)	Area of the lease applied		
(ix)	Existing area		
(x)	Field(s)/Structure in Lease area (if applicable)		
(xi)	Effective Date for existing Lease		
(xii)	Duration applied for Extension	From _____	To _____
(xiii)	Production Commencement Date		
(xv)	Statutory Fees Paid	Amount	Date of payment
	Application Fee		
	Preliminary Expenses		
	Security Deposit		
	Relinquishment (if any) sq.km.		

2. Proposed Petroleum Lease Area Details:

(i) Co-ordinates of the Applied Area:

(a) Projection System (in WGS-84).

Projection System	Spheroid	Zone

(b) Co-ordinates of existing lease:

Points	X	Y	Longitude			Latitude		
			Degree	Minute	Second	Degree	Minute	Second

(c) Map of the petroleum lease applied:

Whether the proposed area or part thereof falls within any reserve forest. If so, mention the area in sq.km that falls within Reserve Forest along with the name of Reserve Forest:

(d) In case of village, the name of the village & area covered:

(e) Lists of Districts:

(f) Status of applicable statutory clearances:

3. List of Maps/figures:

Map/ Fig No	Description
1	Gas/Oil isopay map
2	Seismic Attribute map
3	Seismic cross section
4.	Net pay map
5	1P / 2P / 3P polygon with well location
6	Well log correlation
7	Shape file of block boundary
8	Structure contour / depth contour map
9	Representative log sections marking interesting zones
10	Any other maps/figures

Note: Maps/figures as applicable may be attached as annexures

4. Details of existing/envised infrastructure:

5. Justification for Petroleum Lease extension:

6. Field Development Plan proposed (if applicable):

7. Work Programme Proposed for the lease area (if applicable):

8. Projected investment:

Signature of Authorised Representative of Lessee

Schedule – IV
(Extension of Term of Petroleum Lease)
[See rule 10 (8) & (9)]

To:

[Name of the Lessee]

[Registered Address of the Lessee]

Subject: Approval of application for extension of term of Petroleum Lease for
[Description of Leased Area/Block/Field]

Sir/Madam,

I am directed to refer to your application dated [____], submitted pursuant to Rule [____] of the Petroleum and Natural Gas Rules, 2025 (hereinafter referred to as “the Rules”), seeking extension of the term of the Petroleum Lease deed dated [____], originally granted on [____], for [Location/Description].

Upon review of your application, supporting documents, and in accordance with the Rules, the [Central Government/State Government with prior approval of the Central Government], hereby approves the application for extension of the term of Petroleum Lease deed dated [____] over the Leased Area admeasuring [____], as described in Appendix-A, for a further period of [____] years, commencing from [Effective Date of Extension] and continuing up to [End Date of Extension], subject to the terms and conditions below.

(a) Continuity of terms: All terms, conditions, covenants, and obligations in the original Lease Deed dated [____] shall, unless expressly modified herein, remain in full force and effect throughout the extended term of the petroleum lease.

(b) Rent: The Lessee shall pay rent at the rate applicable as per Rule 9 of the Rules, treating the original and extended term as a continuous period for rent escalation and other purposes. Accordingly, the rent is payable as under:

[Insert table of rent as applicable as per Rule 9]

(c) Compliance: The Lessee shall comply with all applicable laws in India.

(d) Guarantees and security: Where applicable, the Lessee shall replenish or renew any bank guarantees, security deposits, or insurance required under the original Lease Deed dated [____] for the extended term.

(e) Reporting and monitoring: The Lessee shall file regular progress reports, production data, and any other information as may be required by the Government of India/State Government during the extended term.

(f) No Waiver: This extension does not waive or prejudice any rights or remedies of the Government under the original lease or applicable law concerning any breach or default by the Lessee.

(g) **Cancellation:** Failure to observe any provisions of the lease or these conditions during the extended term may result in cancellation of the lease prior to expiry of the extended term, without prejudice to other rights of the Government.

(h) **Other Conditions:** The extension and continued operation shall be subject to any other specific or general conditions stated in Annexure – 1 annexed to this approval.

Effective Date:

This extension shall come into effect from *[Start Date of Extension]* and shall remain valid until *[End Date of Extension]*, unless terminated earlier in accordance with law and terms herein.

Acknowledgment:

The Lessee is required to acknowledge receipt and acceptance of the terms of this extension by countersigning and returning a copy of this approval within _____ days of its issuance. Whereafter, the term of the Lease specified in _____ of the Lease deed Dated _____ shall be read as _____.

For and on behalf of
[Central Government/State Government]
[Name, Designation, and Department]
[Seal and Date]

Countersigned and Accepted:
[Name of Lessee/Authorised Signatory]
[Designation]
[Date]

Annexure -1

Provide List of any other specific or general conditions, if any, that is necessary

APPENDIX-A

1. AREA OF THE LEASE: _____ sq kms

2. DESCRIPTION OF THE LEASED AREA _____ and MAP

Schedule – V
(Application for Extension of Area of Petroleum Lease)
[See rule 12 (3)]

1. General Information:

S. No.	Description	Details
(i)	(a) Details of contract executed between Government and applicant (if applicable)	
	(b) Applicant Name	
	(c) Address	
	(d) Place of incorporation	
(ii)	Name of Petroleum Lease (if applicable)	
(iii)	Name of State (applicable for onland)	
(iv)	Name of Basin / Asset (if applicable)	
(v)	Regime	
(vi)	Type of Company (Public/private)	
(vii)	Details of existing Petroleum Lease/License or approval for Grant of Petroleum Lease/License	
(viii)	Date of execution of the lease deed/license	
(ix)	Existing area of the Lease	
(x)	Extension of Area applied	
(xi)	State and District of the extension of area	
(xii)	Effective Date for existing Lease	

2. Proposed Petroleum Lease Area Details:

(i) Co-ordinates of the Applied Area:

(a) Projection System (in WGS-84).

Projection System	Spheroid	Zone

(b) Co-ordinates of existing lease:

(c) Co-ordinates of the area applied for extension:

(d) Map of the petroleum lease along with the area applied for extension:

(e) Whether the applied extended area or part thereof falls within any reserve forest.
If so, mention the area in sq.km that falls within Reserve Forest along with the name of Reserve Forest (for onshore):
In case of village, the name of the village & area covered (for onshore):

(f) Lists of Districts (for onshore):

(g) Lists of States (for onshore):

(h) List of Maps/figures:

Map/ Fig No	Description	
1	Gas/Oil isopay map	
2	Seismic Attribute map	
3	Seismic cross section	
4.	Net pay map	
5	1P / 2P / 3P polygon with well location	
6	Well log correlation	
7	Shape file of block boundary	
8	Structure contour / depth contour map	
9	Representative log sections marking interesting zones	
10	Any other maps/figures	

Note: Applicable Maps/figures may be attached as annexures

(ii) Does the area applied for extension share boundary with any other petroleum lease
(If yes, Details of the lease and operator):

3. Justification for Extension of the area of the Petroleum Lease:
4. Field Development Plan proposed (if applicable):
5. Work Programme Proposed for the area applied for extension (if applicable):
6. Projected investment:
7. Copies of documents, reports, studies, models indicating extension of the reservoir in the area for which extension is being sought.

Schedule – VI**(Extension of Area of Petroleum Lease)**
[See rule 12 (6) & (7)]

To:

[Name of the Lessee]

[Registered Address of the Lessee]

Subject: Approval of application for extension of area of Petroleum Lease for
[Description of Leased Area/Block/Field]

Sir/Madam,

I am directed to refer to your application dated [____], submitted pursuant to rule [____] of the Petroleum and Natural Gas Rules, 2025 (hereinafter referred to as “the Rules”), seeking extension of the area of the Petroleum Lease deed dated [____], originally granted on [____], for [Location/Description].

Upon review of your application, supporting documents, and in accordance with the Rules, the [Central Government/State Government with prior approval of the Central Government], hereby approves the application for extension of the area of Petroleum Lease deed dated [____]. The revised Leased Area now admeasures [____], as described in Appendix-A attached hereto, and shall be subject to the terms and conditions given below.

Conditions of Extension:

(a) The Lessee shall continue to be bound by all terms, conditions, covenants, and obligations in the Lease deed dated [____] in respect of the entire revised Leased Area.

(b) **Rent:** The Lessee shall pay rent at the rate applicable as per rule 9, for the entire revised Leased Area.

(c) **Compliance:** The Lessee shall comply with all applicable laws in India.

(d) **No Waiver:** This extension does not waive or prejudice any rights or remedies of the Government under the original lease or applicable law concerning any breach or default by the Lessee.

(e) **Other Conditions:** The extension shall be subject to any other specific or general conditions stated in Annexure – 1 annexed to this approval.

Effective Date:

This extension shall come into effect on [____].

Acknowledgment:

The Lessee is required to acknowledge receipt and acceptance of the terms of this extension by countersigning and returning a copy of this approval within [____] days of issuance. Whereafter, the Leased Area specified in the Appendix-A of the Lease deed dated [____] shall be read as [____] and the map provided therein shall be deemed to have been substituted with the map annexed hereto.

For and on behalf of
[Central Government/State Government]
[Name, Designation, and Department]
[Seal and Date]

Countersigned and Accepted:
[Name of Lessee/Authorised Signatory]
[Designation]
[Date]

Annexure -I

Provide List of any other specific or general conditions, if any, that is necessary

APPENDIX-A

1. AREA OF THE LEASE: _____ sq kms

2. DESCRIPTION OF THE LEASED AREA _____ and MAP

Schedule – VII
(Form for Submission of Monthly Return Indicating the Quantity of Mineral Oils
Produced)
[See rule 14 (2)]

Contract Details						
Petroleum Details	Lease					
Petroleum Grant Date	Lease					
Petroleum Expiry Date	Lease					
Name of Lessee/Contractors						
Name of Field/ Block/ Area						
Month & Year						
Indicate type of mineral oil (Crude Oil / Condensate)						
(1) Total Mineral Oil Produced (Barrels)	(2) Mineral Oil returned to the Reservoir (Barrels)	(3) Mineral oil used for drilling or other operatio ns relating to the producti on of mineral oils (Barrels)	(4) Mineral Oil Unavoida bly Lost (Barrels)	(5) = (1)-(2)- (3)-(4) (Barrels)	Remarks	
(1) Total Mineral Oil Produced (Metric Tonnes)	(2) Mineral Oil returned to the Reservoir (Metric Tonnes)	(3) Mineral oil used for drilling or other operatio ns relating to the producti on of mineral oils	(4) Mineral Oil Unavoida bly Lost (Metric Tonnes)	(5) = (1)-(2)- (3)-(4) (Metric Tonnes)	Remarks	

		(Metric Tonnes)				

Royalty incentive details, if applicable (Oil)

Gazette Notification No. / Policy (Attach reference document as Annexure)	<i>Gazette Notification No., Date / Policy reference, date</i>	Royalty reduction percentage as per Gazette Notification/ policy	
Quantity qualifying for royalty reduction (Barrels)			
Quantity qualifying for royalty reduction (Metric Tonnes)			

Indicate type of mineral oil (Gas)

(1) Total Mineral Oil Produced (Standard Cubic Meters)	(2) Mineral Oil returned to the Reservoir (Standard Cubic Meters)	(3) Mineral oil used for drilling or other operations relating to the production of mineral oils (Standard Cubic Meters)	(4) Mineral Oil Unavoida bly Lost (Standard Cubic Meters)	(5) = (1)-(2)- (3)-(4) (Standar d Cubic Meters)	Flared (Standard Cubic Meters)	Remarks

(1) Total Mineral Oil Produced (Million British Thermal Units)	(2) Mineral Oil returned to the Reservoir (Million British Thermal Units)	(3) Mineral oil used for drilling or other operations relating to the production of mineral oils (Million British Thermal Units)	(4) Mineral Oil Unavoida bly Lost (Million British Thermal Units)	(5) = (1)-(2)- (3)-(4) (Million British Thermal Units)	Flared (Standard Cubic Meters)	Remarks

Royalty Incentive Details, if applicable (Gas)			
Gazette Notification No. / Policy (Attach reference document as Annexure)	<i>Gazette Notification No., Date / Policy reference, date</i>	Royalty reduction percentage as per Gazette Notification/policy	
Quantity qualifying for royalty reduction (Standard Cubic Meters)			
Quantity qualifying for royalty reduction (Million British thermal Units)			

Declaration: I hereby declare that the information submitted herein is correct to the best of my knowledge. I further confirm that the data submitted complies with the applicable regulations, including but not limited to the Petroleum and Natural Gas Rules, 2025, and any directives issued by the relevant governmental authorities. I understand that providing false or misleading information may result in legal and regulatory consequences.

Name:

Designation:

Company:

Date:

Signature:

Schedule – VIII
(Application for grant of Special petroleum lease)
[See rule 62(2)]

1. General Information:

Sl. No.	Description	Details
(i)	(a) Details of contract executed between Government and applicant (if applicable)	
	(b) Applicant Name	
	(c) Address	
	(d) Place of incorporation	
(ii)	Name of Petroleum Lease (if applicable)	
(iii)	Name of State (applicable for onland)	
(iv)	Name of Basin or Asset (if applicable)	
(v)	Regime	
(vi)	Type of Company (Public or private)	
(vii)	Detail(s) of related Petroleum Exploration License or Petroleum Lease (if applicable)	
(viii)	Area of the lease applied	
(ix)	Field(s) or Structure in Lease area (if any)	
(x)	Duration applied for Grant	From _____ to _____
(xi)	Statutory Fees Paid	Amount
	Security Deposit	Date of payment

2. List of the specific petroleum operations proposed to be carried out in the special petroleum lease area

3. Projected investment/expenditure:

4. Justification for seeking special petroleum lease and not petroleum lease:

5. Proposed special petroleum lease area details:

(i) Co-ordinates of the applied area:

(a) Projection system (in World Geodetic System 1984).

Projection System	Spheroid	Zone

(b) Co-ordinates of the lease:

- (c) Map of the petroleum lease applied:
- (d) Whether the proposed area or part thereof falls within any reserve forest. If so, mention the area in sq.km that falls within reserve forest along with the name of reserve forest :
- (e) In case of village, the name of the village & area covered:
- (f) Lists of Districts:
- (g) List of Maps/figures:

Map/ Figure No.	Description	
1	Gas/Oil isopay map	
2	Seismic Attribute map	
3	Seismic cross section	
4.	Net pay map	
5	1P / 2P / 3P polygon with well location	
6	Well log correlation	
7	Shape file of block boundary	
8	Structure contour / depth contour map	
9	Representative log sections marking interesting zones	
10	Any other maps/figures	
11	Copy of the contract	

Note: Applicable Maps/figures may be attached as annexures

Signature of Authorised Representative of Lessee

[F. No. Expl- 11032(11)/6/2025-EXPL-II-PNG (E 52681)]

VINOD SESHAN, Jt. Secy.